Sixteenth Lok Sabha
III Session (24/11/2014 to 23/12/2014)

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 24 नवम्बर, 2014/3 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 34

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किया और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:—

क्र॰ सं॰	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/ प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्रीमती रंजनबेन भट्ट	बडोदरा	गुजरात	शपथ	हिन्दी
2.	डॉ॰ (श्रीमती) प्रीतम गोपीनाथ मुंडे	बीड	महाराष्ट्र	शपथ	मराठी
3.	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	मैनपुरी	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी

पूर्वाह्न 11.03 बजे

3. मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री ने श्री मनोहर पर्रिकर, रक्षा मंत्री; श्री सुरेश प्रभु, रेल मंत्री; श्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; श्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री; श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); श्री राजीव प्रताप रूडी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; डॉ॰ महेश शर्मा, संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री राम कृपाल यादव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री हरिभाई चौधरी, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री सांवर लाल जाट, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया, कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री गिरिराज सिंह, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री हंसराज गंगाराम अहीर, रसायन उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री; डॉ॰ रामशंकर कठेरिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री वाई॰एस॰ चौधरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री जयंत सिन्हा, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, सूचना प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्री बाबुल सुप्रिय (बाबुल सुप्रियो) बराल, शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवास और शहरी विकास उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री; साध्वी निरंजन ज्योति, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; और श्री विजय सांपला, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का परिचय कराया।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

4. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने वर्तमान लोक सभा के सदस्य श्री हेमेन्द्र चन्द्र सिंह; वर्तमान लोक सभा के सदस्य श्री कपिल कृष्ण ठाकुर; चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री अमिताव नंदी; पांचवीं, छठीं और सातवीं लोक सभा के सदस्य डॉ॰ एम॰एस॰ संजीवी राव; चौथी, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री अवैद्यनाथ; सातवीं लोक सभा से दसवीं लोक सभा तक सदस्य श्री सैफुद्दीन चौधरी; पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य श्री संजय सिंह चौहान; आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री ब्रह्म दत्त और आठवीं, नौवीं, दसवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री मुरली देवड़ा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया:—

(एक) हाल में जम्मू और कश्मीर में आई अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ जिसमें बड़े पैमाने पर संपत्ति, फसल और पशुओं की हानि और विनाश हुआ और 120 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अन्य कई व्यक्ति लापता हो गए;

(दो) 12 अक्तूबर, 2014 को आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में आए उच्च तीव्रता वाले चक्रवातीय तूफान, हुदहुद जिसमें संपत्ति और पशुधन की भारी क्षति हुई और 46 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य व्यक्ति घायल हुए; और

(तीन) पटना में दशहरा मनाए जाने के दौरान भगदड़ में 33 व्यक्तियों जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे, की मृत्यु हुई और 28 अन्य व्यक्ति घायल हो गए।

दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा पूरे दिन के लिए स्थगित हुई।

5. प्रश्न

निधन संबंधी उल्लेख किए जाने के पश्चात् सभा स्थगित हो जाने के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 1—20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

(*सभा मंगलवार,* 25 *नवम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

GMGIPMRND—2819LS—24-11-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014/4 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 35

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

तेलंगाना के मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी ने अंग्रेजी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 और 22 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(*व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न* 11.21 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 12.02 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

तारांकित प्रश्न संख्या 23—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

पूर्वाह्न 12.02 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यक्तियों को बधाई दी:—

(एक) मंगल की कक्षा में मंगलयान को सफलतापूर्वक भेजकर भारत को पहले ही प्रयास में मंगल मिशन में सफल होने वाला पहला देश बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को।

(दो) श्री कैलाश सत्यार्थी, सुविख्यात बालक अधिकार कार्यकर्ता को और पाकिस्तान की मलाला युसुफजई को वर्ष 2014 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार का विजेता होने पर।

(तीन) सितम्बर-अक्तूबर, 2014 के दौरान इंचियोन, दक्षिण कोरिया में आयोजित सत्रहवें एशियाई खेल, 2014 में ग्यारह स्वर्ण, दस रजत और छत्तीस कांस्य पदक जीतकर भव्य प्रदर्शन के लिए भारतीय दल को।

(चार) टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को 26 अक्तूबर, 2014 को सिंगापुर में डब्ल्यूटीए विमेन्स डबल्स टाइटल जीतने पर; बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत को फुझोउ, चीन में 16 नवम्बर, 2014 को चीन ओपन सुपर सीरिज में क्रमश: महिला और पुरुष सिंगल टाइटल जीतने पर और गोल्फ खिलाड़ी राशिद खान को चियांगमई, थाईलैंड में आयोजित चियांगमई गोल्फ क्लासिक टूर्नामेंट जीतने पर।

अपराह्न 12.09 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (1) के अंतर्गत जारी 28 सितम्बर, 2014 की उद्घोषणा, जो 28 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 698(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति के 28 सितम्बर, 2014 के आदेश, जो 28 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 699(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रपति को प्रस्तुत महाराष्ट्र के राज्यपाल के 27 सितम्बर, 2014 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत जारी 30 अक्तूबर, 2014 की उद्घोषणा जो 30 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 763(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 28 सितम्बर, 2014 को उनके द्वारा जारी पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्तूबर, 2014 को प्रख्यापित कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 5)।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 24 अक्तूबर, 2014 को प्रख्यापित वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 6)।

(6) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1999(अ) जो 6 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित कतिपय शर्तों के अध्यधीन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उनकी अपनी समांतर विपणन प्रणाली की प्रतिमाह दस हजार मीट्रिक टन तक की आवश्यकता के लिए उनके द्वारा घरेलू रूप से विनिर्मित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(दो) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन और वितरण) (संशोधन) आदेश, 2014 जो 14 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 721(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(7) सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 146 की उपधारा (3) के अंतर्गत मुख्य आयुक्त गुरुद्वारा निर्वाचन नियुक्ति नियम, 2014 जो 10 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 716(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) तट जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 24 के साथ पठित उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 667(अ), जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तट जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2014 जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2068(अ) में प्रकाशित हुआ था की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2014, जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2320(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथा संशोधन) आदेश, 2014, जो 30 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2542(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कवरत्ती के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कवरत्ती का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर (अनुज्ञप्तिकरण अपेक्षाओं, स्टॉक सीमाओं और संचलन प्रतिबंधों) का निराकरण (संशोधन) आदेश, 2014 जो 30 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2559(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. विधेयकों पर अनुमति

(1) महासचिव ने सोलहवीं लोक सभा के दूसरे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखे क्योंकि 25 जुलाई, 2014 को सभा में इस बारे में एक सूचना दी गई थी:—

1. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 2014;
2. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2014;

3. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014;

4. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2014;

5. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014; और

6. दिल्ली विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2014

(2) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त और राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित निम्नलिखित तीन विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:—

1. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014;

2. भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2014;

3. प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

7. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस ने लोक लेखा समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के गैर-चयनित लेखापरीक्षा पैराओं' पर की-गई-कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा समय पर प्रस्तुत किए जाने का अनुपालन न करने के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'आयकर विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में पर्यावरणीय प्रबंधन-स्टेशन, ट्रेन और ट्रैक' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) रेल मंत्रालय से संबंधित 'कश्मीर तक रेल संपर्क' के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(5) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में सिविल अभियांत्रिकी कार्यशालाएं' 'सोन नदी पर नए रेल सेतु के निर्माण में विलम्ब' और 'सिग्नल और दूरसंचार' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(6) वित्त मंत्रालय से संबंधित ''बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर'' के बारे में उनासीवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

*अपराह्न 12.12 बजे

8. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.59 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.00 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 2.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री रमेश डेका द्वारा देश में उपभोक्ता वस्तुओं पर अतिरिक्त मूल्य के स्टीकर लगाने की अनैतिक परंपरा पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री अंशुल वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक महत्व के स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में घोषित किए जाने तथा इस प्रयोजन के लिए उचित वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री किरीट सोमैया द्वारा उत्तर पूर्व मुंबई में सभी परिवारों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा उत्तराखंड में लोगों को अपनी आजीविका कमाने में समर्थ बनाने तथा राज्य से लोगों का बड़े पैमाने पर प्रवास रोकने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री राम टहल चौधरी द्वारा झारखंड के रांची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में छावनी क्षेत्र में सिविल नागरिकों की आवाजाही को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) डॉ॰ जे॰ जयवर्धन द्वारा श्रीलंका की जेल में कैद तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) डॉ॰ कुलमणि सामल द्वारा पाराद्वीप क्षेत्र के युवाओं को पारादीप में भारतीय तेल निगम लिमिटेड में कुशल तथा अर्धकुशल कार्यों में उनके नियोजन को सुकर बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 12.59 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(8) श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार हरियाणा में अप्रयुक्त भूमि को मूल स्वामियों को लौटाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री सी॰एन॰ जयदेवन द्वारा केरल में मल्लाकारा सेंटर—मुलायम रोड पर एनएच-47 पर सब-वे का निर्माण का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री सतीश चन्द्र दुबे द्वारा बिहार के बाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों को उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखने की अनुमति दी गई—

(11) श्री संजय काका पाटील द्वारा महाराष्ट्र के सांगली जिले में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री आर॰ ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए जिला नि:शक्तता पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री चाँद नाथ द्वारा राजस्थान में सहकारी बैंकों के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी स्कीम के अंतर्गत मजदूरी वितरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.27 बजे

10. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

(एक) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014

आबंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 53 मिनट
शेष समय : 1 घंटा 07 मिनट

उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचार

के लिए लेने से पहले हमें इस पर चर्चा के लिए समय आबंटित करना है। यदि सभा सहमत हो तो हम 2 घंटे का समय आबंटित करें।''

सभा सहमत हुई।

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन राम मेघवाल
2. श्री थोटा नरसिम्हम
3. श्री तथागत सत्पथी
4. श्री बी॰ विनोद कुमार
5. श्री राकेश सिंह
6. श्री दुष्यंत चौटाला
7. श्री हरीश मीना
8. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड
9. डॉ॰ संजय जायसवाल
10. श्री अरविंद सावंत
11. डॉ॰ जितेन्द्र सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.21 बजे

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014

आबंटित समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	1 घंटा 48 मिनट
शेष समय	:	12 मिनट

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''मानीय सदस्यगण, इससे पूर्व कि मैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश

करने के लिए बुलाऊं, मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय मंत्री ने दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के अपने पत्र द्वारा सूचना दी है कि राष्ट्रपति ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।''

उन्होंने निम्नलिखित घोषणा भी की:—

''माननीय सदस्यगण, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 को विचार के लिए लेने से पहले हमें इस पर चर्चा के लिए समय आबंटित करना है। यदि सभा सहमत हो तो हम 2 घंटे का समय आबंटित करें।''

सभा सहमत हुई।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड
3. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
4. श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया
5. श्री के॰ एन॰ रामचंद्रन
6. श्री रतन लाल कटारिया
7. श्रीमती कविता कलवकुंतला
8. श्रीमती रमा देवी
9. श्रीमती रेणुका बुत्ता
10. श्री अभय मिश्रा टेनी
11. श्री दुष्यंत चौटाला
12. श्री प्रेमदास राई
13. श्री शेर सिंह गुबाया
14. डॉ॰ मनोज राजोरिया
15. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु

16. श्री एच॰ डी॰ देवगौडा

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 5.09 बजे

(तीन) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

आबंटित समय : 1घंटे

लिया गया समय : 52 मिनट
शेष समय : 08 मिनट

उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

''माननीय सदस्यगण, इससे पूर्व कि मैं प्रो॰ (डॉ॰) रामशंकर कठेरिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री को केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाऊं, मुझे सभा को सूचित करना है कि माननीय मंत्री ने दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के अपने पत्र द्वारा सूचना दी है कि राष्ट्रपति ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।''

उन्होंने निम्नलिखित घोषणा भी की:—

''माननीय सदस्यगण, केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचार के लिए लेने से पहले हमें इस पर चर्चा के लिए समय आबंटित करना है। यदि सभा सहमत हो तो हम 1 घंटे का समय आबंटित करें।''

सभा सहमत हुई।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की ओर से प्रो॰ (डॉ॰) रामशंकर कठेरिया ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया:—

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. डॉ॰ संजय जायसवाल
2. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान
3. श्री राधा मोहन सिंह

4. श्री बलका सुमन
5. श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया
6. श्री बलभद्र माझी
7. डॉ॰ के॰ कामराज
8. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
9. श्री राम प्रसाद शर्मा
10. श्री अश्विनी कुमार चौबे
11. श्री सुशील कुमार सिंह
12. श्री वीरेन्द्र सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 26 *नवम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

GMGIPMRND—2903LS(S-3)—25-11-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 26 नवम्बर, 2014/5 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 36

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने 10वीं और 13वीं लोक सभा के सदस्य श्री गुरचरण सिंह गालिब; सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री लक्ष्मण मलिक और दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री रामबदन के निधन के बारे में उल्लेख किया।

इसके अलावा, उन्होंने असम, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश में आई विनाशकारी बाढ़, जिससे प्रदेश में हजारों लोगों के प्रभावित होने के अलावा सड़कें, अवसंरचना, नदी के तटबंध और कृषि भूमि की बड़े पैमाने पर क्षति हुई, में 170 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने मुम्बई में हुए आतंकी हमले जिसमें कई भारतीय और विदेशी राष्ट्रिकों की जानें गईं और बहुत-से अन्य लोग घायल हुए, की छठी बरसी के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

विदेशी बैंकों में जमा कालाधन 100 दिन के भीतर वापस लाने और उसे भारत के नागरिकों में वितरित करने के सरकार के वायदे के बारे में

सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड़गे और सुदीप बन्दोपाध्याय ने विदेशी बैंकों में जमा कालाधन 100 दिन के भीतर वापस लाने और उसे भारत के नागरिकों में वितरित करने के सरकार

के वायदे के बारे में स्थगन प्रस्ताव और प्रश्न काल की सूचनाएं लिए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने उत्तर दिया।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41—44 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 45—60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, कल सभा के समवेत होने के तत्काल बाद अनेक सदस्य अध्यक्ष के आसन के निकट आ गए और नारे लगाने लगे। कुछ सदस्यों के हाथों में छाते भी थे, जिन पर कुछ नारे लिखे हुए थे और जिन्हें वे सभा में प्रदर्शित कर रहे थे। इस आचरण का मैंने कल कड़ा विरोध भी किया था, उसके पहले भी कहा था कि इस प्रकार से आचरण करना अनुचित है। फिर भी इसको करीब 1200 बजे तक जारी रखा गया, इसके कारण मुझे सदन बीच में स्थगित भी करना पड़ा। सभा के पुन: समवेत होने पर भी उक्त सदस्यों ने अपना अव्यवस्थित आचरण जारी रखा और शोर-शराबे के बीच व्यंग्य तथा छींटाकशी भी करने लगे, जो वास्तव में अपेक्षित एवं उचित नहीं है।

मैं बार-बार माननीय सदस्यों से शालीनता और अनुशान बनाए रखने का अनुरोध करती रही हूं। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान शिष्टाचार के मानदण्डों की तरफ भी ले जाना चाहती हूं। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगी, लेकिन नियम 349 और नियम 352, जैसे नियम हमने सभा के सुचारू संचालन के लिए ही बनाए हैं। मेरा मानना है कि सभा नियम 349, उप-नियम 11 और 16 के उपबंधों से अवगत है जिसमें व्यवस्था है कि जब सभा की कार्यवाही चल रही हो तो कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार की वस्तु, कोई प्ले कार्ड या कुछ भी ऐसा प्रदर्शित नहीं करेगा क्योंकि यह सदस्यों को शोभा नहीं देता।

अध्यक्ष के रूप में मुझे लगता है कि मैं आपसे कोई अनुचित बात नहीं कह रही हूं और न ही मैं ऐसे आचरण के लिए किसी दण्ड की बात कर रही हूं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये नियम सभा द्वारा ही बनाए गए हैं और हमें उनका पालन करना है। सभी को पता है कि सभा की कार्यवाही देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं। हमने उनके लिए कई कड़े नियम बनाए हैं, उन्हें अपनी समस्त वस्तुएं जिसमें उनके गोगल्स (चश्मा), वॉलेट और बहुत-सी अन्य चीजें सुरक्षा कारणों से प्रवेश द्वार पर ही जमा करानी पड़ती हैं। शिष्टाचार के इन मानदण्डों का पालन दर्शकों को करना पड़ता है।

उनसे हम यही अपेक्षा करते हैं कि वे इन नियमों का कठोरता से पालन करें क्योंकि यह सब हमारी सुरक्षा के लिए हैं मुझे लगता है कि सदन की सुरक्षा के लिए जो भी नियम हमने बनाये हैं, हम सबको उनका पालन करना होगा। नि:संदेह इन नियमों में सजा के प्रावधान हैं, तथापि हम सभी जानते हैं कि कोई भी मारने वाली, सजा करने वाली, दुत्कारने वाली माँ को कोई पसन्द नहीं करता। परंतु यह भी सच हे कि डांट-फटकार की अनुपस्थिति में बच्चा बिगड़ जाता है।

प्रंजातंत्र में अपनी बात उठाना आपका अधिकार है। सत्र की शुरूआत से मैं बार-बार आपसे यह कह रही हूं कि हमें सभा में कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए या नारेबाजी अथवा छींटाकशी नहीं करनी चाहिए। मेरा एक बार पुन: आप सबसे निवेदन है कि कड़े कदम उठाने के लिए मुझे विवश न करें। हम सभी समझदार लोग हैं और जनप्रतिनिधि हैं। हम ही आदर्श निर्माण करते हैं। अत: मेरा आपसे आग्रह है कि सभा के सुचारू संचालन के लिए नियमों का पालन करें और मानदण्डों का अनुसरण करें।''

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डैनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डैनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई -टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) एमएसएमई -टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई -टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मीजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) एमएसएमई -टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), राम नगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई -टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), राम नगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) एमएसएमई -टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई -टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) एमएसएमई -टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई -टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ सांइसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ सांइसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ लाइफ सांइसेस, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नॉस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एण्ड डायग्नॉस्टिक्स, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्री-फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) सेंटर फॉर इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर इनोवेटिव एण्ड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेन्स काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेन्स काउंसिल, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(27) (एक) इंडियन प्लाइ वुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाइ वुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 683(अ), जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 26 जुलाई, 1985 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 610(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री हुकुम सिंह ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) ''जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनरुद्धार'' के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 19वें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार

द्वारा की–गई–कार्रवाई संबंधी 20वें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की–गई–कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

''आर॰जी॰यू॰एम॰वाई॰'' के बारे में श्री बी॰ वी॰ नाईक, संसद सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 5051 के 13.08.2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी संस्करण) दिया।

10. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.08 बजे

11. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री जितेन्द्र चौधरी ने उत्तर–पूर्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.21 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 12.21 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश द्वारा गुजरात के सूरत विमानपत्तन को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा गुजरात के दांडी में गांधी आश्रम क्षेत्र में सुविधाओं का विकास और उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता का निवेदन करने वाले सभी रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को छात्रसंघ, अध्यापक संघ तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए चुनाव कराए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री निशिकान्त दुबे द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राजस्थान के बीकानेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मूंगफली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने तथा उत्पाद के तीव्र प्रापण के लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कलपि नगर में चार लेन वाली सड़क पर एक उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री संतोख सिंह चौधरी द्वारा पंजाब में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती रंजीत रंजन द्वारा बिहार के कोसी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना का समुचित कार्यान्वित सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री के॰एन॰ रामचन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के श्रीपेराम्बदूर में नोकिया कंपनी का एकक बंद हो जाने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों के लिए समुचित कल्याण उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री पी॰ कुमार द्वारा तमिलनाडु के त्रिची विमानपत्तन पर विदेशी एयरलाइन्स की उड़ानों को सुकर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ रत्ना डे॰ (नाग) द्वारा आवश्यक और जीवनरक्षक औषधियों की वहनीय दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव द्वारा देश में ठेका श्रमिकों के कल्याण के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री कोनाकल्ला नारायण राव द्वारा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में ''हुदहुद'' तूफान के द्वारा आयी आपदा को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री शैलेश कुमार द्वारा बिहार में निरन्तर आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ईस्माइलपुर में गंगा नदी पर एक बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री रामा किशोर सिंह द्वारा वैशाली, बिहार में महात्मा बुद्ध से जुड़े स्मारकों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने तथा उन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने हेतु पर्याप्त वित्तीय पैकेज प्रदान करने की पहल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री जोस के॰ मणि द्वारा देश में घरेलू रबड़ के दामों में गिरावट को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.21 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 2 घंटे 14 मिनट

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री धर्म वीर गांधी
2. श्री के॰ कामराज
3. डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री पी॰ वी॰ मिदून रेड्डी
6. श्री अधीर रंजन चौधरी
7. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
8. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
9. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत विभाजन हुआ; पक्ष में 170 विपक्ष में 47 तद्नुसार, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

श्री तथागत सत्पथी द्वारा पेश किए गए खण्ड 2 के संशोधन संख्या 1 पर सभा में मत विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम था; पक्ष में 49 विपक्ष में 161

संशोधन संख्या 1 तद्नुसार अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(लोक सभा अपराह्न 1.42 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.31 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.31 बजे

14. नियम 193 के अधीन मामले

लिया गया समय: 2 घंटे 23 मिनट

उपाध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने अध्यक्ष से अनुरोध किया था कि उन्हें विदेशों में जमा कालाधन वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता, जो श्री भर्तृहरि महताब के नाम पर कार्यसूची में शामिल है, पर नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए जिस पर श्री भर्तृहरि महताब ने अपनी सहमति जताई थी, और अध्यक्ष ने श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का अनुरोध स्वीकार कर लिया था।

तद्नुसार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भर्तृहरि महताब
2. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
3. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू

4. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

5. श्री श्रीरंग चन्दू बारणे

6. डॉ॰ रविन्द्र बाबू

7. श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी

8. श्री एम॰ वीरप्पा मोइली

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.55 बजे

15. सरकारी विधेयक—पारित

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014

लिया गया समय: 2 घंटे 36 मिनट

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राजीव सातव

2. श्री अरविंद सावंत

3. श्री पी॰ करूणाकरन

4. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव

5. प्रो॰ सौगत राय

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 50 स्वीकृत हुए।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 5.43 बजे

16. सरकारी विधेयक—पारित

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 1 घंटा 31 मिनट

प्रो॰ (डॉ॰) रामशंकर कठेरिया द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती कोथापल्ली गीता
2. श्री एम॰बी॰ राजेश
3. कुमारी सुष्मिता देव
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री उपेन्द्र कुशवाहा
6. श्री राजेश रंजन *ऊर्फ* पप्पू यादव

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आंरभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*सायं 7.18 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 27 नवम्बर, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

पी॰के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

---

*सायं 6.22 बजे से सांय 7.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—2953LS(S-3)—26-11-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 27 नवम्बर, 2014/6 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 37

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह, जो उड़ीसा के कंधमाल निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य हैं, ने अंग्रेजी में शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61—65 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 66—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) वूल एण्ड वूलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वूल एण्ड वूलेन्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैण्डलूम एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) ऑल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया हैण्डलूम फैब्रिक्स मार्केटिंग को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने में कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2014 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने में कतिपय स्थापना को छूट) संशोधन विधेयक, 2014

7. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी॰एम॰ई॰जी॰पी॰) के क्रियान्वयन के बारे में समिति के 251वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 260वां प्रतिवेदन।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाणपत्र (आई॰एस॰ई॰सी॰) के क्रियान्वयन के बारे में समिति के 247वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 261वां प्रतिवेदन।

(3) होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पुनरुद्धार तथा पुनर्गठन के बारे में समिति के 237वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 262वां प्रतिवेदन।

(4) भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कं॰ लिमिटेड के पुनरुद्धार के बारे में समिति के 246वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 263वां प्रतिवेदन।

8. याचिका संबंधी समिति की याचिका संख्या 1

डॉ॰ किरीट सोमैया ने प्लेटफार्म तथा स्थानीय ट्रेनों के बीच अत्यधिक दूरी होने के कारण दर्जनों व्यक्तियों की मृत्यु तथा उनके चोटग्रस्त होने का कारण बन रही मुंबई उपनगरीय ट्रेनों की दयनीय स्थिति के बारे में सर्वश्री मधु कोटियन और जितेश मतालिया द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत की।

9. राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नितिन गडकरी की ओर से श्री पोन राधाकृष्णन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम, 1963 के नियम 4 के उपनियम (i) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री नितिन गडकरी की ओर से श्री पोन राधाकृष्णन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड नियम, 1960 के नियम 3 के साथ पठित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. राष्ट्रीय जूट बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

संतोष कुमार गंगवार ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम, 2010 के नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. प्राक्कलन समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत, प्राक्कलन समिति की अवधि के शेष भाग के लिए मंत्रियों के रूप में नियुक्त श्री हरिभाई चौधरी और श्री रामकृपाल यादव के स्थान पर समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. लोक लेखा समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत, लोक लेखा समिति की अवधि के शेष भाग के लिए डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, और मंत्रियों के रूप में नियुक्त सर्वश्री राजीव प्रताप रूडी तथा जयंत सिन्हा के स्थान पर समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.08 बजे

14. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ख द्वारा अपेक्षित रीति से, नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की अवधि के शेष भाग के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त श्री रामशंकर कठेरिया के स्थान पर समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 1.04 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्रीमती किरण खेर द्वारा चंडीगढ़ शहर की बढ़ती हुई पानी की मांग को पूरा करने के लिए शहर को भाखड़ा मेनलाइन से एक डेडीकेटेड वाटर पाइपलाइन द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 1.04 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(2) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के सीवान जिले में बंद पड़ी चीनी और जूट मिलों के जीर्णोद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रामदास सी॰ तडस द्वारा विनोबा भावे द्वारा प्रारंभ किए गए भूदान आन्दोलन के अंतर्गत किसानों द्वारा दान की गई भूमि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री कीर्ति आजाद द्वारा बिहार के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) डॉ॰ भोला सिंह द्वारा बिहार के बरौनी में उर्वरक कारखाना पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती कृष्णा राज द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निश्चित सीमा के अंदर धान का क्रय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती जयश्रीबेन पटेल द्वारा गुजरात में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की फसल बीमा से जुड़ी समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा कैश्यू वर्कर्स वेल्फेयर फंड बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल द्वारा दक्षिण रेलवे और इंटीग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई, तमिलनाडु में भर्ती में ''कोर्स कम्पलीटिड एक्ट एप्रेंटिसिस'' को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री के॰आर॰पी॰ प्रबाकरन द्वारा चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच रेललाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के कार्य को तेजी से पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा एयर इंडिया के प्रचालन को विस्तारित करने और इसे और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री धर्मेन्द्र यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं और बरेली के बीच रेललाइनों के आमान-परिवर्तन और इटावा तथा मैनपुरी के बीच रेललाइन के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री भगवंत मान द्वारा पंजाब, विशेषत: संगरूर में कैंसर की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

16. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 12 मिनट

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
2. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी
3. श्री सी॰ गोपालकृष्णन
4. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
5. डॉ॰ कुलमणि सामल
6. प्रो॰ ए॰एस॰आर॰ नायक
7. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
8. श्री (डॉ॰) वाराप्रसाद राव
9. श्री मुलायम सिंह यादव
10. श्री शेर सिंह गुबाया
11. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
12. श्री असादूद्दीन ओवैसी
13. श्री संतोष कुमार
14. श्री प्रेम दास राई

श्री थावर चंद गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.15 बजे

17. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 6 घंटे 30 मिनट

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 26 नवम्बर, 2014 को विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की आवश्यकता संबंधी उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मुलायम सिंह यादव
2. श्री पी॰ श्रीनिवास रेड्डी
3. श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू
4. श्री मोहम्मद सलीम
5. श्री तारिक अनवर
6. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
7. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
8. श्री भगवंत मान
9. श्री निशिकांत दूबे
10. श्री बदरूद्दीन अजमल
11. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
12. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर

13. श्री कौशलेन्द्र कुमार

14. डॉ॰ किरिट सोमैया

15. श्री असादुद्दीन ओवैसी

16. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन

17. श्री सी॰एन॰ जयदेवन

18. श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल

19. श्री एम॰ राजामोहन रेड्डी

20. श्री अरुण कुमार

21. प्रो॰ सौगत राय

22. श्री तथागत सत्पथी

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

***18. कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन**

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्य-मंत्रणा समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सांय 7.22 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 28 *नवम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

---

*अपराह्न 4.28 बजे।

GMGIPMRND—3008LS(S-3)—27-11-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2014/7 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 38

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 85 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 86 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921-1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (मौद्रिक शास्ति की वसूली की रीति) संशोधन विनियम, 2014, जो 30 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आर-40007/रेग-रिकवरी/नोटि/04-सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (चयन समिति का कार्यकाल तथा नाम तालिका के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2014, जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति का कार्यकाल तथा नाम तालिका के चयन की रीति) संशोधन नियम, 2014, जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 729(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) (एक) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्ववर्ती इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) एमएमटीसी लिमिटेड तथा वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उपधारा (2) के अंतर्गत बॉयलर परिचारक (संशोधन) नियम, 2014, जो 11 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 577(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2200(अ) जो 2 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2953(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत कॉफी बोर्ड (संवर्ग और भर्ती) नियम, 2014, जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 198(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2014, जो भारत के राजपत्र में 30 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1418(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2014, जो भारत के राजपत्र में 30 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2556(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 566(अ) जो 6 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि उक्त अधिनियम की उक्त धाराओं अथवा नियमों अथवा किसी अन्य धारा के अंतर्गत जारी अथवा बनायी गई उक्त धाराओं अथवा किन्हीं अन्य अधिसूचनाओं, अनुदेशों, विनिर्णयों, अथवा आदेशों के अंतर्गत बनाए गए अथवा बनाए माने गए नियमों में अधिसूचना के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के संबंध में संदर्भों को, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के संबंध में संदर्भों के रूप में माना जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवेट क्रेडिट (सांतवां संशोधन) नियम, 2014 जो 25 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 615(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 586(अ) जो 13 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट सीमलेस ट्यूबों और पाइपों को भारत

में आयात करने पर प्रथम वर्ष 20 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 10 प्रतिशत और तीसरे वर्ष 5 प्रतिशत (केवल 6 महीने के लिए) की दर से इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की तारीख से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 623(अ) जो 28 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रक्षोपाय महानिदेशालय द्वारा करायी गई जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में विनिर्दिष्ट कार्बन चेन लेंग्थ के सेचुरेटेड फैटी अल्कोहल के भारत में आयात पर 200 दिनों की अवधि के लिए 20 प्रतिशत की मूल्यानुसार दर से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 571(अ) जो 8 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा करायी गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''सोडियम नाइट्रेट'' के आयात पर आगे 5 वर्ष की और अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा॰का॰नि॰ 587(अ) जो 13 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक सिंगापुर में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''पलाईप्रोपलीन'' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने को 1 वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 29 जुलाई, 2015, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 592(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध महानिदेशालय द्वारा करायी गई सनसेट समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''सेफट्रिएक्सोन डिसोडियम हेमीहेप्टाहाइड्रेट-स्टेराइल'' के आयात पर आगे 5 वर्ष की अवधि तक निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 664(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क एवं संबद्ध महानिदेशालय द्वारा करायी जा रही सनसेट समीक्षा जांच के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ''ग्लास या सेरामिक/पोर्सेलेन के इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटर्स, चाहे संयोजित हो या असंयोजित'' के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 673(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट समीक्षा के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सल्फर ब्लैक' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 691(अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अगस्त, 2009 की अधिसूचना संख्या 89/2009-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा॰का॰नि॰ 703(अ) जो 30 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसारण में चीनी ताइपे और संयुक्त राज्य अमरीका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'फेनोल' के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की तारीख अर्थात् 16 मई, 2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा॰का॰नि॰ 335(अ) जो 12 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यधीन अधिसूचना की अनुसूची I में वर्णित वस्तुओं को अनुसूची II में विनिर्दिष्ट किसी समारोह में प्रदर्शित या

इस्तेमाल करने हेतु भारत में आयात करने पर सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उदग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से तथा सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा-शुल्क से छूट प्रदान की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) द एफआईसीसीआई/टीएआईटीआरए कारनेट (प्रवेश पत्र तथा पोत परिवहन पत्र का प्ररूप) विनियम, 2014 जो 12 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 336(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 565(अ) जो 6 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यह उपबंध करना है कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जारी नियमों, अधिसूचनाओं, अधिदेशों, विनियमों, विनिर्णयों अथवा आदेशों में मुख्य सीमा-शुल्क आयुक्त के संबंध में किसी संदर्भ को, यथास्थिति प्रधान मुख्य सीमा-शुल्क आयुक्त अथवा मुख्य सीमा-शुल्क आयुक्त के संबंध में संदर्भ माना जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। इसी प्रकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत जारी नियमों, अधिसूचनाओं, अधिदेशों, विनियमों, विनिर्णयों अथवा आदेशों में सीमा-शुल्क आयुक्त के संबंध में किसी संदर्भ को, यथास्थिति प्रधान सीमा-शुल्क आयुक्त अथवा सीमा-शुल्क आयुक्त के संबंध में संदर्भ माना जाएगा।

(चार) सा॰का॰नि॰ 603(अ) जो 21 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा॰का॰नि॰ 674(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 39/1996-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा॰का॰नि॰ 675(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा॰का॰नि॰ 692(अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा॰का॰नि॰ 736(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰आ॰ 1841(अ) जो 15 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 1857(अ) जो 17 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 1925(अ) जो 31 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 2009(अ) जो 7 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 2058(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 2107(अ) जो 21 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2182(अ) जो 29 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 2229(अ) जो 4 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का॰आ॰ 2344(अ) जो 15 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का॰आ॰ 2439(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का॰आ॰ 2561(अ) जो 30 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का॰आ॰ 2574(अ) जो 1 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी

मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2647(अ) जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाइस) का॰आ॰ 2658(अ) जो 16 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेइस) का॰आ॰ 2804(अ) जो 31 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी॰शु॰ (एन॰टी॰) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का॰आ॰ 2830(अ) जो 5 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) उपर्युक्त (17) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा॰का॰नि॰ 567(अ) जो 6 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय यह उपबंध करना है कि वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जारी नियमों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, विनियमों, विनिर्णयों अथवा आदेशों में मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के संबंध में किसी संदर्भ को, यथास्थिति, प्रधान मुख्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त अथवा

मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के संबंध में संदर्भ माना जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। इसी प्रकार वित्त अधिनियम, 1994 के अंतर्गत जारी नियमों, अधिसूचनाओं, अनुदेशों, विनियमों, विनिर्णयों अथवा आदेशों में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के संबंध में किसी संदर्भ को, यथास्थिति, प्रधान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के संबंध में संदर्भ माना जाएगा।

(दो) सा॰का॰नि॰ 598(अ) जो 20 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवाकर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 613(अ) जो 25 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 अक्तूबर, 2014 को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 114 के खण्ड (क), (ख) और (ग) के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवाकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 25 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 614(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (बारहवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 2 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 632(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में अचल संपत्ति का अर्जन तथा अंतरण) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 17 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 733(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

(एक) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2014 का संख्यांक 19)—रेल वित्त।

(दो) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 20)—मूल्यह्रास तथा क्रमिक अपाकरण भत्ता, राजस्व विभाग—प्रत्यक्ष कर।

(तीन) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 21) (अप्रत्यक्ष कर-सीमा-शुल्क)—विशेष आर्थिक जोन (सेज) का कार्यनिष्पादन, राजस्व विभाग।

(चार) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 22)—अंतरिक्ष विभाग द्वारा डीटीसी सेवा के लिए सेटेलाइट क्षमता के प्रबंध संबंधी अनुपालन लेखापरीक्षा।

(पांच) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 24)—हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रेक्ट्स, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय।

(छह) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2014 का संख्यांक 25)—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

(सात) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2014 का संख्यांक 26)—(अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)।

(आठ) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 27)—(अनुपालन लेखापरीक्षा)—वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मंत्रालय/विभाग।

(नौ) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 29)—(अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सेवाकर) केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क तथा सेवाकर, राजस्व विभाग में अभियोजन तथा शास्तियों का प्रशासन।

(22) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) वर्ष 2012-13 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग एक—समीक्षा)

(दो) वर्ष 2012-13 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग दो—विस्तृत विनियोग लेखे)

(तीन) वर्ष 2012-13 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग दो—विस्तृत विनियोग लेखे [अनुबंध-छ])

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 26 नवम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 14 अगस्त, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि 27 नवम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 26 नवम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित दिल्ली पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ मनोज राजोरिया ने खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 80वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 72वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने ''विश्व व्यापार संगठन में भारत के रुख'' के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.16 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 1 दिसम्बर, 2014 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.26 बजे

9. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जे॰पी॰ नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के नियमों और विनियमों के नियम 1 (चौदह) और 15 के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. भारतीय परिचर्या परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जे॰पी॰ नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ण) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय परिचर्या परिषद्, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.28 बजे

11. **प्रस्ताव**

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि यह सभा 27 नवम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से उस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि सभा द्वारा पहले ही निपटाई गई क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 की मदों से संबंधित उसकी सिफारिशों का लोप किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.29 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ने इराक में आईएसआईएस उग्रवादियों द्वारा अपहृत और मारे गए 40 भारतीयों के बारे में निवेदन किया।

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुए:—

1. श्री पी॰ करुणाकरन
2. श्री एम॰बी॰ राजेश
3. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
4. श्रीमती कविता कलवकुंतला
5. श्री बदरुद्दीन अजमल
6. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
7. श्री राजेश रंजन

श्रीमती सुषमा स्वराज ने उत्तर दिया।

*अपराह्न 1.11 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने में कतिपय स्थापनों को छूट) संशोधन विधेयक, 2011, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

---

*अपराह्न 12.29 बजे से अपराह्न 1.11 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लिया गया समय: 2 घंटे 27 मिनट

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
2. श्री हुकुम सिंह
3. श्री आर॰ आर्थिपन
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
6. श्री बी॰ विनोद कुमार
7. श्री शंकर प्रसाद दत्ता
8. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
9. श्री अधीर रंजन चौधरी
10. श्री रत्न लाल कटारिया
11. श्री धर्मवीर गांधी
12. श्री वाई॰एस॰ अविनाश रेड्डी
13. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
14. डॉ॰ अरूण कुमार
15. श्री जगदम्बिका पाल
16. श्री पी॰ करूणाकरन
17. प्रो॰ साधु सिंह

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

प्रो॰ सौगत राय द्वारा खंड 4 के संबंध में पेश किए गए संशोधन संख्या 2 पर सभा में मत–विभाजन हुआ: पक्ष में 14, विपक्ष में 151, भाग नहीं लिया 07, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री बंडारू दत्तात्रेय ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.38 बजे

14. प्रस्ताव

श्री थांगसो बाइटे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

> ''कि यह सभा 26 नवम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.39 बजे

15. गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(1) श्री फिरोज वरुण गांधी का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014

(2) श्री बैजयंत पांडा का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 124क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

(3) श्री बैजयंत पांडा का सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन विधेयक, 2014 (धारा 3 का संशोधन, आदि)

(4) श्री बैजयंत पांडा का निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय विधेयक, 2014

(5) श्री बैजयंत पांडा का दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (नई धारा 24 का प्रतिस्थापन, आदि)

(6) प्रो॰ सौगत राय का पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2014

(7) श्री अधीर रंजन चौधरी का पश्चिम बंगाल राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2014

(8) श्री अधीर रंजन चौधरी का वृद्धावस्था पेंशन और पुनर्वास विधेयक, 2014

(9) श्री अधीर रंजन चौधरी का कन्या शिशु-हत्या निवारण विधेयक, 2014

(10) श्री अधीर रंजन चौधरी का कृषि कर्मकार (रोजगार, सेवा शर्तें और कल्याण) विधेयक 2014

(11) श्री राकेश सिंह का शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध विधेयक, 2014

(12) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014

(13) श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल' का स्वास्थ्य बीमा (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2014

(14) श्री राकेश सिंह का निस्सहाय बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2014

(15) श्री राकेश सिंह का प्रत्येक गांव में संचार सुविधाओं का उपबंध विधेयक, 2014

(16) श्री भर्तृहरि महताब का अम्ल नियंत्रण, अम्ल के हमलों का निवारण और अम्ल हमलों के पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक, 2014

(17) श्री भर्तृहरि महताब का किराए की कोख (विनियमन) विधेयक, 2014

(18) श्री कीर्ति आजाद का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (नए अनुच्छेद 371ट का अंत:स्थापन)

(19) श्री चंद्रकांत खैरे का गौ (संरक्षण) विधेयक, 2014

(20) श्री चंद्रकांत खैरे का प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्रतिकर का उपबंध विधेयक, 2014

अपराह्न 3.50 बजे

16. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—वापस लिया गया

केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् विधेयक, 2014

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा 8 अगस्त, 2014 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मोहम्मद सलीम
2. श्री राजेश रंजन
3. श्री जगदम्बिका पाल
4. श्री रामस्वरूप शर्मा
5. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
6. श्री दुष्यंत सिंह
7. श्री भगवंत मान

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने वाद-विवाद में भाग लिया।

डॉ॰ रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

अपराह्न 5.45 बजे

17. अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:—

> ''माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी का नाम अम्ल (नियंत्रण) विधेयक, 2014 पर विचार हेतु प्रस्ताव पेश करने के लिए बुलाऊं, मुझे सभा को सूचित करना है कि गृह मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी ने दिनांक 27 नवम्बर 2014 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि राष्ट्रपति ने, विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर, संविधान के अनुच्छेद 117(3) के अंतर्गत विधेयक पर लोक सभा में विचार किए जाने की सिफारिश की है।''

अपराह्न 5.46 बजे

18. गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—विचाराधीन

अम्ल (नियंत्रण) विधेयक, 2014

डॉ॰ किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई।

उनका भाषण पूरा नहीं हुआ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

*सायं 6.12 बजे

(लोक सभा सोमवार, 01 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

पी॰ के॰ ग्रोवर,
महासचिव।

*सायं 6.00 बजे से 6.12 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3055LS—28-11-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 1 दिसम्बर, 2014/10 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 39

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. महासचिव (श्री पी॰के॰ ग्रोवर) द्वारा पदत्याग और सभा के मानद अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि लोक सभा के महासचिव श्री पी॰के॰ ग्रोवर ने 30 नवम्बर, 2014 को लोक सभा के महासचिव के रूप में अपना पद त्याग दिया है।

अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि श्री पी॰के॰ ग्रोवर द्वारा प्रदत्त सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए उन्होंने उन्हें सदन के मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

2. लोक सभा के महासचिव की नियुक्ति

अध्यक्ष ने घोषणा की कि श्री अनूप मिश्रा, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम लिमिटेड को 1 दिसम्बर, 2014 से लोक सभा और लोक सभा सचिवालय के महासचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101—105 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 106—120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

पूर्वाह्न 12.01 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से 30 नवम्बर, 2014 को मकाऊ, चीन में मकाऊ ओपन ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब जीतने के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी पी॰वी॰ सिंधू को बधाई दी।

पूर्वाह्न 12.02 बजे

6. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने विश्व एड्स दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

अपराह्न 12.03 बजे

7. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए संरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2014 जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ रेग/टी4एस/ एनजीपीएल/1/2012 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का अवधारण) दूसरा संशोधन विनियम, 2014 जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ पीएनजीआरबी/एम(सी)/100 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित करने

अथवा विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2014 जो 7 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/सीजीडी/ बी/डी/4/2013-पीआरई बीआईडी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सामान्य कैरियर अथवा संविदा कैरियर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के लिए पहुंच कोड) संशोधन विनियम, 2014 जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/ एम(सी)/48 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (असंतुलन प्रबंध सेवा) विनियम, 2014 जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2014 जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कंपनियों को शहरी अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस संवितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, प्रचालित करने अथवा विस्तारित करने हेतु प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2014 जो 17 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस का विपणन करने वाली कंपनियों के लिए संबद्ध आचार संहिता और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाया जाना, बनाना, प्रचालन अथवा उनका विस्तार करना) संशोधन विनियम, 2014 जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ पीएनजीआरबी/ एम(सी)/42 में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) रेल यात्री सेवा अभिकर्ता को प्राधिकृत किया जाना नियम, 2014 जो 7 मई 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य संशोधन नियम, 2014 जो 7 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 775(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(1) (एक) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के साथ इसकी अनुषंगी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के साथ इसकी अनुषंगी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) (एक) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ शशि थरूर ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013' के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) 'पासपोर्ट सेवा परियोजना-लक्ष्य और उपलब्धियां' विषय पर पच्चीसवें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 'उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के शीशा और चूड़ी कर्मकारों का कल्याण—एक मामला अध्ययन' के संबंध में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'महिला यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए भारतीय रेल की उपनगरीय ट्रेन सेवा' के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2014

अपराह्न 12.07 बजे

11. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 6) को प्रख्यापित कर तत्काल विधान लाने के कारण दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*अपराह्न 12.07 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्रीमती कोथापल्ली गीता और श्री बलभद्र माझी ने देश, विशेषकर आंध्र प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों और ओडिशा के, कुछ जिलों जैसे नवरंगपुर, मलकानगंगिरी, कोरापुट और रायागाडा में बीएसएनएल नेटवर्क में समुचित संयोजनता की कमी और इसके खराब कार्यकरण के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ बी॰ राजेश, डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी, श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर, श्री अरविंद सावंत और श्री पी॰के॰ बिजू सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैय्या नायडू ने उत्तर दिया।

#13. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

> ''माननीय सदस्यगण, मैंने आज की कार्य-सूची में कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापन, विचार और पारित करने के लिए शामिल करने की अनुमति दी है। इस विधेयक के संबंध में संशोधनों की सूचना देने हेतु सदस्यों, यदि वे चाहे तों, को अवसर प्रदान करने के लिए मैं, विशेष मामले के रूप में, उन्हें आज अपराह्न 2.00 बजे तक उनके संशोधनों को सभा पटल पर रखने की अनुमति दे रही हूं।''

(लोक सभा अपराह्न 12.55 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने कारोबारी गतिविधियों में तेजी लाए जाने के लिए मेरठ, उत्तर प्रदेश में कंटेनर डिपो का प्रचालन पुन: आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री नारणभाई काछड़िया ने गुजरात के सावरकुडला रेलवे स्टेशन पर अधिक टिकट खिड़की खोले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.55 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#अपराह्न 12.20 बजे।

(3) डॉ॰ मनोज राजोरिया ने राजस्थान में करौली जिले को रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने राजस्थान में टोंक–सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) प्रो॰ चिंतामणि मालवीय ने मध्य प्रदेश, उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की आवयश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) डॉ॰ संजय जायसवाल ने बिहार के पश्चिम चम्पारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्कूलों में रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रमों को आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री दिनेश त्रिवेदी ने देश में ईबोला विषाणु के फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव ने ओडिशा के बोलंगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूखा राहत उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली ने महाराष्ट्र के यवतमाल–वाशिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वडकी गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर छह लेन वाली सड़क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी ने राजमार्ग पर पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री एम॰बी॰ राजेश ने केरल के पालक्काड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अट्टापेडी जनजातीय क्षेत्र में रह रहे लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्रीमती कोथापल्ली गीता ने हुदहुद चक्रवात से उत्पन्न हुई आपदा को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने और आंध्र प्रदेश को पर्याप्त वित्तीय सहायता जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री राजेश रंजन ने बिहार के सभी महापुरुषों की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल घोषित कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री छेदी पासवान ने बिहार के रोहतास ओर कैमूर जिलों में धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थलों का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री सी॰ गोपालकृष्णन ने तमिलनाडु को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूरी राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.29 बजे

15. सरकारी विधेयक—पारित

कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 3 घंटे 55 मिनट

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण
2. श्रीमती पूनम महाजन
3. श्री एस॰ सेल्वाकुमार चिन्नैयन
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव
6. श्री अरविंद सावंत
7. श्री श्रीहरि कडियम
8. श्रीमती रेणुका बुत्ता
9. श्री अधीर रंजन चौधरी
10. श्री एम॰बी॰ राजेश

11. श्री योगी आदित्यनाथ
12. श्री एन॰ क्रिष्टप्पा
13. डॉ॰ अरूण कुमार
14. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
15. श्री भगत सिंह कोश्यारी
16. श्री कौशलेन्द्र कुमार
17. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
18. श्री नाना पटोले
19. श्री एम॰ उदयकुमार
20. श्री राहुल रमेश शेवाले
21. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
22. श्री प्रहलाद जोशी
23. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा
24. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
25. श्री पी॰पी॰ चौधरी
26. श्री गोपाल शेट्टी
27. श्री सुरेश सी॰ अंगड़ी

श्री संतोष कुमार गंगवार ने वाद विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र, उद्देश्यिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.24 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 02 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

GMGIPMRND—3146LS(S-3)—01-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2014/11 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 40

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 1 दिसम्बर, 2014 को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के दो अधिकारियों सहित 14 जवानों के शहीद होने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 और 122 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.16 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 123—125 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 126—140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 497(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पर्यावरण राहत कोष योजना, 2008 के अधीन 31 दिसम्बर, 2014 तक की अवधि के लिए निधि प्रबंधक नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पूणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पूणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 26 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, साइबर न्यायालयिक परीक्षक और अपराध दृश्य सहायक भर्ती नियम, 2014 जो 29 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 700(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राज्यपाल (उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 2014 जो 11 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 788(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2803(अ) जो 31 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें कामतपुर लिबरेशन आर्गेनाइजेशन और इसकी सभी गठन तथा फ्रंट आर्गेनाइजेशनों को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में एक आतंकवादी संगठन के रूप में शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (विधिविरुद्ध) क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 37 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 11034/12/2011-आई॰एस॰ VI जो 22 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 36(4) के साथ पठित धारा 36(1) के अधीन अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की समीक्षा के लिए गठित समीक्षा समिति को समाप्त किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) दमन और दीव, पंचायत विनियम, 2012 की धारा 124 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अधिसूचना संख्या पी॰आर॰आई॰/डी॰डी॰/2013-14/152 जो 19 फरवरी, 2014 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें ग्राम पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन के बारे में आदेश दिया हुआ है।

(दो) अधिसूचना संख्या 5/30/पी॰आर॰आई॰/आर॰ई॰एस॰आई॰जी॰ चेयरमैन/वी॰पी॰बी॰डी॰/2013/001 जो 25 अप्रैल, 2014 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच के निर्वाचन के बारे में आदेश दिया हुआ है।

(11) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पाँचवां संशोधन) आदेश, 2014, जो 11 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2879(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(14) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 38 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 2485(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं के नियतन हेतु आवश्यक आंकड़ों के अभाव में सिरमेट के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र निरस्त किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2486(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो फसलों का ऐसे कीटनाशकों के लेबल और लीफलेट्स से हटाए जाने के बारे में है जिनके लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमाएं नियत नहीं की गई हैं।

(15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1)के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण):—

(एक) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

*(16) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 24/2014-के॰उ॰शु॰ जो 2 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है तथा जिसके द्वारा आधारभूत उत्पाद शुल्क (i) गैर ब्रांडेड पेट्रोल पर

*अपराह्न 12.07 बजे

2.70 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 4.95 रुपये प्रति लीटर करने (ii) ब्रांडेड पेट्रोल पर 3.85 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6.10 रुपये प्रति लीटर करने (iii) गैर ब्रांडेड डीजल पर 2.96 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.96 रुपये प्रति लीटर करने; और (iv) ब्रांडेड डीजल पर 5.25 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 6.25 रुपये प्रति लीटर करने के लिए 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखेंगे।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 1 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया।

(दो) कि 1 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया।

(तीन) कि 1 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 26 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2014

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014

7. कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्य-मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण

डॉ॰ शशि थरूर ने प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों के बारे में 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवें प्रतिवदेन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि मंत्री की ओर से कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित 'आनुवंशिक रूप से आवर्धित खाद्य फसलों की खेती—संभावनाएं और प्रभाव', के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

10. पुरातत्व विज्ञान के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबीए) के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ॰ महेश शर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

> ''कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार, दिनांक 17 फरवरी, 2014 के संकल्प संख्या एफ॰9/1/2013-ईई (सीएबीए) के पैरा XVIII में किए गए उपबंध के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य उक्त संकल्प के उपबंधों के अध्यधीन पुरातत्व विज्ञान के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबीए) के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक, 2014

*अपराह्न 12.07 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) **गिरिजाघर प्राधिकारियों द्वारा अनुचित कृत्य के भड़काने वाले आरोप के कारण पूर्वी दिल्ली में एक गिरिजाघर में हुई, कथित तोड़फोड़ के बारे में।**

श्री पी॰ करूणाकरन ने गिरिजाघर प्राधिकारियों द्वारा अनुचित कृत्य के भड़काने वाले आरोप के कारण पूर्वी दिल्ली में एक गिरिजाघर में हुई कथित तोड़फोड के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री जोस के॰ मणि, एम॰ के॰ राघवन, एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन, मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, पी॰ के॰ बीजू, इन्नोसेन्ट, एम॰ बी॰ राजेश, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, डॉ॰ शशि थरूर, एडवोकेट ए॰ सम्पत्त और मोहम्मद बदरुद्दोजा खान सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

---

*अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.12 बजे

(दो) **छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए हमले, जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 14 कर्मी शहीद हो गए, के बारे में।**

श्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों द्वारा किए गए हमले जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 14 कर्मी शहीद हो गए, के बारे में निवेदन किया।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन:समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

13. **नियम 377 के अधीन मामले**

(1) साध्वी सावित्री बाई फूले ने गेरुआ और घाघरा नदियों में से पत्थरों, जिनके कारण उत्तर प्रदेश के बहराइच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आस-पास बाढ़ आ जाती है, को निकालने के लिए एक विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(2) श्री राजवीर सिंह (राजू भय्या) ने उत्तर प्रदेश में जिला कासगंज में भगवान विष्णु से जुड़े पौराणिक महत्व के स्थान सोंरो को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने और इसके विकास हेतु पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(3) श्री निशिकान्त दुबे ने झारखंड के देवधर में हवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(4) श्री महेश गिरी ने दिल्ली में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शीघ्र निपटान हेतु एकल केन्द्रीय समन्वय प्राधिकरण स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(5) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मध्य प्रदेश के मंडला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वनों से प्राप्त राजस्व के एक हिस्से को उक्त निर्वाचन क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों में विकास में व्यय किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(6) श्री विनोद कुमार सोनकर ने उत्तर प्रदेश में विकलांग छात्रों हेतु पर्याप्त संख्या में विशेष शिक्षकों की भर्ती और राज्य में ठेके पर कार्यरत विशेष शिक्षकों की सेवाओं को नियमित भी किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(7) श्री हुकुम सिंह ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में कैंसर रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि को कम करने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(8) श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भीमकुंड के विशाल जलाशय को पेयजल और सिंचाई हेतु उपयोग में लाने के लिए एक परियोजना आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(9) श्री एम॰ के॰ राघवन ने कोझिकोड, करेल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक टरसरी कैंसर उपचार केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(10) श्री डी॰के॰ सुरेश ने कर्नाटक के बैंगलुरु में जल आपूर्ति हेतु बेहतर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अलग से निधि आबंटित किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(11) श्रीमती आर॰ वनरोजा ने हावड़ा एक्सप्रेस का तमिलनाडु के तिरूवन्नामलाई रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने और तिरुपत्तथुर और जोलारपेट के बीच रेल सेवा पुन: शुरू किए जाने के अलावा तिरूवन्नामलाई रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(12) श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू ने प्राकृतिक गैस की उपलब्धता तक नाफ्था को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सर्दन पेट्रो केमिकल्स इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को यूरिया का उत्पादन जारी रखने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(13) श्री सुवेन्दू अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में देशाप्रान से नंदीग्राम तक एक नई रेल लाइन का निर्माण करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(14) श्रीमती सकुंतला लागुरी ने ओडिशा में क्योंझर को जमशेदपुर-बादाम पहाड़ और रूपसा-बंगारी पोसी रेल लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(15) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ने महाराष्ट्र में धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(16) श्री केसिनेनी श्रीनिवास ने प्रकृति की अनिश्चितता के कारण फसलों का नुकसान उठा रहे किसानों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(17) श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक योजनाओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

(18) श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों के अपराधियों को दंडित किए जाने और दंगों के शिकार लोगों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

अपराह्न 2.41 बजे

14. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा 29 मिनट
शेष : 31 मिनट

श्री कलिकेश नारायण सिंह देव ने देश के विभिन्न भागों में तथा जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र में सूखे के विशेष संदर्भ में, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हरिबाबू कंभमपति
2. डॉ॰ शशि थरूर
3. श्री पी॰ कुमार
4. डॉ॰ काकोली घोष दस्तीदार

5. श्री चन्द्रकांत खैरे

6. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.11 बजे

15. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 2 घंटे 13 मिनट

#(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2014, *राज्य सभा द्वारा यथापारित*

#(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014, *राज्य सभा द्वारा यथापारित*

श्री नितिन गडकरी द्वारा विधेयकों अर्थात् (एक) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2014; और (दो) वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शशि थरूर

2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी

3. श्री जे॰जे॰टी॰ नट्टर्जी

4. प्रो॰ सौगत राय

5. श्री भर्तृहरि महताब

6. श्री अरविंद सावंत

7. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

8. डॉ॰ ए॰ सम्पत

9. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली

10. डॉ॰ अरूण कमार

#एक साथ चर्चा की गई।

11. श्री के॰आर॰पी॰ प्रबाकरन

12. प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस

13. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर

श्री नितिन गडकरी ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नितिन गडकरी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 17 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम स्वीकृत हुए।

श्री नितिन गडकरी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.24 बजे

(लोक सभा बुधवार, 03 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

GMGIPMRND—3188LS(S-3)—02-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 3 दिसम्बर, 2014/12 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 41

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सातवीं, आठवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री आनंद पाठक; तेरहवीं लोक सभा के सदस्य श्री जरबोम गामलिन और नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री अब्दलु रहमान अंतुले के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी की 30वीं बरसी के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141—144 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.37 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.45 बजे पुन: समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 145 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 146—160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1768, 1770 से 1787 और 1789 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2905(अ) जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अपेक्षा) आदेश, 2012 की अनुसूची में यथाउल्लिखित 15 उत्पाद शामिल हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सर्व शिक्षा अभियान ऑफ द राजीव विद्या मिशन, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान ऑफ द राजीव विद्या मिशन, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) यूईई मिशन दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) यूईई मिशन दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवेलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एण्ड सस्टेनेबल डेवेलपमेंट, इम्फाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, पुणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस॰ए॰एस॰ नगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.04 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) गृह मंत्री ने ''छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 01.12.2014 को घटी घटना'' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) विदेश मंत्री ने प्रधान मंत्री के हालिया विदेशी दौरे के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(3) शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ''दिल्ली को जाम मुक्त बनाना'' के बारे में श्री ज्योतिरादित्य एम॰ सिंधिया, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 622 के संबंध में 26 नवम्बर, 2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) दिया।

अपराह्न 12.29 बजे

7. दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, चार वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद्, बंगलौर के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3.1.1 के साथ पठित संस्थान की संपत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबंधन संबंधी स्कीम के

खण्ड 9(1)(ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, स्कीम तथा विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, भारतीय विज्ञान संस्थान परिषद् बंगलौर के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री कलराज मिश्र ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

''कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियमावली, 2006 के नियम 3 के उपनियम (1) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्यों के रूप में, दो वर्ष की अवधि के लिए, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.31 बजे

10. प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 2 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सातवें प्रतिवेदन से उस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि सभा द्वारा पहले ही निपटाई गई क्रम संख्या 1 से 3 की मदों से संबंधित उसकी सिफारिशों का लोप किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.33 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) कई सदस्यों ने गिरिजाघर प्राधिकारियों द्वारा अनुचित कृत्य के भड़काने वाले आरोप के कारण पूर्वी दिल्ली में एक गिरिजाघर में कथित तोड़फोड़ का मुद्दा उठाया।

---

*अपराह्न 12.33 बजे से अपराह्न 1.29 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

अपराह्न 1.09 बजे

(दो) श्रीमती वीणा देवी ने बिहार के मुंगेर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शिलान्यास समारोह के दौरान स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा एक महिला सांसद के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में निवेदन किया।

श्री अश्विनी चौबे सहयोजित हुए।

श्री राजीव प्रताप रूडी ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.29 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.31 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.31 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

(1) योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोर्रा और आमी नदियों को प्रदूषणमुक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री जगदम्बिका पाल ने देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एकसमान मानदेय दर प्रदान किए जाने एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री नाना पटोले ने राष्ट्रीय गैर-अधिसूचित घुमक्कड़ और अर्द्ध-घुमक्कड़ जाति आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किए जाने हेतु 100 राज्यों की सूची में राजस्थान में बीकानेर शहर को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने अनिवार्य दवाइयों की सूची में टाटा मैमोरियल सेन्टर द्वारा सिफारिश की गयी 12 प्रमुख कैंसर दवाओं को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर चिरोती नाका में गैस टैंकर में हुए विस्फोट में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

#अपराह्न 12.44 बजे

(7) डॉ॰ नैपाल सिंह ने केन्द्र सरकार द्वारा रामपुर, उत्तर प्रदेश में कैंसर संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्रीमती कृष्णा राज ने देश के विभिन्न भागों में हर वर्ष आने वाली बाढ़ की रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री अधीन रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों में विद्युतीकरण का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) डॉ॰ के॰ कामराज ने सलेम और पुदुचेरी बारास्ता वृद्धाचलम के बीच नई डेमू ट्रेन सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री एस॰आर॰ विजय कुमार ने तमिलनाडु सरकार को राजसहायता घटक के अंतर्गत पर्याप्त अनुदान प्रदान किए जाने तथा उपभोक्ताओं को एलपीजी राजसहायता के अंतरण हेतु खातों के संचालन हेतु कॉआपरेटिव बैंकों को अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) डॉ॰ रत्ना डे नाग ने पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत पर्याप्त निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री अरविंद सावंत ने मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट को फिर से चालू किए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री भगवंत मान ने देश में प्राणघातक सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोकने हेतु उपचारात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री धनंजय महाडीक ने देश में महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं को स्वस्थ नैपकिन नि:शुल्क प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री राजू शेट्टी ने श्री शिवाजी महाराज की जन्मतिथि 19 फरवरी को ''राष्ट्रभक्ति प्रेरणा दिवस'' मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) श्रीमती संतोष अहलावत ने झुन्झुनू, राजस्थान में खेतड़ी कॉपर कॉम्पलेक्स में तांबे का निष्कर्सन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(18) श्री रमेश बिधूड़ी ने देश में उच्च शिक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा एवं सुविधाओं के स्तर में सुधार किए जाने तथा कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों की भारी संख्या को ध्यान में रखकर देश में विशेषकर दिल्ली में और अधिक कॉलेजों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(19) श्री राहुल कस्वां ने राजस्थान में रतनगढ़-सरदारशहर और सादुलपुर-हनुमानगढ़ रेल लाइन के आमान-परिवर्तन के कार्य में तेजी लाए जाने तथा चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को जोड़ने वाले राज्य में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराहन 3.06 बजे

13. **सरकारी विधेयक—पारित**

लिया गया समय: 2 घंटे 47 मिनट

योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक, 2014

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की—

''माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि हम योजना और वास्तुकला विद्यालय विधेयक, 2014 को विचार के लिए लें, हमें इस पर चर्चा के लिए समय आबंटित करना है। यदि सभा सहमत हो, तो हम दो घंटे आबंटित कर सकते हैं।''

सभा सहमत हुई।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री गौरव गोगोई
2. श्री आलोक संजर
3. श्री के॰एन॰ रामचंद्रन
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री अरविंद गणपत सावंत
7. श्री जैदेव गल्ला

8. डॉ॰ बूरा नरसैय्या गौड
9. श्री पी॰के॰ बिजू
10. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
11. डॉ॰ धर्म वीर गांधी
12. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक
13. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
14. श्री प्रेम दास राई
15. श्री कौशलेन्द्र कुमार
16. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
17. डॉ॰ मनोज राजोरिया
18. श्री के॰ परसुरमन
19. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
20. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 14 स्वीकृत हुए।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 से 29 स्वीकृत हुए।

खंड 30 स्वीकृत हुआ।

खंड 31 से 42 स्वीकृत हुए।

अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 5.54 बजे

14. **सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित**

निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014

सायं 5.56 बजे

(लोक सभा गुरूवार, 04 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

GMGIPMRND—3251LS(S-3)—03-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 4 दिसम्बर, 2014/13 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 42

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सातवीं से ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत् आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रेल मंत्री ने उत्तर-पूर्व रेलवे में मानवरहित लेवल क्रॉसिंग पर हुई दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161—165 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 166—180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841—2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉदर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) वुल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल वुल डेवलपमेंट बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वुल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2770(अ) जो 28 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 सितम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2155(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे:—

(एक) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों (दिल्ली को छोड़कर) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहु-वर्ष संवितरण प्रशुल्क) विनियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-18/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा का प्रापण) पहला संशोधन विनियम, 2014 जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-14/2010 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2014 जो 12 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/144/2013/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत तंत्र विकास निधि) विनियम, 2014 जो 10 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/148/2014/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्युवेबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रिन्युवेबल एनर्जी, कपूरथला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(20) (एक) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(चार) मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) कोचिन पत्तन न्यास, कोचिन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचिन पत्तन न्यास कोचिन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कोचिन पत्तन न्यास, कोचिन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कोचिन पत्तन न्यास, कोचिन के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) का॰आ॰ 1545(अ) से का॰आ॰ 1548(अ) जो 17 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के, उसमें उल्लिखित, विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 467(अ) जो 19 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (डिब्रूगढ़ बाईपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 487(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 और 52 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अतिरिक्त उप-आयुक्त (भूमि अर्जन), जिला सोनितपुर, असम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 488(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 और 52 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अतिरिक्त उप-आयुक्त (राजस्व), गोलाघाट, असम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1147(अ) जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो त्रिपुरा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 (अगरतला-सबरूम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छह) का॰आ॰ 2371(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (डिमोव से डिब्रूगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 2372(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 और 52 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अतिरिक्त उप-आयुक्त (राजस्व), गोलाघाट, असम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2373(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 (नुमालीगढ़ से दा-धारा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 489(अ) जो 20 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 1530(अ) जो 16 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अप्रैल, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1147(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(ग्यारह) का॰आ॰ 668(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37क (कलियाभोमोरा ब्रिज-डोलाबारी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 669(अ) जो 5 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37क (कलियाबोर तिनियाली-कलियाभोमोरा ब्रिज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 803(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुंभकोणम-तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 860(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 और 4 को जोड़ने वाली चेन्नई बाईपास (फेज-I) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 1065(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनमदुराई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 1070(अ) जो 11 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर-मनमदुराई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

*अपराह्न 12.01 बजे

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 14 अगस्त, 2014 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया तथा उसके अनुसरण में निम्नलिखित चार सदस्य उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किए गए:—

1. श्री दिलीपभाई पंडया
2. श्री सुखेन्दु शेखर राय

---

*अपराह्न 12.02 बजे से अपराह्न 1.26 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

3. श्री के॰सी॰ त्यागी

4. श्री सी॰पी॰ नारायणन

समिति में शेष एक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया राज्य सभा के वर्तमान सत्र के दौरान आरंभ की जा रही है।

(लोक सभा अपराह्न 1.26 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.33 बजे पुन:समवेत हुई)

अपराह्न 2.33 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री हरीश चन्द्र मीणा ने राजस्थान में पत्थर उत्खनन में कार्यरत मजदूरों में सिलिकोसिस तथा तपेदिक के प्रकोप की रोकथाम करने तथा प्रभावित व्यक्तियों के इलाज के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री राजेन गोहेन ने असम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत आवंटित निधियों के गबन के लिए जिम्मेदारी तय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री सी॰आर॰ चौधरी ने जोधपुर-दिल्ली एक्सप्रेस (रेलगाड़ी संख्या 22481) को प्रतिदिन चलाए जाने तथा इसे उत्तराखंड में हरिद्वार तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) कुमारी शोभा कारान्दलाजे ने देश में रबड़ के आयात को नियंत्रण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्रीमती पूनम महाजन ने मुम्बई, महाराष्ट्र में मिथी नदी के जीर्णोद्धार हेतु समुचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री नलीन कुमार कटील ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ और उदुप्पी में एंडोसल्फान से पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री हरिनरायन राजभर ने इन्दारा से दोहरीघाट की रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा के लिए राज्य सरकारों को उनके अनुदान का हिस्सा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री देवजी एम॰ पटेल ने जालौर संसदीय क्षेत्र, राजस्थान में सांचौर में कच्चे तेल की पाइपलाइनें बिछाने हेतु उपयोग में लायी जाने वाली कृषि भूमि के लिए किराए की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री ए॰ अरुणमणिदेवन ने तमिलनाडु में कुड्डालोर तथा सलेम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 532 की मरम्मत किए जाने तथा उसका चार लेन वाले मार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री रवीन्द्र कुमार जेना ने ओडिशा के बालासोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की समस्या को हल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री बी॰ विनोद कुमार ने आंध्र प्रदेश के लिए नए उच्च न्यायालय का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नील गायों (वनरोज) के आंतक को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री बदरुद्दीन अज़मल ने असम में बाढ़ के कारण हुई प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने तथा राज्य में बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु अधिक धन दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील ने पार-ताप्ती-नर्मदा, दमनगंगा, पिंजार तथा नार-पार-गिरना नदियों को आपस में जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 3.02 बजे

8. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री बृजभूषण शरण सिंह ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 3.03 बजे

9. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 1 घंटा 29 मिनट

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि हम निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014 को विचार के लिए लें, हमें इस पर चर्चा के लिए समय आबंटित करना है। यदि सभा सहमत हो, तो हम एक घंटा आबंटित कर सकते हैं।''

सभा सहमत हुई।

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा द्वारा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. श्री रवीन्द्र कुमार जेना
4. श्री बी॰ विनोद कुमार
5. डॉ॰ वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
6. श्री पी॰पी॰ चौधरी
7. डॉ॰ रविन्द्र बाबू
8. डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी
9. श्री शेर सिंह गुबाया
10. श्री रत्न लाल कटारिया
11. श्री अजय मिश्रा टेनी
12. श्री गोपाल शेट्टी
13. श्री राजकुमार सैनी
14. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
15. श्री रमेश चन्द्र कौशिक

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 4.32 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 2 घंटे 57 मिनट

श्री कलिकेश नारायण सिंह देव द्वारा देश के विभिन्न भागों में, जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र में सूखे के विशेष संदर्भ में, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में 2 दिसम्बर, 2014 को उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी
2. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
3. श्री शेर सिंह गुबाया
4. श्री सी॰आर॰ चौधरी
5. श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान
6. श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव
7. श्री राधा मोहन सिंह (मंत्री)
8. श्री गजानंद कीर्तिकर
9. श्री बदरूद्दीन अजमल
10. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
11. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
12. श्री दुष्यंत चौटाला
13. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(*लोक सभा शुक्रवार* 5 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

GMGIPMRND—3286LS(S-3)—04-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2014/14 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 43

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधान मंत्री ने एक केंद्रीय मंत्री द्वारा आपत्तिजनक भाषा के कथित प्रयोग के मामले के बारे में एक वक्तव्य दिया।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181—185, 187 और 189 के मौखिक उत्तर दिए गए।

वे दोनों सदस्य, जिनके नाम पर प्रश्न सं॰ 186 और 188 सूचीबद्ध थे, अनुपस्थित थे। तथापि, संबंधित मंत्री ने उत्तर सभा पटल पर रखे। प्रधान मंत्री ने प्रश्न सं॰ 186 के उत्तर के संबंध में स्पष्टीकरण दिया।

तारांकित प्रश्न संख्या 190—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन नियम, 2014 जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 727(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2013-2014 का

वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टिट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलायड स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलायड स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टिट्यूट, सहारनपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) चेन्नई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेन्नई एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ टैनर्स, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अंतर्गत अमोनियम नाइट्रेट (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 622(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2619(अ) जो 14 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 11 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1105(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2014 जो 1 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 555(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स कॉस्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) शेलैक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (पूर्ववर्ती शेलैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्लास्टिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एण्ड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एण्ड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेंज, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स (दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स-यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली), दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) प्रतीची (इंडिया) ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रतीची इंडिया ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) आईडीबीआई बैंक, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आईडीबीआई बैंक, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) 1.4.2014 से 3.6.2014 तक की अवधि के लिए इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई का स्वैच्छिक रूप से इक्विटी शेयर धारकों के लिए परिसमापन करना), कोलकाता के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 1.4.2014 से 3.6.2014 तक की अवधि के लिए इंडस्ट्रियल इंवेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई का स्वैच्छिक रूप से इक्विटी शेयर धारकों के लिए परिसमापन करना), कोलकाता के बारे में परिसमापक प्रतिवेदन, तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) (एक) यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया एश्युरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(32) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2014, जो 25 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1902(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2014, जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2399(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2014, जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2487(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(33) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 25 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/06/1372 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शोध विश्लेषक) विनियम, 2014 जो 1 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/07/1414 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स एण्ड सब-ब्रोकर्स) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/15/1671 में प्रकाशित हुए थे।

(34) (एक) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) डाक घर बचत बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक घर बचत बैंक खाता (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) डाक घर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 221(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) डाक घर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 222(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) डाक घर मासिक आय खाता (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 223(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 224(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 226(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (नौवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 227(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) डाक घर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 490(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) डाक घर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 491(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 492(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) डाक घर (मासिक आय खाता) (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 493(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (आठवां निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 494(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौहद) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (नौंवा निर्गम) (संशोधन) नियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 495(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(36) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत किसान विकास पत्र नियम, 2014 जो 1 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 705(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 12 के अंतर्गत लोक भविष्य निधि स्कीम (संशोधन) नियम, 2014 जो 28 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 225(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 496(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें अधिसूचित किया गया है कि 1 अप्रैल, 2014 को अथवा उसके पश्चात् निधि में प्राप्त अभिदान और अभिदाता के खाते में शेष जमा पर 8.7 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा, दूसरा परन्तुक, अंत:स्थापित किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित की धारा 40 की उपधारा (4) और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1989, बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(40) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(41) वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 की धारा 6 और 8 के साथ पाठित संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2806 जो 1 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2014 तक बढ़ाए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (चेयरपर्सन और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2014 जो 20 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 597(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत प्रसार भारतीय (भारतीय प्रसारण निगम) आकाशवाणी, समाचार वाचक-सह-अनुवादक (ग्रेड I), (ग्रेड II) और (ग्रेड III) भर्ती विनियम, 2014 जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन-10/16/2013-पीपीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई:—

(1) श्रीमती हेमा मालिनी	07.07.2014 से 31.07.2014
(2) श्री दीपक गुरूपद अधिकारी	07.07.2014 से 21.07.2014
(3) श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी	16.07.2014 से 08.08.2014

(4)	स्व॰ श्री कपिल कृष्ण ठाकुर	30.07.2014 से 14.08.2014
(5)	श्री तापस पाल	07.07.2014 से 14.08.2014
(6)	श्री सावंर लाल जाट	09.07.2014 से 14.08.2014
(7)	श्रीमती मौसम नूर	24.11.2014 से 23.12.2014
(8)	श्री एम॰आई॰ शनवास	24.11.2014 से 23.12.2014

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने मंत्रालय से संबंधित गरीबी रेखा से नीचे के मानदण्ड का मूल्यांकन करने संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 72वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 8 दिसम्बर, 2014 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.14 बजे

8. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग की शासी परिषद के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

"कि पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग के नियमावली के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमावली के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग की शासी परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. भारतीय क्षय रोग संघ की केन्द्रीय समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जगत प्रकाश नड्डा ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:—

"कि भारतीय क्षय रोग संघ के नियमों और विनियमों के नियम 3 (सात)(क) के अनुसरण

में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों और विनियमों के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाई गई उपविधियों के अध्यधीन भारतीय क्षय रोग संघ की केन्द्रीय समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. रबड़ बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के उप-नियम (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.17 बजे

11. राजघाट समाधि समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री बाबुल सुप्रियो ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि राजघाट समाधि समिति अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होने वाली अवधि के लिए राजघाट समाधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.16 *बजे स्थगित हुई तथा अपराह्न* 2.22 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

---

*अपराह्न 12.18 बजे से अपराह्न 1.16 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.22 बजे

12. सरकारी विधेयक — नहीं लिया गया

निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014

श्री डी॰वी॰ सदानंद गौड़ा ने अध्यक्षपीठ से निवेदन किया कि प्रतिपक्ष के सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए, विधेयक सोमवार 8 नवम्बर, 2014 को लिया जाए।

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 2.23 बजे

13. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 4 घंटे 04 मिनट

श्री कलिकेश नारायण सिंह देव द्वारा देश के विभिन्न भागों में, जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र में सूखे के विशेष संदर्भ में, प्राकृतिक आपदाओं पर 2 दिसम्बर, 2014 को उठायी गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
2. श्री भर्तृहरि महताब
3. श्रीमती रमा देवी
4. श्री विनायक भाऊराव राऊत
5. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
6. श्री हुकुम सिंह
7. श्री जगदम्बिका पाल
8. श्री केशव प्रसाद मौर्य (*भाषण अपूर्ण रहा*)

चर्चा पूरी नही हुई।

अपराह्न 3.30 बजे

14. प्रस्ताव

श्री रतन लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 3 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.32 बजे

15. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प — विचाराधीन

श्री राजू शेट्टी द्वारा 18 जुलाई, 2014 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह कृषि क्षेत्र में संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृषक आयोग, जिसे 'स्वामीनाथन आयोग' के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।''

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भर्तृहरि महताब (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
3. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
4. डॉ॰ सत्यपाल सिंह
5. श्री भगवंत मान
6. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
7. श्री रतन लाल कटारिया
8. श्री हुकुम सिंह
9. श्री निशिकांत दुबे
10. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते
11. श्री पी॰पी॰ चौधरी
12. श्री जगदम्बिका पाल

13. श्री नगेन्द्र कुमार प्रधान

14. श्री वीरेन्द्र सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

(*लोक सभा सोमवार,* 08 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

GMGIPMRND—3362LS(S-3)—05-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 8 दिसम्बर, 2014/17 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 44

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 5 दिसम्बर, 2014 को जम्मू और कश्मीर में चार सिलसिलेवार आतंकवादी हमलों में आठ सैन्य कर्मियों, तीन पुलिस वालों और दो नागरिकों की मृत्यु हो जाने की सूचना के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्या दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.11 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201—205 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 206—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मे विवरण।

(दो) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रैगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 22 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 680(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) (क) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) (क) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) (क) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(9) एयरो क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क)(एक) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ईस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रॉक मेकेनिक्स, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) जवाहर लाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर लाल नेहरू एल्युमीनियम रिसर्च डेवलपमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ, नागपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.05 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

*(1) गृह मंत्री ने 5/6.12.2014 को दिल्ली में एक कैब चालक द्वारा एक महिला के साथ कथित बलात्कार की घटना के बारे में वक्तव्य दिया।

---

*अपराह्न 12.07 बजे

(2) जनजातीय कार्य मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में सामाजिक न्याय संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने 'श्रम कानूनों में संशोधन' के बारे में सर्वश्री सी॰एन॰ जयदेवन, धर्मेन्द्र यादव, कोडीकुन्नील सुरेश, दिलीप सिंह भूरिया, श्रीरंग आप्पा बारणे, अधलराव पाटील शिवाजीराव, सुमेधानन्द सरस्वती और राम मोहन नायडू किंजरापु, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 147 के संबंध में 24 नवम्बर, 2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य दिया।

#अपराह्न 12.09 बजे

7. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री एंटो एन्टोनी ने दिल्ली और देश के अन्य भागों में चर्चों पर कथित हमले के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री पी॰के॰ बिजू, पी॰ करुणाकरन, एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन, जोस के॰ मणि, मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और एडवोकेट जोएस जॉर्ज सहयोजित हुए।

श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.08 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.12 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.12 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री कौशल किशोर ने वन विभाग और रेल विभाग की अनुप्रयुक्त भूमि को खेतिहर मजदूरों को खेती के लिए प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री कीर्ति आजाद ने बिहार में दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं प्रदान किये जाने तथा स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री रामदास सी॰ तडस ने सभी पात्र कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन भोगियों को 1000 रु॰ की न्यूनतम पेंशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

#अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 1.08 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(4) श्री प्रहलाद सिंह पटेन ने समाचार चैनलों में कार्यरत् कर्मचारियों, जो बेरोजगार हो गये हैं अथवा देश में छटनी की आशंका का सामना कर रहे हैं को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री शरद त्रिपाठी ने देश में सीवर ट्रीटमेंट प्लांटों के समुचित संचालन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) डॉ॰ स्वामी साक्षीजी महाराज ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बूचड़खानों, जिनकी वजह से क्षेत्र की लोन नदी प्रदूषित हो रही है तथा लोगों को गंभीर स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ रहा है, को बंद किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) भैरो प्रसाद मिश्र ने उत्तर प्रदेश में झाँसी-मनिकपुर तथा बाँदा-कानपुर रेल लाइनों के दोहरीकरण तथा इन मार्गों पर चलने वाली रेलों के फेरे बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी ने गुजरात में सेंटर फॉर कॉटन एक्सीलेंस को स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री ताम्रध्वज साहू ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की वर्दी और जूतों को कूड़े के ढेर में फेंके जाने के खिलाफ समुचित कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री पी॰आर॰ सुन्दरम ने तमिलनाडु में नामक्कल रेलवे स्टेशन के लिये एक वैकल्पिक संपर्क सड़क का निर्माण किये जाने तथा नामक्कल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री तापस पाल ने पश्चिमी बंगाल में कृष्ण नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नादिया में कृष्णा नगर और बथूधाहरी समपारों पर एक फ्लाई ओवर या पैदल पार पथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) डॉ॰ (प्रो॰) प्रसन्न कुमार पाटसाणी ने उड़ीसा, भुवनेश्वर में खंडागिरी स्कवेयर और कोलाथिया के बीच एक फ्लाई ओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री विनोद कुमार बोयनापल्ली ने तेलंगाना में एक मेगा पर्यटक सर्किट बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री पी॰ करुणाकरन ने बाल कल्याण योजना में लगे अध्यापकों और हेल्परों का मानदेय बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव ने देश में अनैतिक चिकित्सा प्रैक्टिस में लगे नीम हकीमों और नकली डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.34 बजे

9. **सरकारी विधेयक — पारित**

लिया गया समय: 2 घंटे 19 मिनट

निरसन और संशोधन (दूसरा) विधेयक, 2014

श्री डी॰वी॰ सदानन्द गौड़ा द्वारा 4 दिसम्बर, 2014 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एम॰ वीरप्पा मोइली
2. श्री कल्याण बनर्जी
3. श्री दुष्यंत चौटाला
4. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
5. डॉ॰ ए॰ सम्पत

श्री डी॰वी॰ सदानन्द गौडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री डी॰वी॰ सदानन्द गौड़ा द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित,पारित हुआ।

अपराह्न 3.24 बजे

10. **अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) — 2014-2015**

श्री अरूण जेटली ने वर्ष 2014-15 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 3.25 बजे

11. **सरकारी विधेयक — पुरःस्थापित**

संदाय और परिनिर्धारण प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014

अपराह्न 3.26 बजे

12. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 6 घंटे 54 मिनट

श्री कलिकेश नारायण सिंह देव द्वारा देश के विभिन्न भागों में, जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हुदहुद चक्रवात और महाराष्ट्र में सूखे के विशेष संदर्भ में, 2 दिसम्बर, 2014 को प्राकृतिक आपदाओं पर उठायी गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री केशव प्रसाद मौर्य (अपना भाषण पुन: आरंभ किया)
2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री कीर्ति आजाद
4. श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर
5. डॉ॰ रत्ना (नाग) डे
6. श्रीमती कोथापल्ली गीता
7. श्रीमती संतोष अहलावत

8. श्री गौरव गोगोई
9. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
10. श्री धर्मेन्द्र यादव
11. डॉ॰ धर्म वीर गांधी
12. नाना पटोले
13. डॉ॰ अरूण कुमार
14. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
15. डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय
16. श्री कौशलेन्द्र कुमार
17. श्रीमती कविता कलवकुंतला
18. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
19. श्री दद्दन मिश्रा
20. श्री अशोक शंकरराव चव्हाण
21. श्रीमती कृष्णा राज
22. श्री किरेन रिजीजू

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.16 बजे

13. **सदस्य द्वारा निवेदन**

श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल* द्वारा छत्तीसगढ़ नक्सली हमले के शहीदों के प्रति अमानवीय व्यवहार संबंधी मुद्दे पर किए गए निवेदन पर श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर दिया।

सायं 6.17 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 09 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई)*

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

---

*पूर्वाह्न 11.10 बजे।

GMGIPMRND—3410LS(S-3)—08-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2014/18 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 45

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221—225 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 226—240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 12 और 13 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1680(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 2003(अ) जो 6 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 1880(अ) जो 22 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जनवरी, 1998 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 93(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पर्यावरण (संरक्षण) (पांचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 25 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 612(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओजोन अपक्षारीय पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2014 जो 4 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1033(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत वन (संरक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 2014 जो 10 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 713(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एण्ड्रू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एण्ड्रू यूले एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) (एक) नेशनल बाईसिकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाईसिकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(13) हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम तथा वर्ष 2012-2013 के लिए इसके कार्यान्वयन के बारे में 44वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 जो 21 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 600(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल और सेवा की शर्तें तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्ते की संदायगी) दूसरा संशोधन नियम, 2014 जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 669(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 668(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 30 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 544(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(15) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 की धारा 389 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2238(अ) जो 5 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् भंग किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2239(अ) जो 5 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित सदस्यों को शामिल करते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के गठन के बारे में है।

(16) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मूल संवर्ग (समूह ख योद्धक पद) भर्ती नियम, 2014 जो 9 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 639(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) विदेश अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 2 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2648(अ) जो 16 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ' को उक्त अधिनियम के उपबंधों से छूट प्रदान की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 108 की उपधारा (1) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2014 जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 725(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एम॰पी॰ स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एम॰पी॰ स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत खाद्यान्न की कम आपूर्ति हेतु राज्य सरकारों के लिए निधियों की व्यवस्था नियम, 2014 जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 743(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

*(23) संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) न्यायपालिका में आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, मार्च, 2012 ।

(दो) न्यायपालिका में आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन, मार्च, 2012 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

*(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

---

*सायं 6.01 बजे।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि राज्य सभा 8 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 1 दिसम्बर, 2014 को पारित कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधियां (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत है।

(दो) कि राज्य सभा 8 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 नवम्बर, 2014 को पारित संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत है।

5. श्रम संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी कर्मकारों का कल्याण' के बारे में 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेतर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 36वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेतर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेतर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'इलाहाबाद बैंक के अस्थायी ड्राइवरों का आमेलन/नियमितीकरण' के बारे में 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेतर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) 'मऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों के बुनकरों का कल्याण-एक मामलापरक अध्ययन' के बारे में 38वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अग्रेतर कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता वृत्ति और प्रबंध संस्थान (एनआईएफटीईएम) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 57वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वियन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

7. अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री राजेन गोहेन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा नियम 254 के उप-नियम (3) के अंतर्गत सर्वश्री बंडारू दत्तात्रेय और हंसराज गंगाराम अहीर, जिन्हें मंत्री नियुक्त किया गया है, *के स्थान पर* अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति की अवधि के शेष भाग के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

8. ध्यानाकर्षण

डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने श्रीलंका की नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों के अपहरण और उनके उत्पीड़न से संबंधित समस्या और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

विदेश मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

विदेश मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

अपराह्न 12.30 बजे

9. प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 8 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से सहमत है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.43 बजे

10. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया, संसद सदस्य और मोहम्मद सलीम, संसद सदस्य ने कोलकाता में सार्वजनिक रैली के दौरान एक सदस्य द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में निवेदन किया।

श्री पी॰ करूणाकरन सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वैंकैय्या नायडु ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न* 12.58 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.03 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.03 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्रीमती किरण खेर ने चंडीगढ़ में एक समर्पित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कोयला खान का आबंटन किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री डी॰एस॰ राठौड़ ने अहमदाबाद हवाई अड्डे में वाहनों के पार्किंग क्षेत्र के भीतर पार्किंग शुल्क संग्रह केबिन स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री सतीश चंद्र दुबे ने दिल्ली और मुजफ्फरपुर (बिहार) के बीच एक गरीबरथ एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12211/12212) प्रतिदिन चलाये जाने और बाघा, बिहार में ट्रेन का ठहराव दिये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री ए॰टी॰ नाना पाटील ने अमृतसर एक्सप्रेस (ट्रेन सं॰ 11057/11058) को दादर, मुंबई से चलाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्रीमती रेखा वर्मा ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत् मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को दी जा रही मानदेय की दरों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.38 बजे से अपराह्न 12.57 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) कर्नल सोनाराम चौधरी ने राजस्थान विशेषत: बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीमा पर बाड़ लगाने हेतु जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हें राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मध्य प्रदेश में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यरत् श्रमिकों की मजूदरी के बकाया का भुगतान जल्द किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) डॉ॰ उदित राज ने बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में विधवाओं, सैन्य कर्मियों और कमजोर वर्ग के लोगों को आबंटित भूमि उन्हें वापिस दिलाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री अजय मिश्रा टेनी ने उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वन्य जीवों द्वारा मनुष्यों को लगी चोटों और मानव जीवन की हानि तथा फसलों को हुई हानि के बदले पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी ने मचेरला से नलगोंडा के बीच ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री दीपेन्द्र हुड्डा ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक रैंक, एक पेंशन योजना लागू किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री जी॰ हरि ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वित्त वर्ष 2014-15 के बाद भी जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री वी॰ एलुमलाई ने सांसद आदर्श ग्राम योजना हेतु अलग निधि प्रधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) प्रो॰ सौगत राय ने विशेषत: पश्चिमी बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पर्याप्त निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) डॉ॰ कुलमणि सामल ने पारादीप पत्तन, ओडिशा में पारादीप मरीन पुलिस स्टेशन के भवन निर्माण के लिये भूमि का आबंटन किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री संजय हरिभाऊ जाधव ने महाराष्ट्र के परभणि और जालना जिलों में बीएसएनएल की मोबाइल सेवा में सुधार लाने और महाप्रबंधक के रिक्त पद को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री धनंजय महाडीक ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(18) श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन ने केरल में कोलम जिले के परिपल्ली में ईएसआई मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिये तुरंत कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(19) श्री रमेश विधूड़ी ने दिल्ली में दुधारू पशुओं के पालन की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.36 बजे

12. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 1 घंटा 39 मिनट

संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री अरूण जेटली द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती वी॰ सत्यबामा
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. प्रो॰ रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़
6. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
7. डॉ॰ ए॰ सम्पत
8. कुमारी सुष्मिता देव

श्री अरूण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरूण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.15 बजे

13. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 7 घंटे 34 मिनट

(एक) श्री कलिकेश नारायण सिंह देव द्वारा 2 दिसम्बर, 2014 को देश के विभिन्न भागों तथा जम्मू और कश्मीर में वर्षा और बाढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हुदहुद चक्रवात तथा महाराष्ट्र में सूखे के विशेष संदर्भ में, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही:—

श्री राधा मोहन सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 4.55 बजे

अनुमेय समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	1 घंटा 5 मिनट
शेष	:	55 मिनट

(दो) श्री शंकर प्रसाद दत्ता ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कथित रूप से निष्प्रभावी बनाए जाने के बारे में एक चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
2. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा

3. श्री वी॰ एलुमलाई (*भाषण अपूर्ण रहा*)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#सायं 6.59 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 10 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

#सायं 6.01 बजे से सायं 6.59 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3455LS(S-3)—09-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2014/19 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 46

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

अपराह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241—246 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 247—260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761—2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) भारतीय हज समिति के वर्ष 2013-2014 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय हज समिति के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतर्संबंध (डिजिटल एड्रेसेबल केबल टेलीविजन सिस्टम्स) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014 जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6-33/2014-बी एण्ड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतर्संबंध (आठवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6-32/2014-बी एण्ड सीएस में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वायरलेस डाटा सेवाओं के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक (संशोधन) विनियम, 2014 जो 24 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 305-3/2014-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(चार) इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड सर्विसेज (अभिगम प्रभार) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 20 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 409-21/2013-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बुनियादी दूरभाष सेवा (वायरलाइन) के लिए सेवा की गुणवत्ता के मानक और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सर्विस (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 21 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 305-01/2014-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकार्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकार्पोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्टेट एजुकेशन मिशन अथॉरिटी ऑफ मेघालय (सर्व शिक्षा अभियान), शिलांग के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), पटना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उपधारा (3) के अंतर्गत वास्तुविद परिषद (संशोधन) नियम, 2014 जो 16 अगस्त, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 173 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रथम परिनियम जो 19 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2078(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सेल एण्ड रिजेनेरेटिव मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन वैक्सीन्स कारपोरेशन लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावडर मेटलर्जी एण्ड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज, बंगलौर , के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) रिसर्च एण्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिसर्च एण्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) आठवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं तथा सोलहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

आठवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 35	नौवां सत्र, 1987
2. विवरण संख्या 32	बारहवां सत्र, 1988
3. विवरण संख्या 40	तेरहवां सत्र, 1989

दसवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या 47	चौथा सत्र, 1992
5. विवरण संख्या 42	तेरहवां सत्र, 1995

ग्यारहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या 42	चौथा सत्र, 1997
7. विवरण संख्या 35	पांचवां सत्र, 1997

तेरहवीं लोक सभा

8. विवरण संख्या 46	चौथा सत्र, 2000
9. विवरण संख्या 33	पांचवां सत्र, 2000
10. विवरण संख्या 33	बारहवां सत्र, 2003
11. विवरण संख्या 27	तेरहवां सत्र, 2003
12. विवरण संख्या 31	चौदहवां सत्र, 2003

चौदहवीं लोक सभा

13. विवरण संख्या 31	चौथा सत्र, 2005
14. विवरण संख्या 27	पांचवां सत्र, 2005
15. विवरण संख्या 30	छठा सत्र, 2006
16. विवरण संख्या 30	सातवां सत्र, 2006
17. विवरण संख्या 24	आठवां सत्र, 2006
18. विवरण संख्या 26	नौवां सत्र, 2006
19. विवरण संख्या 22	ग्यारहवां सत्र, 2007
20. विवरण संख्या 23	बारहवां सत्र, 2007
21. विवरण संख्या 24	तेरहवां सत्र, 2008
22. विवरण संख्या 21	चौदहवां सत्र, 2008
23. विवरण संख्या 18	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

24. विवरण संख्या 20	दूसरा सत्र, 2009
25. विवरण संख्या 18	तीसरा सत्र, 2009
26. विवरण संख्या 18	चौथा सत्र, 2010
27. विवरण संख्या 15	पांचवां सत्र, 2010

28. विवरण संख्या 14	छठा सत्र, 2010
29. विवरण संख्या 12	सातवां सत्र, 2011
30. विवरण संख्या 12	आठवां सत्र, 2011
31. विवरण संख्या 11	नौवां सत्र, 2011
32. विवरण संख्या 10	दसवां सत्र, 2012
33. विवरण संख्या 8	ग्यारहवां सत्र, 2012
34. विवरण संख्या 7	बारहवां सत्र, 2012
35. विवरण संख्या 6	तेरहवां सत्र, 2013
36. विवरण संख्या 4	चौदहवां सत्र, 2013
37. विवरण संख्या 2	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

38. विवरण संख्या 1	दूसरा सत्र, 2014

(31) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2014, जो 13 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 719(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2014, जो 13 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 720(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(33) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सर्च कमिटी (चेयरपर्सन और लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति हेतु उनके नामों की तालिका का गठन, सदस्यों की नियुक्ति की निबंधन और शर्तें और

उनके चयन की रीति) संशोधन नियम, 2014, जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 620(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लोक सेवक (सूचना और आस्तियों और देयताओं की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किए जाने तथा विवरणी प्रस्तुत करने में आस्तियों की छूट) संशोधन नियम, 2014, जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 638(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(34) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 62 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2256(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 409(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गंडाकी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, गंडाकी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) दूसरा संशोधन नियम, 2014, जो 19 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 822(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय सिविल सेवा (श्रेणीकरण, नियंत्रण और अपील) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014, जो 31 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 769(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(39) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 747(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आंध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 748(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 749(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 750(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ओडिशा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 751(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पश्चिम बंगाल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 752(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केरल प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2014 जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 753(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(40) नेशनल माइनरीटिज डेवलपमेंट एवं फाइनेंस कार्पोरेशन तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन प्राधिकरण) अरूणाचल प्रदेश, इटानगर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए राज्य मिशन प्राधिकरण) अरूणाचल प्रदेश, इटानगर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान) पंचकूला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकूला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकूला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकूला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान केरल, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(53) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 25 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या आईजी/एडमिन॰(जी)/एसटी॰ 6ए/2013/3313 जो 15 अगस्त, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रबंध बोर्ड में नामनिर्देशन से संबंधित उक्त अधिनियम के परिनियम 6क के खंड (1) (v) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 2924 (अ) जो 17 नवंबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा श्री सतीश चंद्र, महाप्रबंधक (विधि), दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की तारीख से 30 जून, 2015 तक किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक चोट अथवा दिल्ली मेट्रो के कार्यकरण के कारण किसी संपत्ति की क्षति होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में प्रतिकर के दावों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजनार्थ दावा आयुक्त के पद का अतिरिक्त प्रभार समनुदिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) चेन्नई मेट्रो रेल (वहन और टिकट) नियम, 2014 जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 758(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल (दुर्घटनाओं की सूचनाएं और उन पर जांच) नियम, 2014 जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 759(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चेन्नई मेट्रो रेल (दावों की प्रक्रिया) नियम, 2014 जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 760(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चेन्नई मेट्रो रेल (दावा आयुक्त के दुर्व्यवहार या अक्षमता के अन्वेषण की प्रक्रिया) नियम, 2014 जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 761(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(59) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलुरू का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 09 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 26 नवम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के विवरण

श्रीमती विजया चक्रवर्ती ने महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड द्वारा महिलाओं के लिए ऋण सुविधाए' विषय पर समिति के 20वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2009-2010) के पहले प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों का कार्यकरण' विषय पर समिति के 12वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2011-2012) के 17वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'यौन उत्पीड़न और दुर्व्यापार के पीड़ित और उनका पुनर्वास' विषय पर समिति के 19वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2013-2014) के 22वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

8. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ॰ किरीट सोमैया ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ''केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्यकरण'' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित ''अनुदानों की मांगों (2013-14)'' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर

सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(3) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ''अनुदानों की मांगों (2013-14)'' के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(4) विद्युत मंत्रालय से संबंधित ''राष्ट्रीय ग्रिड का विकास'' के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

9. **रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों 2014-15 के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) भेषज विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों 2014-15 के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

10. सरकारी विधेयक पुर:स्थापित

कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014

अपराह्न 12.13 बजे

11. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 5) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक स्पष्टीकारक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*अपराह्न 12.14 बजे

12. सदस्यों द्वारा निवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया, संसद सदस्य ने एक सदस्य द्वारा संसद के बाहर प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई अपमानजनक टिप्पणी के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री एम॰ वैंकैय्या नायडू, मल्लिकार्जुन खड़गे और मुलायम सिंह यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात कही।

अध्यक्ष ने इस पर टिप्पणी की।

तत्पश्चात्, श्री कल्याण बनर्जी ने अपना खेद व्यक्त किया।

(लोक सभा अपराह्न 1.28 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.31 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.31 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री प्रह्लाद जोशी ने हुबली, कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर स्थित सर्विस रोड की तत्काल मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्रीमती रीती पाठक ने सिंगरौली, मध्य प्रदेश से भोपाल होकर दिल्ली तक तत्काल रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रविन्दर कुशवाहा ने देवरिया, उत्तर प्रदेश से हल्दिया, पश्चिम बंगाल तक अंतरदेशीय जलमार्ग प्रारंभ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री अर्जुन लाल मीणा ने उदयपुर से डुंगरपुर और हिम्मतनगर होते हुए अहमदाबाद तक की रेलवे लाईन को ब्रॉडगेज लाईन में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री अंशुल वर्मा ने हरदोई, उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिल के कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य सेवा लाभ के बकाया का भुगतान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.14 बजे से अपराह्न 1.28 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(6) श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने सूरत और नई दिल्ली के बीच सुबह एवं शाम को विमान सेवाएं चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री चिन्तामन नावाशा वांगा ने महाराष्ट्र में पालघर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के घोड़बंदर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 पर एक नये उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री गणेश सिंह ने मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेल प्राधिकरण स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) डॉ॰ संजय जायसवाल ने देश में जानवरों पर सौंदर्य प्रसाधनों के क्लीनिकल परीक्षण किये जाने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री दद्दन मिश्रा ने नेपाल से निकलने वाली नदियों और नालों, जिनके कारण उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल प्लवान और भूमि का कटाव होता है, में से पत्थर, बजरी और बालू हटाये जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्रीमती रंजीत रंजन ने प्रदूषित भूमिगत पेयजल, जिसके कारण उत्तर बिहार के लोगों में कैंसर और घेंघा जैसी बीमारियां हो रही हैं, की समस्या का समाधान करने के लिये इसके कारणों के बारे में प्रतिवेदन देने तथा इस संबंध में उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिये विशेषज्ञों का एक दल बिहार भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा ने कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 और 206 को क्रमश: छह लेन और चार लेन का बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) डॉ॰ के॰ गोपाल ने देश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ रत्ना डे ने पश्चिम बंगाल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन कार्यक्रम के मार्गदर्शी सिद्धांतों और तकनीकी विनिर्दिष्टयों के अनुसार सड़कों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने आंध्र प्रदेश में प्रमुख संस्थान स्थापित करने और नॉलेज हब निर्मित किये जाने हेतु वर्ष 2014-2015 में अनुपूरक बजटीय प्रावधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री भगवंत मान ने अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में अपने संबंधियों के पक्ष में किये जाने वाले विप्रेषणों को कर मुक्त किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति की व्यापक समीक्षा करने हेतु गठित डॉ॰ मीना कुमारी समिति की सिफारिशों की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री रामा किशोर सिंह ने सर्वशिक्षा अभियान में लगे प्रेरकों के मानदेय की दर में वृद्धि किये जाने तथा उनकी सेवाएं नियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.32 बजे

14. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—2014-2015

लिया गया समय: 4 घंटे 01 मिनट

वर्ष 2014-15 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं॰ 1 से 4, 7 से 9, 11 से 13, 15 से 17, 19, 20, 28, 29, 31 से 34, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 58 से 60, 62, 66, 68 से 70, 73, 75 से 77, 83, 88 से 90, 92, 95, 98, 102 से 104 और 106 से 108 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एम॰ वीरप्पा मोइली
2. डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक
3. डॉ॰ जे॰ जयवर्धन
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री गजानन कीर्तिकर
7. श्री बी॰ विनोद कुमार
8. श्री पी॰ करूणाकरन
9. डॉ॰ किरीट सोमैया
10. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
11. श्री एन॰ क्रिष्टप्पा
12. श्री शेर सिंह गुबाया

13. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
14. श्री दुष्यंत सिंह
15. श्री जी॰ हरि
16. डॉ॰ अरूण कुमार
17. श्री बदरूद्दीन अजमल
18. श्री भगवंत मान
19. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
20. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
21. श्री दुष्यंत चौटाला
22. श्री कौशलेन्द्र कुमार

श्री अरूण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1 से 4, 7 से 9, 11 से 13, 15 से 17, 19, 20, 28, 29, 31 से 34, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 58 से 60, 62, 66, 68 से 70, 73, 75 से 77, 83, 88 से 90, 92, 95, 98, 102 से 104 और 106 से 108 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) वर्ष 2014-2015 के लिए अनुदानों की अनुपरक मांगों (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

सायं 6.30 बजे

15. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2014

16. सरकारी विधेयक—पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2014

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री अरूण जेटली द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और खण्ड 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरूण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.33 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 11 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

GMGIPMRND—3511LS—10-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2014/20 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 47

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री अन्ना जोशी, दसवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261—264 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.57 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.07 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 265—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.07 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में 8 दिसम्बर, 2014 को फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2014 जीतने पर बधाई दी।

5. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

*(1) भारतीय विधि आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्रतिवेदन संख्या 245—बकाया और अपूर्त: अतिरिक्त न्यायिक महिलाशक्ति का सृजन—जुलाई, 2014

(दो) प्रतिवेदन संख्या 246—माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन—अगस्त, 2014

(तीन) प्रतिवेदन संख्या 247—भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 41 से 48—प्रस्तावित सुधार—सितम्बर, 2014

(चार) प्रतिवेदन संख्या 248—''अप्रचलित विधियां: तत्काल निरसन का आधार प्रस्तुत करना'' (अंतरिम प्रतिवेदन)—सितम्बर, 2014

*(2) विधि आयोग के लंबित प्रतिवेदनों—दिसम्बर, 2014 से संबंधित 10वें वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आणंद, आणंद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

---

*अपराह्न 12.27 बजे।

(दो) ग्रामीण प्रबंध संस्थान, आणंद, आणंद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सिंथिटिक और रेयोन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथिटिक और रेयोन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉरपेट टेक्नोलॉजी, भदोई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कॉरपेट टेक्नोलॉजी, भदोई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि (संशोधन) नियम, 2014 जो 16 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 174 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 2014 जो 16 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 175 में प्रकाशित हुए थे।

(10) (एक) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सिंथिटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथिटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-7/1/0एस44 (59)-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य पारेषण और संबंधित मामलों में संपर्क, दीर्घावधि अभिगम और मध्यम-अवधि खुला अभिगम प्रदान करना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2014 जो 21 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1(93)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों के एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे—

(16) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(17) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(18) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारतीय सड़क निर्माण कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सड़क निर्माण कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(19) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 594(अ) जो 20 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय मत्स्यन नावों के पंजीकरण, सर्वेक्षण और प्रमाणन हेतु संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की धारा 13 के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि (राज्य सड़कें) नियम, 2014 जो 24 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 531 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1225(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (रीवा-हुनमाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1380(अ) जो 27 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (जालंधर-बरनाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 1610(अ) जो 26 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 43(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 1612(अ) जो 26 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (बिलासपुर-अम्बिकापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1647(अ) जो 30 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1961(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 1835(अ) जो 15 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1988(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का॰आ॰ 1879(अ) जो 21 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (चित्रदुर्ग से शिमोगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2059(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 457(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का॰आ॰ 2117(अ) जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (इलाहाबाद से उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(दस) का॰आ॰ 2178(अ) जो 28 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 (नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 153) (रायगढ़–सारणगढ़–सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 2217(अ) से का॰आ॰ 2219(अ) जो 3 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75ड (रीवा–सिधी खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(बारह) का॰आ॰ 2290(अ) जो 9 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 149 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु तहसीलदार, पल्लाहारा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तेरह) का॰आ॰ 2325(अ) जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1346(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का॰आ॰ 2322(अ) जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर–नागौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 2332(अ) जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (धमतरी–जगदलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का॰आ॰ 2335(अ) जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 23 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2825(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का॰आ॰ 2323(अ) जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (जबलपुर–माडला चिल्पी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 2330(अ) और का॰आ॰ 2331(अ) जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 (कल्याण–आंध्र प्रदेश सीमा खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 2321(अ) जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जबलपुर–भोपाल खण्ड)के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 2329(अ) जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर–जोधपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 2324(अ) जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3084(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का॰आ॰ 2491(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65

(जोधपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 2400(अ) और का॰आ॰ 2401(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 2581(अ) जो 1 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3316(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का॰आ॰ 2492(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य की राजमार्ग संख्या 89 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 2580(अ) जो 1 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 2375(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 216 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 153) (रायगढ़, सारणगढ़, सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 333(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163) (यादगिरी-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 498(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुपति-आंध्र प्रदेश/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 433(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163) (हैदराबाद-यादगिरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 807(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा-कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1138(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (विजयवाड़ा-मछलीपटनम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 1136(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विजयवाड़ा बाइपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 1891(अ) से का॰आ॰ 1893 (अ) जो 24 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का॰आ॰ 2060(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 7 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1035(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छत्तीस) का॰आ॰ 2061(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 485(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का॰आ॰ 2062(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़तीस) का०आ० 2063(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 293(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनतालीस) का०आ० 2064(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का०आ० 2065(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2572(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतालीस) का०आ० 2066(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का०आ० 2067(अ) जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका शुद्धिपत्र 4 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या का०आ० 873(अ) में दिया गया है।

(तैंतालीस) का०आ० 2204(अ) और का०आ० 2205(अ) जो 2 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चवालीस) का०आ० 2206(अ) जो 2 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतालीस) का०आ० 2207(अ) जो 2 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियालीस) का०आ० 2208(अ) जो 2 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 2232(अ) जो 5 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 2233(अ) जो 5 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनचास) का॰आ॰ 2234(अ) जो 5 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 147क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में विलोपन किया गया है।

(पचास) का॰आ॰ 2235(अ) जो 5 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मणिपुर राज्य में राजमार्ग संख्या 102क को राष्ट्रीय राजमार्ग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 2236(अ) जो 5 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1230(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बावन) का॰आ॰ 2237(अ) जो 5 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरपन) का॰आ॰ 1374(अ) जो 27 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 217 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चौवन) का॰आ॰ 1118(अ) जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 26 और 57 के बाइपास के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु तहसीलदार बोलंगीर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(पचपन) का॰आ॰ 79(अ) जो 13 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 146) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(छप्पन) का॰आ॰ 3704(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का॰आ॰ 3755(अ) जो 20 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का॰आ॰ 3674(अ) जो 17 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 3813(अ) जो 26 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतूल-पंढुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 3504(अ) जो 27 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 विस्तार (भोपाल से सांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 1511(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बासठ) का॰आ॰ 1512(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 767(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तिरसठ) का॰आ॰ 1513(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।

(चौंसठ) का॰आ॰ 1514(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंसठ) का॰आ॰ 1515(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(छियासठ) का॰आ॰ 1516(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 सितम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2794(अ) को रद्द किया गया है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 1517(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का॰आ॰ 1518(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 1519(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(सत्तर) का॰आ॰ 1520(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका शुद्धिपत्र 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1096(अ) में दिया गया है।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 1521(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बहत्तर) का॰आ॰ 1522(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 1670(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 1671(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भरत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 1672(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राजमार्ग संख्या 49 और 210 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 1673(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1297(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 1674(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 1833(अ) जो 15 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में राजमार्ग संख्या 23 और 200 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(उनासी) का॰आ॰ 1834(अ) जो 15 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अस्सी) का॰आ॰ 2413(अ) जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202

(नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163) (यादगिरि–वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 2317(अ) जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (कोलकाता–चेन्नई कॉरीडोर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयासी) का॰आ॰ 2405(अ) जो 17 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरासी) का॰आ॰ 330(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163) (यादगिरि–वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरासी) का॰आ॰ 808(अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा–कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचासी) का॰आ॰ 2119(अ) जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2429(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छियासी) का॰आ॰ 2848(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडापा–कुरनूल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतासी) का॰आ॰ 2582(अ) जो 1 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(अठासी) का॰आ॰ 2596(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 (पटना-महाबलीपुर-अरवल-औरंगाबाद-हरिहरगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नवासी) का॰आ॰ 2621(अ) और का॰आ॰ 2624(अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(नब्बे) का॰आ॰ 1715(अ) जो 17 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-बावल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(इक्यानवे) का॰आ॰ 1725(अ) जो 17 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (किरतपुर-बिलासपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बानवे) का॰आ॰ 124(अ) जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (अम्बाला-कैथल खण्ड) के निर्माण,अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरानवे) का॰आ॰ 3289(अ) जो 31 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरानवे) का॰आ॰ 3291(अ) जो 31 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2619(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पचानवे) का॰आ॰ 3295(अ) जो 31 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30क

(फतुहा-हरनौत-बाढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियानवे) का॰आ॰ 2992(अ) जो 3 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 201 (नबरंगपुर-कोकासरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतानवे) का॰आ॰ 2618(अ) से का॰आ॰ 2620(अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकशित हुए थे तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 (पटना-महाबलीपुर-अरवल-औरंगाबाद-हरिहरगंज खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे हैं।

(अठानवे) का॰आ॰ 1933(अ) जो 1 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 106 (बिरपुर-बिहपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(निन्यानवे) का॰आ॰ 2595(अ) जो 23 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 (पटना-महाबलीपुर-अरवल-औरंगाबाद-हरिहरगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(22) उपर्युक्त मद संख्या (21) के (तिरानवे) और (निन्यानवे) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2014 जो 21 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 604(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2014 जो 17 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 665(अ)में प्रकाशित हुए थे।

(24) (एक) मुंबई पत्तन न्यास (पेंशन निधि ट्रस्ट), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुंबई पत्तन न्यास (पेंशन निधि ट्रस्ट), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कांडला पत्तन न्यास, कांडला के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

(एक) कि 14 अगस्त, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा द्वारा, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए पाँच सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए और जिनमें से 4 सदस्यों को विधिवत् निर्वाचित किया गया था और 2 दिसम्बर, 2014 को सभा को सूचित किया गया था, स्वीकृत प्रस्ताव के अग्रसरण में, राज्य सभा लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा की एक शेष रिक्ति के लिए निर्वाचन और उक्त समिति के लिए श्री नरेश अग्रवाल, सदस्य, राज्य सभा के विधिवत् निर्वाचित होने की सिफारिश लोक सभा को करने पर सहमत हुई।

(दो) कि 10 दिसम्बर, 2014 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा 3 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित योजना और वास्तुकला विद्यालय, विधेयक, 2014 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

7. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय से संबंधित 'भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा की उपस्थिति' विषय पर प्राक्कलन समिति (2014-15) का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस ने लोक लेखा समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'कर्तव्य में त्रुटि योजना' के बारे में 7वां प्रतिवेदन।

(2) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित 'भारत में जल प्रदूषण' के बारे में 8वां प्रतिवेदन।

(3) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय' के बारे में समिति के 64वें प्रतिवेदन (पंद्रहवी लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में 9वां प्रतिवेदन।

(4) वित्त मंत्रालय से संबंधित 'कर प्रशासन' के बारे में समिति के 87वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में 10वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.10 बजे

9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

कुमारी सुष्मिता देव ने 'वन जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2013' के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति का 253वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

*अपराह्न 12.12 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की कथित घटना के बारे में निवेदन किया।

---

*अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 1.09 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए।

सर्वश्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, सुल्तान अहमद, जय प्रकाश नारायण यादव, मोहम्मद सलीम, अनंत गंगाराम गीते, तारिक अनवर और राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी इसी मुद्दे पर अपनी बात कही।

#श्री राजीव प्रताप रूडी ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराह्न* 1.09 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.11 *बजे पुनः समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.11 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014

अपराह्न 2.13 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान के झारावाड़ जिले में परवान सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत द्वारा महाराष्ट्र के नंदुरबाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री हरिओम सिंह राठौड़ द्वारा महाराणा प्रताप पर निर्मित गलत ऐतिहासिक तथ्यों को चित्रित करने वाले धारावाहिक के प्रसारण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) खंडूडी, एवीएसएम द्वारा गुरिल्ला युद्ध में निपुण उत्तराखंड के उन व्यक्तियों जिन्होंने बंगलादेश युद्ध के दौरान और विभिन्न युद्धों में अपनी सेवाएं दी हैं, के लिये जीवनयापन के साधन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

#अपराह्न 12.18 बजे।

(5) श्री सी॰आर॰ चौधरी द्वारा राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत पश्चिम राजस्थान के ढाणियों में विद्युतीकरण का काम शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शारदा नदी पर एक बाँध का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा हरियाणा में अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के लिए एक पैकेज दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री कपिल मोरेश्वर पाटील द्वारा महाराष्ट्र के भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 पर निम्न पुलों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के मवलेकारा में ई एस आई मेडीकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किये जाने और एजुकोन में पेरामेडिकल इंस्ट्टीच्यूट आरंभ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री आर॰के॰ भारती मोहन द्वारा 2016 में महामहम पर्व को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु में कुंभाकोणम रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त रेल सेवाएं और यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री टी॰ राधाकृष्णन द्वारा तमिलनाडु के विरूधुनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में थोपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसा संस्थान स्थापित किये जाने में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में राधा नगर में एक बायो इंटर प्रन्योरशिप संस्थान स्थापित किये जाने और राजा राम मोहन राय के जन्म स्थान राधा नगर को एक पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में माल और सेवा कर कार्यान्वित होने तक केंद्रीय बिक्री कर पुन: 40 प्रतिशत किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के उल्लास नगर में वालधुनी नदी में खतरनाक अपशिष्ट छोड़े जाने जिससे आसपास के असंख्य लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, की घटनाओं पर गौर किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.15 बजे

@13. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन

आबंटित समय : 4 घंटे
लिया गया समय : 15 मिनट
शेष : 3 घंटे 45 मिनट

श्री सी॰एन॰ जयदेवन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्तूबर, 2014, को प्रख्यापित कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।''

@14. सरकारी विधेयक — विचाराधीन

कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

#श्री फिरोज वरुण गांधी ने संकल्प (देखें उपर्युक्त **पैरा 13**) और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सम्मिलित वाद-विवाद में भाग लिया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.16 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.01 *बजे पुन: समवेत हुई)*

अपराह्न 3.01 बजे

15. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 22 मिनट

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''मुझे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से धर्मांतरण की कथित घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में नियम 193 के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है। एक विशेष मामले के रूप में, मैं कार्य-सूची में किसी प्रविष्टि के बिना इस चर्चा की अनुमति दे रही हूं, और अब यह चर्चा आरंभ होती है।''

@एक साथ चर्चा की गई।
#सायं 6.23 बजे से सायं 6.38 बजे तक।

तत्पश्चात्, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस विषय पर चर्चा शुरू की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
2. श्री पी॰ कुमार
3. प्रो॰ सौगत राय
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री अरविन्द सावंत
6. श्री मुलायम सिंह यादव
7. श्री एच॰डी॰ देवगौड़ा
8. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
9. श्री मोहम्मद सलीम
10. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी
11. श्री तारिक अनवर
12. श्री एम॰ मुरली मोहन
13. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
14. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
15. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
16. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
17. श्री कौशलेन्द्र कुमार
18. श्री भगवंत मान
19. श्री असादुद्दीन ओवैसी
20. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
21. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
22. श्रीमती रंजीत रंजन

श्री एम॰ वैंकैय्या नायडू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 6.38 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

दिनांक 1.12.2014 के समाचार भाग-एक संख्या 39
का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	क्रमांक	के स्थान पर	पढ़ा जाए
8	11	श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी ने राजमार्ग पर पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।	श्री ए॰पी॰ जितेन्द्र रेड्डी ने तेलंगाना के महबूबनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लंबित रेल परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाए जाने और महबूबनगर जिला, तेलंगाना में महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को ठहराव भी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

GMGIPMRND—3559LS(S-3)—11-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2014/21 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 48

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. उल्लेख

अध्यक्ष ने संसद भवन पर 13 दिसम्बर, 2001 को हुए आतंकवादी हमले की 13वीं बरसी के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण, आतंकवादी हमले को निष्फल करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.13 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 11.25 बजे पुन: समवेत हुई)

पूर्वाह्न 11.25 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 282—285 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 286—300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. सदस्यों द्वारा निवेदन

एक सदस्य द्वारा राष्ट्रपिता की हत्या को गौरवान्वित करने वाली टिप्पणी किए जाने के मुद्दे को बहुत से सदस्यों द्वारा सभा में उठाए जाने पर, संसदीय कार्य मंत्री ने एक वक्तव्य* दिया।

अध्यक्ष ने भी टिप्पणी की।

तत्पश्चात्, डॉ॰ स्वामी साक्षी जी महाराज ने अपना खेद व्यक्त% किया।

अपराह्न 12.02 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम, 2014 जो 22 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/154/2014 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा॰का॰नि॰ 569(अ) जो 7 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 645(अ) जो 15 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा 3 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1693(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) (एक) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

---

*पूर्वाह्न 11.25 बजे।

%पूर्वाह्न 11.39 बजे।

(दो) नॉर्थ इस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी अधिनियम, 2008 की उप-धारा 6(2) के साथ पठित उप-धारा 5(1)(ट) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2198(अ) जो 1 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी के संस्थान निकाय के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उसमें उल्लिखित दो संसद सदस्यों के निर्वाचन के बारे में है।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएमएल लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद (गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी), जामनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(7) इंस्टिट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद (गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी), जामनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बेंगलुरू का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) मेसर्स मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेसर्स मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) मेसर्स साउथ एशिया रबर एण्ड पॉलीमर्स पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेसर्स साउथ एशिया रबर एण्ड पॉलीमर्स पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) मेसर्स बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क, गुवाहाटी, असम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेसर्स बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क, गुवाहाटी, असम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) मेसर्स जबलपुर गार्मेन्ट एण्ड फैशन डिजाइन क्लस्टर एसोसिएशन, जबलपुर, मध्य प्रदेश के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेसर्स जबलपुर गार्मेन्ट एण्ड फैशन डिजाइन क्लस्टर एसोसिएशन, जबलपुर, मध्य प्रदेश के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (रेल) (2014 का संख्यांक 23)— भारतीय रेल की कार्यशालाओं, शेडों और उत्पादन इकाइयों में पर्यावरण प्रबंधन की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(दो) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (सिविल) (स्वायत्तशासी निकाय) (2014 का संख्यांक 30) — कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(तीन) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन — संघ सरकार (रेल) (2014 का संख्यांक 28) — भारतीय रेल में अस्पताल प्रबंधन की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पॉलिसी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) सा॰का॰नि॰ 791(अ) जो 11 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 795(अ) जो 12 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-के॰उ॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 836(अ) जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एड्स, टीबी और मलेरिया से मुकाबला करने के लिए ग्लोबल फण्ड द्वारा वित्तपोषित गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना के दूसरे चरण हेतु अपेक्षित दवाइयों, नैदानिक और चिकित्सा उत्पादों पर उद्ग्रहणीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करना है जो 30 सितम्बर, 2015 तक मान्य है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेनवैट क्रेडिट (आठवां संशोधन) नियम, 2014 जो 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 619(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(18) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 792(अ) जो 11 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी॰शु॰ में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 833(अ) जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एड्स, टीबी और मलेरिया से मुकाबला करने के लिए ग्लोबल फण्ड द्वारा वित्तपोषित गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना के दूसरे चरण हेतु अपेक्षित दवाइयों, नैदानिक और चिकित्सा उत्पादों पर उद्ग्रहणीय बुनियादी सीमा-शुल्क के साथ अतिरिक्त सीमा-शुल्क में कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट प्रदान करना है जो 30 सितम्बर, 2015 तक मान्य है।

(19) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर प्रति अदायगी (संशोधन) नियम, 2014 जो 17 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 813(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 814(अ) जो 17 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 नवम्बर, 2014 से प्रभावी शुल्क प्रति अदायगी की अखिल औद्योगिक दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(20) (एक) गुड्स एण्ड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुड्स एण्ड सर्विसेस टैक्स नेटवर्क, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 834(अ) जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में निर्मित अथवा वहाँ से

निर्यातित 'डिक्लोफेनैक सोडियम' के आयात पर प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित समापक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में, 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा॰का॰नि॰ 835(अ) जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग और चीनी ताइपे में निर्मित अथवा वहाँ से निर्यातित डिजीटल वर्सेटाइल डिस्कस रिकार्डेबल के आयात पर प्रतिपाटन और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित समापक समीक्षा जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में, 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(22) शेयर बाजार घोटाला संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों तथा उससे संबंधित मामलों, दिसम्बर, 2014 के अनुसरण में, की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.04 बजे

6. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने श्री के॰एच॰ मुनियप्पा और डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल का लोक सभा की सभापति तालिका में सदस्यों के रूप में नामनिर्देशन के बारे में घोषणा की।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेश पाण्डेय ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) राष्ट्रीय अकादमियों और अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं का कार्यकरण-मुद्दे और चुनौतियों के बारे में 201वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 214वां प्रतिवेदन।

(2) विमानपत्तनों पर सेवाओं के निजीकरण के बारे में 203वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 215वां प्रतिवेदन।

(3) दिल्ली में विभिन्न स्मारकों, राष्ट्रीय संग्रहालय के रखरखाव और संस्कृति मंत्रालय से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में 211वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 216वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

8. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री राजीव प्रताप रूडी ने 15 दिसम्बर, 2014 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.12 बजे

9. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने 69वें सत्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किए जाने के बारे में उल्लेख किया।

10. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की ओर से श्री रामशंकर कठेरिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिनियमों के परिनियम 14 के खण्ड 1 और खण्ड 2 के उप-खण्ड (चौबीस) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से छह सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.16 बजे

11. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014

अपराह्न 12.17 बजे

[$]12. सांविधिक संकल्प—अस्वीकृत

लिया गया समय : 3 घंटा 33 मिनट

श्री सी॰एन॰ जयदेवन द्वारा 11 दिसम्बर, 2014 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

''कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अक्तूबर, 2014 को प्रख्यापित कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 (2014 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।''

चर्चा के पश्चात्, नीचे पैरा 13 में यथानिर्दिष्ट संकल्प अस्वीकृत हुआ।

$एक साथ चर्चा की गई।

$13. सरकारी विधेयक—पारित

कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014

श्री पीयूष गोयल द्वारा 11 दिसम्बर, 2014 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखें उपर्युक्त पैरा 12) और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया
2. श्री ए॰ अरूणमणिदेवन
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री तथागत सत्पथी
5. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
6. श्री एम॰ मुरली मोहन
7. श्रीमती कविता कलवकुंतला
8. श्री जितेन्द्र चौधरी
9. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी
10. श्री हुकुम सिंह
11. श्री शेर सिंह गुबाया
12. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
13. श्री ताम्रध्वज साहू
14. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
15. श्री कौशलेन्द्र कुमार
16. श्री रत्न लाल कटारिया
17. श्री दुष्यंत चौटाला
18. डॉ॰ धर्मवीर गांधी
19. श्री शरद त्रिपाठी
20. श्री अधीर रंजन चौधरी

$एक साथ चर्चा की गई।

श्री पीयूष गोयल ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 स्वीकृत हुआ।

खंड 15 स्वीकृत हुआ।

खंड 16 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20 से 23 स्वीकृत हुए।

खंड 24 से 33 स्वीकृत हुए।

अनुसूची 1 से अनुसूची 3 स्वीकृत हुईं।

अनुसूची 4 स्वीकृत हुई।

खंड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र स्वीकृत हुआ।

उद्देशिका स्वीकृत हुई।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री पीयूष गोयल द्वारा विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 3.35 बजे

14. प्रस्ताव

श्री रत्न लाल कटारिया ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

''कि यह सभा 10 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन से सहमत है।''

अपराह्न 3.36 बजे

15. गैर–सरकारी विधेयक — पुर:स्थापित

(1) श्री विनसेंट एच॰ पाला का खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2014 *(नई धारा 3क का अंत:स्थापन)*

(2) श्री एंटो एन्टोनी का परिचर्या वृत्ति (सेवा बंधपत्र का उत्सादन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2014

(3) श्री ताम्रध्वज साहु का संविधान संशोधन विधेयक, 2014 *(आठवी अनुसूची का संशोधन)*

(4) श्री पी॰ करुणाकरन का अपहानिकार नाशकजीवमारों पर पाबंदी विधेयक, 2014

(5) श्री पी॰ करुणाकरन का प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2014 *(धारा 5 का संशोधन आदि)*

(6) श्री एम॰के॰ राघवन का नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2014 *(धारा 26 का संशोधन आदि)*

(7) श्री एम॰के॰ राघवन का औषधि (मूल्य नियंत्रण) विधेयक, 2014

(8) श्री एम॰के॰ राघवन का स्वास्थ्य बीमा योजना विधेयक, 2014

(9) श्री एम॰के॰ राघवन का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 *(अनुच्छेद 316 का संशोधन)*

(10) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का केन्द्रीय होम्योपैथी विश्वविद्यालय विधेयक, 2014

(11) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का अनुसूचित जातियां बस्तियां (आधारभूत सुविधाओं का उपबंध) विधेयक, 2014

(12) श्री कोडिकुन्नील सुरेश का वाणिज्य फसल कर्मकार (कल्याण) विधेयक, 2014

(13) श्री ओम प्रकाश यादव का पटना उच्च न्यायालय (सिवान में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2014

(14) श्री ओम प्रकाश यादव का कृषक (वृद्धावस्था पेंशन) विधेयक, 2014

(15) श्री ओम प्रकाश यादव का बाढ़ नियंत्रण विधेयक, 2014

(16) मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी एवीएसएम (से॰नि॰) का सशस्त्र बल प्रसंविदा विधेयक, 2014

(17) श्री निशिकांत दुबे का झारखण्ड उच्च न्यायालय (दुमका में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 2014

(18) श्री निशिकांत दुबे का किसान (आत्महत्या से संरक्षा, निवारण और कल्याण) विधेयक, 2014

(19) श्री निशिकांत दुबे का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 353 का लोप)

(20) श्री पी॰पी॰ चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

(21) श्री पी॰पी॰ चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

(22) श्री पी॰पी॰ चौधरी का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)

(23) श्री देवजी एम॰ पटेल का सब्जी उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य और बीमा) विधेयक, 2014

(24) श्री देवजी एम॰ पटेल का कृषक (प्राकृतिक आपदाओं से संरक्षण तथा अन्य कल्याणकारी उपाय) विधेयक, 2014

(25) श्री देवजी एम॰ पटेल का फल और सब्जी बोर्ड विधेयक, 2014

(26) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का विद्यालयों में अनिवार्य चिकित्सा तैयारी विधेयक, 2014

(27) मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी एवीएसएम (से॰नि॰) का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (अनुच्छेद 243ग का संशोधन)

(28) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का बैंक ऋणों की वसूली के लिए प्रपीड़क तरीकों के प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक, 2014

(29) डॉ॰ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी का भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (नई धारा 304कक का अंत:स्थापन)

(30) श्री भर्तृहरि महताब का दयाभूत प्राणांत (विनियमन) विधेयक, 2014

(31) डॉ॰ शशि थरूर का लोक अभिलेख (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 2 का संशोधन आदि)

(32) डॉ॰ शशि थरूर का राज्य की राजधानियों में उच्च न्यायालयों की स्थायी न्यायपीठों की स्थापना विधेयक, 2014

(33) श्रीमती किरण खेर का उत्तम सहायक दाता (सिविल और आपराधिक दायित्व से संरक्षण) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2014

(34) श्री प्रेम दास राई का भारतीय वन (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 2 का संशोधन)

(35) श्री प्रेम दास राई का स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ का दुरुपयोग (सर्वेक्षण) विधेयक, 2014

(36) श्री चंद्रकांत खैरे का राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2014

(37) श्री चंद्रकांत खैरे का अनिवार्य मतदान विधेयक, 2014

(38) श्री अशोक महादेवराव नेते का विदर्भ राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2014

(39) श्री अशोक महादेवराव नेते का वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2014 (नई धारा 3ग का अंत:स्थापन)

(40) श्री अशोक महादेवराव नेते का बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2014

(41) श्री अशोक महादेवराव नेते का सिविलियन पुरस्कार (सिफारिश समिति) विधेयक, 2014

(42) श्री सी॰आर॰ पाटील का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (नए अनुच्छेद 21ख, 21ग और 21घ का अंत:स्थापन)

(43) श्री सी॰आर॰ पाटील का गुजरात राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2014

(44) श्री सी॰आर॰ पाटील का भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक, 2014

(45) श्री अर्जुन मेघवाल का विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 (धारा 4 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)

(46) श्री अर्जुन मेघवाल का गौ संरक्षण प्राधिकरण विधेयक, 2014

(47) श्री अर्जुन मेघवाल का पर्यटन संप्रवर्तन प्राधिकरण विधेयक, 2014

(48) श्री अर्जुन मेघवाल का गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) विधेयक, 2014 (नई धारा 16ख का अंत:स्थापन, आदि)

अपराह्न 4.04 बजे

16. गैर-सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

एसिड (नियंत्रण) विधेयक, 2014

डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के 28 नवम्बर, 2014 को पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही।

उन्होंने अपना भाषण पुन: आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
2. श्री राजेश रंजन
3. श्री अधीर रंजन चौधरी
4. श्री जगदम्बिका पाल
5. प्रो॰ सौगत राय
6. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
7. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
10. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
11. श्री भगवंत मान
12. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
13. श्री ओम प्रकाश यादव
14. श्री रत्न लाल कटारिया

श्री हरिभाई चौधरी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

डॉ॰ किरीट पी॰ सोलंकी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराह्न 5.53 बजे

17. गैर-सरकारी विधेयक—विचाराधीन

वरिष्ठ नागरिक (जरारोग और डिमेंशिया देख-रेख का उपबंध) विधेयक, 2014

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 6.51 बजे

(लोक सभा सोमवार, 15 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

---

*सायं 6 बजे से सायं 6.51 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3625LS—12-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 15 दिसम्बर, 2014/24 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 49

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301—306 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 307—320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451—3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

***3. सदस्य द्वारा निवेदन**

प्रो॰ सौगत राय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कथित दुरुपयोग के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

---

*पूर्वाह्न 11.06 बजे से पूर्वाह्न 11.08 बजे तक।

(दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कर्मचारी पेंशन (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2014 जो 19 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 593(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2014 जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 608(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2014 जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 609(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) कर्मचारी निक्षेप-सम्बद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2014 जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 610(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(4) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 689(अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका शुद्धिपत्र 6 मई, 2014 की अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 320(अ) में दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, रायबरेली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 630(अ) जो 1 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 631(अ) जो 1 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की तीसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए हैं।

(तीन) खनिज छूट (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 710(अ) में प्रकाशित हुए थे।

5. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) के विवरण

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'एमपीलैड्स निधि के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का विकास' विषय पर अपने सातवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'प्राकृतिक आपदाओं हेतु एमपीलैड्स निधि के प्रावधान संबंधी प्रक्रिया' विषय पर अपने नौवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा

की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'सोसायटियों/न्यासों/गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से एमपीलैड्स कार्यों का निष्पादन' विषय पर अपने 11वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्य मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में अपनाए जाने के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:—

(एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 244वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 253वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा' के बारे में समिति के 245वें

प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई के संबंध में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 258वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*(3) गृह मंत्री ने आईएसआईएस की ओर से ट्विटर एकाउंट संचालक युवक की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य दिया।

#अपराह्न 12.11 बजे

9. ध्यानाकर्षण

श्री पी॰वी॰ मिदून रेड्डी ने देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस संबंध में वक्तव्य दिया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

(लोक सभा अपराह्न 1.23 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.32 बजे पुन:समवेत हुई)

अपराह्न 2.32 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) डॉ॰ संजय जायसवाल द्वारा गंडक नदी पर, बिहार के बेतिया जिले में पखनाहा तथा उत्तर प्रदेश के कुशी नगर जिले में तमकुही के बीच पुल बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा उत्तर प्रदेश में अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गजरौला में औद्योगिक फैक्ट्रियों द्वारा बागड़ नदी में अपशिष्ट बहाए जाने पर रोक लगाने हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.40 बजे।

#अपराह्न 12.45 बजे से अपराह्न 1.23 बजे तक सदस्यों ने अविलंबीनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संविधान की आठवीं सूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के दामोह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य के लिये जिन लोगों की भूमि अधिगृहित की गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा तथा वैकल्पिक भूमि दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं तथा यात्री सुविधाएं बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती कृष्णा राज द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सीवर प्रणाली सुविधा प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी, ए॰वी॰एस॰एम॰ ने उत्तराखंड के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी॰एस॰एन॰एल॰ मोबाइल सेवा में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(8) श्री डी॰एस॰ राठौड़ द्वारा अहमदाबाद और उदयपुर के बीच छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में परिवर्तित किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री गौरव गोगोई द्वारा असम में चाय श्रमिकों को रियायती दर पर राशन की आपूर्ति जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री जे॰जे॰टी॰ नट्टर्जी द्वारा तमिलनाडु में चेन्नई, रामनाथपुरम और तूतीकोरिन में पानी का खारापन दूर किये जाने हेतु संयंत्र स्थापित किये जाने के लिए निधि आबंटित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा देश में एम्ब्रयोनिक स्टेम सेल पर शोध कार्य करने की अनुमति जारी रखे जाने तथा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त निधि प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ सिद्धांत महापात्रा द्वारा ओडिशा में इंडियन रेअर अर्थस् लिमिटेड द्वारा उत्पादित खनिजों से मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री गजानन कीर्तिकर द्वारा मुम्बई उत्तर-पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वर्सोवा तथा मढ़ में जेटियों का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मछुआरों को पर्याप्त सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती पी॰के॰ श्रीमथि टीचर द्वारा विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किए जाने तथा उनकी लड़कियों की शादी के लिये वित्तीय सहायता बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.33 बजे

11. सरकारी विधेयक—पारित

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2014

लिया गया समय: 2 घंटे 28 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री एम॰ वेंकैया नायडू द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. कुमारी सुष्मिता देव
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. श्री आर॰ गोपालकृष्णन
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री पी॰के॰ बिजू
6. डॉ॰ किरीट सोमैया
7. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
8. श्री तथागत सत्पथी
9. श्री वी॰ विनोद कुमार
10. श्री अक्षय यादव
11. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
12. श्री कौशलेन्द्र कुमार
13. श्री एस॰पी॰ मुद्दाहनुमे गौड़ा

14. डॉ॰ अरुण कुमार
15. श्री दुष्यंत चौटाला
16. श्री एन॰ क्रिष्टप्पा

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने विधेयक पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.01 बजे

12. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014

(दो) मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2014

अपराह्न 5.12 बजे

13. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	1 घंटा 53 मिनट
शेष	:	07 मिनट

श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा 9 दिसम्बर, 2014 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को कथित रूप से निष्प्रभावी बनाए जाने के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री वी॰ एलुमलाई

2. श्री अभिषेक बनर्जी

3. श्री कलिकेश एन॰ सिंह देव

4. श्री जैदेव गल्ला

5. श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी

6. श्री प्रहलाद सिंह पटेल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(*लोक सभा मंगलवार,* 16 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

GMGIPMRND—3677LS(S-3)—15-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2014/25 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 50

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321—325 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 326—340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681—3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

***3. सदस्यों द्वारा निवेदन**

कुछ सदस्यों द्वारा संघ सरकार के संघीय सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करने का मुद्दा उठाए जाने के उपरांत, श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) डॉ॰ अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

---

*पूर्वाह्न 11.13 बजे।

(2) डॉ॰ अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल प्लांट्स एण्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, बेंगलुरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) (पांचवां संशोधन) नियम, 2014 जो 11 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 789(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 497(अ) जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को ''पर्यावरण राहत कोष योजना, 2008'' के अधीन निधि प्रबंधक नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2014 जो 8 सितम्बर, 2014 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ 16/4/2013/एचपी-I/स्था॰/2943 से 2946 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1564(अ) जो 19 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(6) और 11(9) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए ''अपर न्यायाधीश'' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2212(अ) जो 2 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए 'न्यायाधीश' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2370(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए 'न्यायाधीश' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 3001(अ) जो 27 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की

धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए 'न्यायाधीश' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(पांच) का०आ० 3002(अ) जो 27 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(6) और 11(9) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए 'न्यायाधीश' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(छह) का०आ० 3003(अ) जो 27 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11(3) के अंतर्गत विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए 'न्यायाधीश' को नियुक्त किए जाने के बारे में है।

(13) संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2735(अ) जो 21 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राज्य सरकारों का कार्य करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक/लेफ्टिनेंट को शक्तियों का प्रत्यायोजन किए जाने के संबंध में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 3067(अ) जो 4 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 2(झ)(ङ) के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी के रूप में संयुक्त सचिव (आईएस-आई) को विनिर्दिष्ट किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) जम्मू एंड कश्मीर हार्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1997-1998 से 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (कर्मचारी भविष्य निधि), मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल लेबर को-ऑपरेटिव्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश 2014 जो 25 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2969(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का॰आ॰ 2970(अ) जो 25 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित श्रेणीकृत उर्वरकों को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 2971(अ) जो 25 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत में निर्मित होने वाले 4 प्रतिशत सल्फर का मुलम्मा चढ़े अपरिष्कृत उर्वरक डायअमोनियम फॉस्फेट को अधिसूचित किया गया है।

(25) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(26) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा डैम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(28) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(30) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सीमा सुरक्षा बल, कम्बैटाइज्ड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) तथा हेड कांस्टेबल (लिपिक वर्गीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014, जो 31 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 545(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, हेडक्वार्टर्स, सीनियर जेस्टेटनर ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014, जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 757(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(31) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (सामान्य ड्यूटी/तकनीकी/ट्रेड्समेन) संवर्ग भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 801(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, कांस्टेबल (बैंड्समैर-सह-जीडी) भर्ती संशोधन नियम, 2014, जो 14 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 804(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) तथा हेड कांस्टेबल (लिपिक वर्गीय) भर्ती संशोधन नियम,

2014, जो 14 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 805(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) भर्ती संशोधन नियम, 2014, जो 14 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 806(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, फायर विंग, कांस्टेबल (ड्राइवर-कम-पम्प ऑपरेटर) भर्ती संशोधन नियम, 2014, जो 14 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 807(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा विंग, कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती संशोधन नियम, 2014, जो 14 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 808(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(33) (एक) आरईपीसीओ बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आरईपीसीओ बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) दि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटिज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटिज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटिज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण)—

(क) (एक) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गोवा मीट कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, पंजिम का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलोर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कैश्यू डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मंगलोर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(36) उपर्युक्त (35) के मद (क) से (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(38) (एक) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आंणद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आंणद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत अगर अगर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2014 जो 11 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 575(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2014 जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 797(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 790(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भाण्डागारों का भाण्डागारण (विकास और विनियमन) रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2014, जो 17 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 811(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भाण्डागारों का भाण्डागारण (विकास और विनियमन) रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2014, जो 19 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 821(अ) में प्रकाशित हुए थे।

#(44) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-2014 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तंजावुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड मैनेजमेंट, सोनीपत के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2014 जो 5 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 774(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

#अपराह्न 2.32 बजे।

5. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ रमेश पोखरियाल ''निशंक'' ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (स्वीकृत) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

6. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एमवीएसएम (से॰नि॰) ने 'अनुदानों की मांगों (2013-14) पर 20वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'आईपीएल/बीसीसीआई से संबंधित कर निर्धारण/छूट और संबंधित मामले' विषय के संबंध में 38वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(6) 'बैंकिंग क्षेत्र में नए लाइसेंस संबंधी नीति' विषय पर 79वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:—

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-15) से संबंधित पहला प्रतिवेदन।

(2) 'तेल उद्योग विकास बोर्ड का कार्यकरण' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित दूसरा प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कृषि मंत्री ने कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-एक मूल्यांकन', के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 61वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिए:—

(एक) गृह मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों का पुनर्वास' के बारे में समिति के 137वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 179वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) गृह मंत्रालय से संबंधित 'संघ राज्यक्षेत्र (दमन और दीव, दादर और नागर हवेली तथा चंडीगढ़) का प्रशासन' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.07 बजे

प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 15 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के नौवें प्रतिवेदन

से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि सभा द्वारा पहले ही निपटाई गई क्रम संख्या 1 की मद से संबंधित उसकी सिफारिश का लोप किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराह्न 12.08 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

25 दिसम्बर, 2014 को सुशासन दिवस मनाने के लिए सीबीएसई स्कूलों को खोले जाने के बारे में श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर श्री राजीव प्रताप रूडी ने उत्तर दिया।

(*लोक सभा अपराहन* 1.32 *बजे स्थगित हुई और अपराहन* 2.30 *बजे पुन: समवेत हुई।*)

अपराह्न 2.32 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री फग्गन सिंह कुलस्ते द्वारा मंडला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धान और मक्का की खरीद हेतु पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सनगन्ना करादी अमरप्पा द्वारा कर्नाटक के कोप्पल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास अप्रयुक्त पड़ी भूमि में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, चावल पार्क तथा बीज विकास एकक स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री ओम बिरला द्वारा कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में वन्य जीवों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिये उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) श्री रविन्द्र कुशवाहा द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकारी एजेंसियों के पास उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्रीमती नीलम सोनकर द्वारा लालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

*अपराह्न 12.08 बजे से अपराह्न 1.32 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए।

(6) श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान में दाखिले में राजस्थान के अधिवासी विद्यार्थियों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ॰ रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा ऋषिकेश, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह टर्टिअरी कैंसर केअर सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री हरि मांझी द्वारा प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत शामिल किया गया जिला, बिहार के गांवों में विकास कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, हरियाणा में समपारों पर अंडरपास तथा उपरिपुल बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश में मेरठ और हस्तिनापुर के बीच रेल लाइन का निर्माण शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री डी॰के॰ सुरेश द्वारा रमनगढ़ जिला, कर्नाटक में एक नवोदय विद्यालय, एक केंद्रीय विद्यालय और एक एकलव्य आवासीय विद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) डॉ॰ शशि थरूर द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों का सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर जीवनयापन सुनिश्चित करने हेतु सशस्त्र बलों में अल्पकालीन सेवा आयोग योजना का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री के॰ अशोक कुमार द्वारा कृष्णागिरि, तमिलनाडु में इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ हॉर्टीकल्चर स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री एस॰ सेल्वाकुमार चिन्नैयन द्वारा ऑनलाईन रिटेल स्टोर द्वारा कर चोरी रोकने तथा ऑफ लाइन रिटेल सेक्टर के हितों की रक्षा के लिये विनियामक तंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर और आरामबाग के बीच रसूलपुर में नये हॉल्ट स्टेशन का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री बैजयंत जे॰ पांडा द्वारा ओडिशा में पर्यटन स्थलों को बुद्धिस्ट सर्किट में शामिल किये जाने तथा बीजू पटनायक एयरपोर्ट, भुवनेश्वर का उन्नयन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री अरविंद सांवत द्वारा मराठी भाषा को श्रेव्य भाषा का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री रामा किशोर सिंह द्वारा वैशाली संसदीय क्षेत्र बिहार में गरौल और मोतीपुर में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री धनंजय महाडीक द्वारा कोल्हापुर एयरपोर्ट, महाराष्ट्र से मुंबई तथा तिरुपति के लिये विमान सेवा शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.33 बजे

13. सरकारी विधेयक—पारित

लिया गया समय: 2 घंटे 13 मिनट

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री एम॰ वेंकैया नायडू द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
2. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
3. श्रीमती के॰ मरगथम
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
7. डॉ॰ ए॰ सम्पत
8. श्री बी॰ विनोद कुमार
9. श्री भगवंत मान
10. श्री दुष्यंत चौटाला

11. श्री रमेश बिधूड़ी
12. श्री मनोज तिवारी
13. श्री महेश गिरी
14. डॉ॰ उदित राज
15. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
16. श्री कंवर सिंह तंवर
17. श्री राहुल रमेश शेवाले

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने प्रस्ताव किया कि पेश किया गया विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 4.46 बजे

14. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014

आबंटित समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 1 घंटा 14 मिनट
शेष: 46 मिनट

श्री अरूण जेटली ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री एम॰ वीरप्पा मोइली
2. डॉ॰ किरीट सोमैया

3. श्री एस॰आर॰ विजय कुमार
4. प्रो॰ सौगत राय
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री प्रेम दास राई
7. श्री विनायक भाऊराव राऊत

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(*लोक सभा बुधवार,* 17 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

GMGIPMRND—3721LS(S-3)—16-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 17 दिसम्बर, 2014/26 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 51

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने 16 दिसम्बर, 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में हुए एक जघन्य आतंकी हमले में बहुत से स्कूली बच्चों तथा अन्य व्यक्तियों के दु:खद निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341—345 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 346—360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911—4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. संकल्प

अध्यक्ष ने निम्नलिखित संकल्प किया:—

''यह सभा 16 दिसम्बर, 2014 को पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल में आतंकवादियों द्वारा 132 अबोध बच्चों, जो अभी अपने जीवन की आरंभिक अवस्था में ही थे, सहित

लगभग 141 व्यक्तियों की अमानवीय हत्या का संज्ञान लेते हुए इस घटना पर अपना क्षोभ, घोर आक्रोश, गहरा दु:ख व्यक्त करती है तथा इस बर्बर, वहशी और कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की भर्त्सना करती है तथा पाकिस्तान की संसद, सरकार, वहां की जनता, शोक-संतप्त परिवारों तथा घायलों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करती है।

यह सभा संकल्प करती है कि निर्दोष लोगों, विशेष रूप से अबोध बच्चों पर किए जाने वाले सभी आतंकवादी हमलों की भर्त्सना की जानी चाहिए तथा सभी राष्ट्रों और प्रत्येक व्यक्ति से आह्वान करती है कि वे अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संचित कर समस्त रूप और स्वरूप में विद्यमान आतंकवाद की सभी गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष करें।

मुझे आशा है कि सभा सहमत होगी।''

सभा सहमत हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) दि टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दि टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) (एक) दि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रमन रिसर्च इंस्टिट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर दि कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ नैनो साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ नैनो साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, मोहाली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंडिया, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, पुणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसयन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओसयन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एण्ड ओसियन रिसर्च, गोवा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) ईएसएसओ-इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इंफार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईएसएसओ-इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन इंफार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड कैलीब्रेशन लेबोरेटरीज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बेंगलूरू के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बेंगलूरू के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद्, महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों (सेवा की शर्तें) विनियम, 2014 जो 3 अक्तूबर, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ आईसीडब्ल्यूए/एडमिन/551/24/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(26) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल साइंसेज, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा इंस्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एटॉमिक इनर्जी एजुकेशन सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंस्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च, भुवनेश्वर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) हरिश-चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरिश-चन्द्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

(36) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 27 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 845(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) संशोधन नियम, 2014 जो 26 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 420(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजॉल के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, आईजॉल के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (राज्य शिक्षा केन्द्र-मध्य प्रदेश), भोपाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (राज्य शिक्षा केन्द्र-मध्य प्रदेश), भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान), पंचकुला के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) लक्षद्वीप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कावारती के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कावारती के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) (एक) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल (सर्व शिक्षा अभियान), चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान, हरियाणा, पंचकुला के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस) सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस) सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) (एक) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औरोविल्ले फाउंडेशन, औरोविल्ले के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, चेन्नई के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, भटिंडा के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, शिमला के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जम्मू के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) इंगलिश एंड फॉरन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंगलिश एंड फॉरन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंगलिश एंड फॉरन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(70) (एक) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(72) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(73) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(74) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जयपुर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वारंगल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान प्रिफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(79) (एक) बिल्डिंग मेटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिल्डिंग मेटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) (एक) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2445(अ) जो 19 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, हैदराबाद के महानगर क्षेत्र संबंधी हैदराबाद मेट्रो रेल कॉरीडोर फेस-1 परियोजना के मेट्रो एलाएनमेंट को भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की अनुसूची में शामिल किया गया है।

(दो) का॰आ॰ 2731(अ) जो 21 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, नागपुर के महानगर क्षेत्र संबंधी नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के मेट्रो एलाएनमेंट को भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की अनुसूची में शामिल किया गया है।

6. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ तंबिदुरै ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.06 बजे

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विदेश मंत्री ने 'सिडनी बंधक संकट' के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(2) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए बनी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के कार्यकरण को सशक्त बनाने' के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति के 173वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 107वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 112वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.19 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

25 दिसम्बर, 2014 को सुशासन दिवस मनाने के लिए सीबीएसई स्कूलों को खोले जाने के बारे में श्री के॰सी॰ वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे पर श्री वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.14 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.14 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

(1) **श्री देवुसिंह चौहान** ने गुजरात में नडियाद-कपडवंज-मोडासा रेलवे लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) **श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी** ने बिहार के मधुबनी जिले के राजनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने और राजेन्द्र कृषि महाविद्यालय, पूसा को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

---

*अपराह्न 12.14 बजे से अपराह्न 01.09 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(3) **श्री विक्रम उसेंडी** ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में मोबाइल टेलीफोन सेवाओं को बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) **श्री बाबूलाल चौधरी** ने ताज ट्रैपेजियम जोन, आगरा उत्तर प्रदेश में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) **श्री राजकुमार सैनी** ने हरियाणा में यमुना नदी के किनारे विशेषकर कुरूक्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हर वर्ष आने वाली बाढ़ को रोकने के लिये बांध बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) **श्रीमती ज्योति धुर्वे** ने मध्य प्रदेश के बैतूल और हरदा जिलों में किसानों को खाद की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) **श्री रामसिंह पी॰ राठवा** ने गुजरात के छोटा उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डबोई से चानोद रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों का पुन: परिचालन शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा** ने हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में एक रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किये जाने के लिए निधियों का आबंटन किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) **श्री एम॰ चन्द्राकाशी** ने तमिलनाडु के चिदंबरम निर्वाचन क्षेत्र में जयाकोंदम इंटीग्रेटिड लिग्नाइट माइनिंग और पॉवर जनरेशन प्रोजेक्ट को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) **श्री रवीन्द्र कुमार जेना** ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रासगोविंदपुर हवाईपट्‌टी को विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) **श्री बी॰ विनोद कुमार** ने देश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्थायी अध्यापकों और अन्य शिक्षेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) **श्रीमती अनुप्रिया पटेल** ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता लाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) **श्री राजेश रंजन** ने बिहार के सहरसा जिले में समपार पर एक रेलवे ऊपरगामी पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) **श्री कपिल मोरेश्वर पाटील** ने भिवंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में वासिनगांव के पास मुंबई-नासिक रेल मार्ग पर समपार नं॰ 62 को खोले जाने और समपार पर एक ऊपरिपुल का भी निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, श्री भरत सिंह ने उत्तर प्रदेश के बलिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सुविधाओं के विकास हेतु बहुउद्देशीय परियोजना पर कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में उनके द्वारा नियम 377 के अधीन उठाए जाने के लिए आशयित मामले के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 2.37 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 2 घंटे 35 मिनट

श्री अरुण जेटली द्वारा 16 दिसम्बर, 2014 को विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री जैदेव गल्ला
2. श्री कुण्डा विश्वेश्वर रेड्डी
3. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
4. श्री अभिजित मुखर्जी
5. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
6. श्री वी॰ पन्नीरसेलवम
7. श्री दुष्यंत चौटाला
8. श्री शेर सिंह गुबाया
9. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
10. एडवोकेट जोएस जॉर्ज
11. श्री हुकुम सिंह

श्री अरुण जेटली ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 21 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अरुण जेटली ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 3.58 बजे

11. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014

आवंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 1 घंटा 32 मिनट
शेष समय : 28 मिनट

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

''माननीय सदस्यगण, मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 को विचार के लिए लेने से पूर्व, हमें इस चर्चा के निमित्त समय का आवंटन करना है। यदि सभा सहमत हो, तो हम 2 घंटे का समय आवंटित करें।''

सभा सहमत हुई।

श्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राजीव सातव
2. डॉ॰ उदित राज
3. श्रीमती एम॰ वसन्ती
4. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
5. श्री तथागत सत्पथी
6. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
7. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
8. श्री बी॰ विनोद कुमार
9. श्री मोहम्मद बदरूद्दोजा खान

10. श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा
11. श्री जय प्रकाश नारायण यादव
12. श्री भगवंत मान
13. श्री ओम बिरला
14. श्री गौरव गोगोई
15. श्रीमती अनुप्रिया पटेल (भाषण अपूर्ण रहा)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 5.30 बजे

12. आधे घंटे की चर्चा

डॉ॰ किरीट सोमैया ने ''प्लास्टिक से खतरे'' के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 42 के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा 26.11.2014 को दिए गए उत्तर से उत्पन्न मुद्दों के बारे में एक चर्चा उठाई।

श्री प्रकाश जावड़ेकर ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 6.03 बजे

(*लोक सभा गुरुवार,* 18 *दिसम्बर,* 2014 *के पूर्वाह्न* 11.00 *बजे तक के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्रा,
महासचिव।

GMGIPMRND—3748LS(S-3)—17-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2014/27 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 52

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361—364 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 365—380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141—4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से श्रीहरिकोटा से नवीनतम रॉकेट ''जीएसएलवी एमके. III'' के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों ओर प्रौद्योगिकीविदों के दल को बधाई दी।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) अगस्त, 2012-जुलाई, 2013 की अवधि के लिए नेशनल जुडिशियल एकेडमी इंडिया, भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगस्त, 2012–जुलाई, 2013 की अवधि के लिए नेशनल जुडिशियल एकेडमी इंडिया, भोपाल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1888(अ) जो 23 जुलाई, 2014 के भारत के रापजत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I में और संशोधन किए गए हैं;

(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अनुसूची I और अनुसूची II संशोधन आदेश, 2013 जो 4 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1987(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(4) (एक) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय सिल्क बोर्ड, बंगलौर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हैंडीक्राफ्टस एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैंडीक्राफ्टस एण्ड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2968 (अ) जो 25 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 3

की उपधारा (1) के अंतर्गत जूट पैकेज सामग्री में खाद्यान्न और चीनी की पैकेजिंग को 30.11.2014 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आगे दो महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड एण्ड नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड एण्ड नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड [वोल्यूम I और वोल्यूम II (भाग I और II)] कोलकाता का वर्ष 2013-2014 और इसकी अनुषंगी कंपनियों का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(12) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लेखे और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2014 जो 28 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 754(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) मणिपुर और मिजोरम राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (निधि के गठन और प्रयोग की रीति तथा बजट की तैयारी के लिए प्ररूप और समय) नियम, 2014 जो 28 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 755(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) (एक) नर्मदा कंट्रोल अथारिटी, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नर्मदा कंट्रोल अथारिटी, इंदौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(16) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास, विशाखापत्तनम के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) जवाहरलाल नेहरू, पत्तन न्यास, नवीं मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू, पत्तन न्यास, नवीं मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू, पत्तन न्यास, नवीं मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) जवाहरलाल नेहरू, पत्तन न्यास, नवीं मुंबई के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) अर्स्टव्हाइल-बाम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अर्स्टव्हाइल-बाम्बे डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) मुर्मूगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुर्मूगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) मुर्मूगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) मुर्मूगांव पत्तन न्यास, गोवा के वर्ष 2013–2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पारादीप पत्तन न्यास, पारादीप के वर्ष 2013–2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) (एक) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता के वर्ष 2013–2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) टैरिफ अथॉरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स, मुंबई के वर्ष 2013–2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) न्यू मंगलोर पत्तन न्यास, न्यू मंगलोर के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) वी॰ओ॰ चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वी॰ओ॰ चिदम्बरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (सागरगामियों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन तथा वाच-कीपिंग के मानक) नियम, 2014 जो 31 जुलाई , 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 546(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (पोत के सुरक्षित संचालन के लिए प्रबंधन) संशोधन नियम, 2014 जो 23 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 351(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (सागरगामियों की नियुक्ति तथा तैनाती) संशोधन नियम, 2014 जो 20 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 33(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(27) उपर्युक्त मद संख्या (26) के (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2833(अ) से का॰आ॰ 2835(अ) जो 7 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का॰आ॰ 2836(अ) जो 7 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(तीन) का॰आ॰ 2837(अ) जो 7 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) का॰आ॰ 2788(अ) जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राजमार्गों को नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है।

(पांच) का॰आ॰ 2789(अ) जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का॰आ॰ 1626(अ) जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (हैदराबाद–यदगिरि खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 1708(अ) जो 9 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमाार्ग संख्या 18 (कडप्पा–कुर्नूल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 2115(अ) जो 22 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 163) (यदगिरि–वारंगल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 1125(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(दस) का॰आ॰ 36(अ) जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214क (डिगामरु से आंगोल खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(ग्यारह) का॰आ॰ 645(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3509(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का॰आ॰ 41(अ) जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 222 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 38(अ) जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 335(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का॰आ॰ 573(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (संगरूर-पटरन खनौरी रोड से पंजाब/हरियाणा सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 1003(अ) जो 2 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2977(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का॰आ॰ 3649(अ) जो 12 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्रह) का॰ आ॰ 3665(अ) जो 13 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अठारह) का॰ आ॰ 3651(अ) जो 12 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उन्नीस) का॰ आ॰ 458(अ) जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु राजस्व मंडल अधिकारी, नलगोंडा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बीस) का॰ आ॰ 462(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-30) (चिल्पी-सिमगा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(इक्कीस) का॰ आ॰ 3315(अ) जो 2 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बाइस) का॰ आ॰ 3316(अ) जो 2 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 765 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु ज्वाइंट कलेक्टर, महबूबनगर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तेईस) का॰ आ॰ 2487(अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 जनवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 49(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) का॰ आ॰ 1789(अ) जो 21 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75ङ(रीवा-सीधी खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु ज्वाइंट कलेक्टर, महबूबनगर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पच्चीस) का॰ आ॰ 572(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (संगरूर-पटरन खनौरी रोड से पंजाब/हरियाणा सीमा खंड)के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छब्बीस) का॰ आ॰ 596(अ) जो 28 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰ आ॰ 3319(अ) जो 2 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰ आ॰ 571(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (संगरूर-पटरन खनौरी रोड से पंजाब/हरियाणा सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतीस) का॰ आ॰ 2483(अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तीस) का॰ आ॰ 2492(अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य के राजमार्ग संख्या 79 और 113 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(इकतीस) का॰आ॰ 2734(अ) जो 10 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 221 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु एडिशनल

ज्वाइंट कलेक्टर, कृष्णा को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 644(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (नागौर-जोधपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 3652(अ) जो 12 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 314(अ) जो 4 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर-नागौर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 3083(अ) जो 9 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (ब्यावर से बघाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 3080(अ) जो 9 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन हेतु, उसमें उल्लिखित, अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 459(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (मंगावन-चकघाट खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 242(अ) जो 24 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (सूरतगढ़-श्रीगंगानगर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 574(अ) जो 26 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (संगरूर-पटरन खनौरी रोड से पंजाब/हरियाणा सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(29) उपर्युक्त (28)की मद सं॰ (दस) से (उनतालीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) इनलैंड वाटरवेज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इनलैंड वाटरवेज ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

प्रो॰ के॰वी॰ थॉमस ने लोक लेखा समिति (2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल में तत्काल और अग्रिम आरक्षण प्रणाली' के बारे में समिति के 80वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'आयातित दालों की बिक्री तथा वितरण' के बारे में समिति के 82वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'उर्वरक राजसहायता' के बारे में समिति के 81वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन।

6. आचार समिति का प्रतिवेदन

श्री एल॰के॰ आडवाणी ने आचार समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री पी॰ करूणाकरन ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 3 दिसम्बर, 2014 को आयोजित पहली बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

8. कृषि संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने कृषि संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के 57वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

(3) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

9. रेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) 'पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख रेल दुर्घटनाएं—कारण तथा उपचारात्मक उपाय' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पहला प्रतिवेदन।

(2) 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र की परियोजनाओं पर विशेष बल देते हुए निर्माणाधीन तथा लम्बित रेल परियोजनाएं' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वी लोक सभा) के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

(3) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2014-2015' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

10. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों—2013-2014' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) 'भारतीय रेल में यात्री सुविधाएं तथा यात्री सुरक्षा' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 24वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पाँच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

11. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पिनाकी मिश्रा ने शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) शहरी विकास मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली में सस्ते घरों के विशेष संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का कार्यकरण तथा दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के

नियमितीकरण में इसकी भूमिका और उससे संबंधित मामले' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

12. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की अनुदानों की मांगों 2014-2015 के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने संघ राज्यक्षेत्रों (दमन और दीव, दादर और नागर हवेली और चंडीगढ) के प्रशासन के बारे में समिति के 180वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 181वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विधि और न्याय मंत्री ने (i) 'महिला न्यायाधीशों के लिए आरक्षण' के बारे में सर्वश्री राम चरित्र निषाद और रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के संबंध में 24 नवम्बर, 2014 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य दिया।

(2) विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'ऊर्जा के अभिज्ञात गैर-परंपरागत संसाधनों की उपलब्धता—उपयोगिता की तुलना में उनकी संभावना' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.08 बजे

15. ध्यानाकर्षण

श्रीमती रंजीत रंजन ने जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वृद्धि और नकली दवाओं की मौजूदगी के कारण हो रहे गंभीर स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर रसायन और उर्वरक मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

रसायन और उर्वरक मंत्री ने इस संबंध में वक्तव्य दिया।

रसायन और उर्वरक मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के भी उत्तर दिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भी सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

(लोक सभा अपराह्न 1.02 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 2.04 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.04 बजे

16. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) *लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक,* 2014

(दो) *क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक,* 2014

अपराह्न 2.05 बजे

17. नियम 377 के अधीन मामले

(1) डॉ॰ महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने मुसहर अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित लोगों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री नारणभाई काछड़िया ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, पुणे की तर्ज पर बी॰जे॰ मेडिकल, कॉलेज, अहमदाबाद, गुजरात में एक प्रयोगशाला स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रह रहे अनुसूचित जाति बंगाली समुदाय से संबंधित लोगों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री बहादुर सिंह कोली ने दिल्ली और मथुरा के बीच चलने वाली गाड़ी संख्या 64904 को भरतपुर राजस्थान तक चलाये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री महेश गिरी ने देश में भिन्न रूप से समर्थ लोगों के सामाजिक, आर्थिक कल्याण के लिये पर्याप्त उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) डॉ॰ सत्यपाल सिंह ने देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में समान शैक्षणिक मानक सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री देवजी एम॰ पटेल ने राजस्थान के जालोर जिले में स्वर्णगिरि दुर्ग तक एक एप्रोच रोड का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री बी॰ सेनगुट्टुवन ने तमिलनाडु में पालर और पेन्नाईयार नदियों को जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री तापस पॉल ने पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के लिये निधियां प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) डॉ॰ रत्ना डे (नाग) ने देश में जूट क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री चन्द्रकांत खैरे ने औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संभाजीनगर में 300 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थापना करने के लिये भारत सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री रनजीत सिंह ब्रहमपुरा ने खडूर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पंजाब में घेरी मंडी जंडलालगुरू समपार पर एक ऊपरिपुल अथवा अंडरपास का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्रीमती रेखा वर्मा ने धौरहरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री नाना फाल्गुनराव पटोले ने अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों को नौकरियों, पदोन्नति और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने और इन लोगों से संबंधित मुद्दों को देखने के लिये एक अलग मंत्रालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.31 बजे

18. सरकारी विधेयक—पारित

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 3 घंटे 13 मिनट

श्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्रीमती अनुप्रिया पटेल (अपना भाषण पुन:आरंभ किया)
2. श्रीमती मीनाक्षी लेखी
3. श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन
4. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
5. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
6. श्री नाना फाल्गुन राव पटोले
7. श्री दुष्यंत चौटाला
8. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
9. श्रीमती रंजीत रंजन
10. श्री अनिल शिरोले
11. श्री पी॰पी॰ चौधरी

श्री नितिन जयराम गडकरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 5 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नितिन जयराम गडकरी ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.13 बजे

19. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 3 घंटे 40 मिनट

श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा 9 दिसम्बर, 2014 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कथित तौर पर निष्प्रभावी होने के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री प्रहलाद सिंह पटेल
2. डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे
3. श्री श्रीहरि कडियम
4. श्री धनंजय महाडीक
5. श्री प्रहलाद जोशी
6. श्री राजीव सातव
7. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव
8. डॉ॰ धर्म वीर गांधी
9. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
10. श्री हुकुम सिंह
11. श्री सी॰एन॰ जयदेवन
12. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
13. कर्नल सोनाराम चौधरी
14. श्री एस॰ राजेन्द्रन

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*सायं 7.27 बजे

(लोक सभा शुक्रवार 19 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र,
महासचिव।

*सायं 6.00 बजे से सायं 7.27 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

GMGIPMRND—3771LS(S-3)—18-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 (शक)

संख्या 53

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381—385 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 386—400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371—4600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं, जो 29 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)/65/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं, जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ संख्या 104/34/एकाउंट्स में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं, जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी/18–सीडब्ल्यूए/9/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उप–धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2014 जो 24 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए–12015/1/2014–एचआर/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कंपनी (लाभांश की घोषणा और संदाय) संशोधन नियम, 2014 जो 12 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 397(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (प्रकीर्ण) नियम, 2014 जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 506(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (परिभाषाओं संबंधी ब्यौरों का विनिर्देशन) संशोधन नियम, 2014 जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 507(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) दूसरा संशोधन नियम, 2014 जो 24 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 537(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) दूसरा संशोधन नियम, 2014 जो 14 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 590(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2014 जो 12 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 644(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा अर्हता) संशोधन नियम, 2014 जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 671(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2014 जो 14 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 722(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (लेखे) संशोधन नियम, 2014 जो 14 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 723(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 467 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) सा॰का॰नि॰ 568(अ) जो 7 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा॰का॰नि॰ 627(अ) जो 29 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) सा॰का॰नि॰ 741(अ) जो 24 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) पांचवां आदेश, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1820(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) छठा आदेश, 2014 जो 24 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1894(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) कंपनी (कठिनाइयों का निराकरण) सातवां आदेश, 2014 जो 4 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2226(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(9) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कंपनी विधि बोर्ड (आवेदनों और याचिकाओं पर शुल्क) संशोधन नियम, 2014 जो 3 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 772(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कम्पनी (केन्द्रीय सरकारी) सामान्य नियम और प्ररूप संशोधन नियम, 2014 जो 18 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 815(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत मध्यावधि आर्थिक विश्लेषण, 2014-2015 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(12) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एण्ड कस्तूरबा हॉस्पिटल, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसपिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेसपिरेटरी डिजीजेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(17) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2013-2014 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे—

(एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर सोशल एण्ड इकोनॉमिक चेन्ज), बंगलौर।

(दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा), वडोदरा।

(तीन) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (उत्कल यूनिवर्सिटी), भुवनेश्वर।

(चार) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट), चंडीगढ़।

(पांच) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (पंजाब विश्वविद्यालय), चंडीगढ़।

(छह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ), दिल्ली।

(सात) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (जेएसएस इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च), धारवाड।

(आठ) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (गांधीग्राम इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर ट्रस्ट), गांधीग्राम।

(नौ) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (गुवाहाटी यूनिवर्सिटी), गुवाहाटी।

(दस) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ), लखनऊ।

(ग्यारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (पटना यूनिवर्सिटी), पटना।

(बारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (गोखले इंस्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एण्ड इकोनॉमिक्स), पुणे।

(तेरह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डॉ॰ हरिसिंह गौड़ यूनिवर्सिटी), सागर।

(चौदह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी), शिमला।

(पन्द्रह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर), श्रीनगर।

(सोलह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ केरल), तिरूवनंतपुरम।

(सत्रह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी), उदयपुर।

(अठारह) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (आंध्र यूनिवर्सिटी), विशाखापत्तनम।

(18) ऊपर उल्लिखित पोपुलेशन रिसर्च सेंटरों के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) (एक) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012 की धारा 32 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर नियम, 2013 जो 29 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा°का°नि° 759(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर नियम, 2013 जो 29 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा°का°नि° 760(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(24) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाईड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाईड मैनपावर रिसर्च, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) कैंटोनमेंट बोर्ड के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कैंटोनमेंट बोर्ड के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बंगलौर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(34) (एक) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) इंडियन डायमण्ड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन डायमण्ड इंस्टीट्यूट, सूरत के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) फुटवीयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फुटवीयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) कैशु एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोल्लम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कैशु एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कोल्लम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—

(एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, वारंगल

(दो) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नाहरलगुन

(तीन) बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, बेरहामपुर

(चार) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर

(पांच) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली

(छह) बिहार ग्रामीण बैंक, बेगुसराय

(सात) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर

(आठ) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर

(नौ) डेक्कन ग्रामीण बैंक, हैदराबाद

(दस) देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर

(ग्यारह) एल्लाकई देहाती बैंक, श्रीनगर

(बारह) ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त, लखनऊ

(तेरह) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी

(चौदह) जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू

(पंद्रह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़

(सोलह) केरल ग्रामीण बैंक, मलयपुरम

(सत्रह) कोवरी ग्रामीण बैंक, मैसूर

(अठारह) लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक, दिफु

(उन्नीस) मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पटना

(बीस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर

(इक्कीस) मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर

(बाईस) मरूधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर

(तेईस) मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक, उदयपुर

(चौबीस) मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल

(पच्चीस) मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग

(छब्बीस) मिजोरम ग्रामीण बैंक, आईजोल

(सत्ताईस) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा

(अट्ठाईस) नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, इन्दौर

(उनतीस) पल्लवन ग्रामीण बैंक, सेलम

(तीस) पंडयन ग्रामीण बैंक, विरूद्धनगर

(इकतीस) प्रगति कृष्ण ग्रामीण बैंक, बेल्लारी

(बत्तीस) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद

(तैंतीस) पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला

(चौंतीस) ओडिशा ग्रामीण बैंक, भुवनेश्वर

(पैंतीस) सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर

(छत्तीस) सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ

(सैंतीस) सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक

(अड़तीस) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट

(उनतालीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला

(चालीस) उत्कल ग्रामीण बैंक, बलंगीर

(इकतालीस) उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून

(बयालीस) उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार

(तेतालीस) वनांचल ग्रामीण बैंक, दुमका

(चवालीस) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर

(43) (एक) इंडियन इकोनॉमिक सर्विस सेक्शन-इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इकोनॉमिक सर्विस सेक्शन-इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 1855(अ) जो 17 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आमेलन के कारण मरुधर ग्रामीण बैंक और मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 1856(अ) जो 17 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के मुख्य कार्यालय का स्थानांतरण नांदेड़ से औरंगाबाद किए जाने के बारे में है।

(तीन) का॰आ॰ 2718(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डेक्कन ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर तेलंगाना ग्रामीण बैंक करने तथा तेलंगाना ग्रामीण बैंक के प्रचालन क्षेत्र में परिवर्तन करने के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 2719(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के प्रचालन क्षेत्र में परिवर्तन करने के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 2812(अ) जो 3 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आमेलन के कारण गुड़गांव ग्रामीण बैंक और हरियाणा ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(46) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) रजिस्ट्रीकरण अभिकरण] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 जो 11 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/05/23483 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटान) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 15 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2014-15/08/1491 में प्रकाशित हुए थे।

(47) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 11 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 487(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दसवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 798(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 799(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौदहवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 13 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 800(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (आस्तियों का प्रेषण) (संशोधन) विनियम, 2014 जो 14 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 803(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 828(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 829(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(48) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इरीगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सेस फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरीगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सेस फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(49) (एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) 30.09.2014 को समाप्त हुई तिमाही के लिए आईआईबीआई के इक्विटी शेयर धारकों (सदस्यों के स्वैच्छिक रूप से समाप्त होने के अंतर्गत) को आईआईबीआई के स्वैच्छिक रूप से समाप्त होने के बारे में परिसमापक के 25वें प्रतिवेदन की एक प्रति, (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) 30.09.2014 को समाप्त हुई तिमाही के लिए आईआईबीआई के इक्विटी शेयर धारकों (सदस्यों के स्वैच्छिक रूप से समाप्त होने के अंतर्गत) को आईआईबीआई के स्वैच्छिक रूप से समाप्त होने के बारे में परिसमापक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) (पहला संशोधन) विनियम, 2014 जो 24 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰सं॰ आईआरडीए/रेग॰/7/90/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2014, जो भारत के राजपत्र में 10 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2874(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) बैंक सावधि जमा (संशोधन) स्कीम, 2014, जो भारत के राजपत्र में 13 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2906(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 3014(अ) जो 28 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम के अध्याय उन्नीस-ख के प्रयोजनार्थ धारा 245ढ के अंतर्गत किसी आवेदक को निवासी के रूप में अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2014, जो भारत के राजपत्र में 28 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3015(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(53) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 32) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)—कर निर्धारण कार्यवाही में तृतीय पक्षकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) के रिपोर्टिंग का अधिमूल्यन।

(दो) मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2014 का संख्यांक 33)—राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर-केन्द्रीय उत्पाद)—ऑटोमोटिव सेक्टर में केन्द्रीय उत्पाद प्रशासन।

(तीन) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2014 का संख्यांक 35)—सेना, आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम।

(चार) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2014 का संख्यांक 37)—इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

(पांच) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2014 का संख्यांक 31) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)—भारतीय रेल में मालगाड़ियों का प्रबंध।

(छह) मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2014 का संख्यांक 34)—वायुसेना और नौसेना।

(54) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-2015 की पहली तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियों की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रेस परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. **विधेयकों पर अनुमति**

महासचिव ने 25 दिसम्बर, 2014 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 16वीं लोक सभा के तीसरे सत्र के दौरान संसद के दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 3 विधयेक सभा पटल पर रखे:—

(1) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2014;

(2) वाणिज्य पोत परिवहन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2014; और

(3) श्रम विधि (विवरणियां देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों की छूट) संशोधन विधेयक, 2014

5. **सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री एल॰के॰ आडवाणी ने भारतीय खाद्य निगम में भण्डारण प्रबंध तथा खाद्यान्नों की आवाजाही के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2013 के प्रतिवेदन संख्यांक 7 पर आंशिक रूप से आधारित भारतीय खाद्य निगम के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 29वें प्रतिवेदन

(15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. **अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का की-गई-कार्यवाही संबंधी पहला प्रतिवेदन और समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन' के बारे में समिति के 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण**

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित "पंजाब एण्ड सिंध बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन और बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की जा रही क्रेडिट सुविधाएं" विषय पर 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 20वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अंतिम विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. **महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल ने 'कन्याओं के विशेष संदर्भ में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन' और 'पुलिस बल में महिलाओं की कार्य दशा' विषयों पर समिति के क्रमश: 20वें और 21वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने खाद्य प्रस्‍करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (16वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया।

11. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) भू-संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

12. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बैस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (निःशक्तता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(5) ''संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2014'' संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(6) ''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014'' संबंधी छठा प्रतिवेदन।

13. **कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री पी॰पी॰ चौधरी ने निरसन और संशोधन विधेयक, 2014 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबधी स्थायी समिति का 73वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.07 बजे

14. **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य**

(1) वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय से संबंधित 'वर्तमान आर्थिक स्थिति और नीतिगत विकल्प' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 59वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा:—

(1) खाद्यान्न-प्रीमियम नॉन बासमती राइस और व्हीट के निर्यात के बारे में 98वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात संवर्धन के बारे में 99वां प्रतिवेदन।

(3) बागान क्षेत्र—चाय और कॉफी उद्योग के निष्पादन के बारे में 102वां प्रतिवेदन।

(4) बागान क्षेत्र—चाय और कॉफी उद्योग के निष्पादन के बारे में 109वां प्रतिवेदन।

(5) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के कार्यकरण के बारे में 114वां प्रतिवेदन।

#(3) विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधी न्यायालय द्वारा 26/11 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले के मुख्य षडयंत्रकर्ता को जमानत दिए जाने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

#अपराह्न 1.25 बजे।

अपराह्न 12.08 बजे

15. सरकारी विधेयक—पुर: स्थापित

(एक) विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014

अनेक मंत्रियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर, शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री ने सूचित किया कि अध्यक्ष द्वारा विधेयक स्थायी समिति को सौंपे जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

@*(दो) संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक,* 2014

श्री अरुण जेटली ने संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

प्रो॰ सौगत राय, सर्वश्री एन॰ के॰ प्रेमचंद्रन, मोहम्मद सलीम और डॉ॰ पी॰ वेणुगोपाल ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया।

सर्वश्री भर्तृहरि महताब और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

वित्त मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

$अपराह्न 12.09 बजे

16. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) पाकिस्तान के एक आतंकवाद-निरोधी न्यायालय द्वारा 26/11 *को मुम्बई में हुए आंतकी हमले के मुख्य षडयंत्रकर्ता को जमानत दिए जाने के बारे में।*

निम्नलिखित सदस्यों ने पाकिस्तान के एक आतंकवाद-निरोधी न्यायालय द्वारा 26/11 को मुम्बई में हुए आतंकी हमले के मुख्य षडयंत्रकर्ता को जमानत दिए जाने के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे
2. डॉ॰ किरीट सोमैया
3. श्री मोहम्मद सलीम
4. श्री कल्याण बनर्जी

@अपराह्न 4.20 बजे।

$अपराह्न 12.09 बजे से अपराह्न 1.54 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

5. श्री अरविंद सावंत
6. श्रीमती के॰ कलवकुंतला
7. श्री राजेश रंजन *उर्फ* पप्पू यादव
8. श्री असादुद्दीन ओवैसी
9. श्री एम॰ श्रीनिवास राव
10. श्री कौशलेन्द्र कुमार
11. श्री ई॰ टी॰ मोहम्मद बशीर
12. श्री भर्तृहरि महताब
13. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन
14. श्री तारिक अनवर
15. श्री राकेश सिंह
16. श्री चिराग पासवान
17. श्री भगवंत मान
18. श्री के॰एन॰ रामचंद्रन

सर्वश्री पी॰पी॰ चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, गोडम नगेश, एम॰बी॰ राजेश और पी॰के॰ बीजू सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

*श्री नरेन्द्र मोदी ने भी उत्तर दिया।

तत्पश्चात् , अध्यक्ष @ ने निम्नलिखित संकल्प किया:—

''लोक सभा, 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में 166 लोगों की हत्या के आरोपी षडयंत्रकर्ता जकीउर–रहमान–लखवी को जमानत दिए जाने के निर्णय की एक राय से निन्दा करती है। हम अभियोजन में हुए बार–बार हो रही देरी तथा पाकिस्तान सरकार के उदासीन रवैये, जिसके कारण आरोपी आंतकवादी को जमानत मिली है, के बारे में चिंतित हैं। हम भारतीय लोगों की गहरी चिंता को भी व्यक्त करते हैं कि पेशावर में 145 निर्दोष बच्चों और अन्य

*अपराह्न 1.07 बजे।
@अपराह्न 1.54 बजे।

व्यक्तियों की त्रासदीपूर्ण हत्या के केवल एक दिन बाद उसी देश द्वारा एक आरोपी आंतकवादी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह प्रतीत होता है कि यह सबक अभी तक नहीं लिया गया है कि आंतकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

लोक सभा पाकिस्तान सरकार से यह आह्वान करती है कि उसके द्वारा जमानत के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाली उसकी मंशा के संबंध में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जाए और सरकार से यह अनुरोध करती है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर मुक्त करने की अनुमति न दी जाए।

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 12.55 बजे

(दो) भारत–बंगलादेश भूमि सीमा करार के बारे में संवैधानिक संशोधन विधेयक पुर:स्थापित करने में सरकार की विफलता के बारे में

श्री शशि थरूर ने भारत–बंगलादेश भूमि सीमा करार के बारे में संवैधानिक संशोधन विधेयक पुर:स्थापति करने में सरकार की विफलता के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री एन॰के॰ प्रेमचंद्रन, मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, पी॰के॰ बीजू, एम॰बी॰ राजेश और मोहम्मद सलीम सहयोजित हुए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.56 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.06 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 3.06 बजे

17. **नियम 193 के अधीन चर्चा**

लिया गया समय: 4 घंटे 55 मिनट

श्री शंकर प्रसाद दत्ता द्वारा 9 दिसम्बर, 2014 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कथित तौर पर निष्प्रभावी होने के बारे में उठाई गई चर्चा पर आगे बहस जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:—

1. श्री संतोष कुमार
2. श्री अभिजित मुखर्जी
3. श्री वीरेन्द्र कश्यप

4. मल्लिकार्जुन खड़गे
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री थोटा नरसिम्हम
7. डॉ॰ यशवंत सिंहा
8. श्री अजय टम्टा
9. श्री बोध सिंह भगत
10. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
11. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
12. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे
13. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील
14. श्री सी॰ आर॰ चौधरी
15. श्री दद्दन मिश्रा
16. डॉ॰ प्रो॰ प्रसन्न कुमार पाटसाणी
17. श्री राम प्रसाद शर्मा
18. डॉ॰ कुलमणि सामल

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

अपराह्न 4.21 बजे

18. **प्रस्ताव**

श्री शिवकुमार उदासी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

''कि यह सभा 17 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.22 बजे

19. **गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प — वापस लिए गए**

श्री राजू शेट्टी द्वारा 18 जुलाई, 2014 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही—

"यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह कृषि क्षेत्र में संकट पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय कृषक आयोग जिसे 'स्वामीनाथन आयोग' के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।"

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शरद त्रिपाठी
2. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
3. श्री विनसेंट एच॰ पाला
4. श्री लक्ष्मी नारायण यादव
5. श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन
6. श्री जयप्रकाश नारायण यादव
7. श्री भैरों प्रसाद मिश्र
8. श्री सी॰ आर॰ चौधरी
9. श्री अरुण कुमार
10. श्री नाना पटोले
11. श्री कौशलेन्द्र कुमार
12. श्री ए॰ अनवर राजा

डॉ॰ संजीव कुमार बालियान ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री राजू शेट्टी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

अपराह्न 5.35 बजे

20.गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प — विचाराधीन

श्री सी॰ आर॰ पाटील ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया—

''हमारे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए संघ सरकार की प्रतिबद्धता, जिसे 'कौशल विकास' के माध्यम से प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है, को ध्यान में रखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह युवाओं में ऐसे तकनीकी कौशल विकास उपलब्ध कराने वाली व्यापक योजना बनाए, जिससे उन्हें भारत को आधुनिक देश बनाने तथा 'भारत में बनाओ' के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में योगदान करने में सहायता मिलेगी।''

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 5.36 बजे

21.आधे घंटे की चर्चा

श्री तथागत सत्पथी ने ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिनांक 04.12.2014 को ''प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)'' के बारे में तारांकित प्रश्न सं॰ 163 के दिए गए उत्तर से उत्पन्न बिंदुओं पर एक चर्चा उठाई।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

सांय 6.15 बजे

(लोक सभा सोमवार 22 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र,
महासचिव।

GMGIPMRND—3857LS(S-3)—19-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 22 दिसम्बर, 2014/1 पौष, 1936 (शक)

संख्या 54

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री एच॰ ए॰ डोरा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401—405 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 406—420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601—4830 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टि्टयूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टि्टयूट फॉर माइक्रो, स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर इंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातियां वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(7) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत शिक्षु (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 18 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 220 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, (प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों को बिछाने, उनका निर्माण, संचालन अथवा विस्तार करने के लिए निकायों को प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2014 जो 8 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनजीआरबी/एनजीपीएल/रेग/अमेंड-2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मूल (पहला संशोधन) नियम, 2014 जो 17 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 27(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर, दिमापुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चर सेंटर, दिमापुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटेरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटेरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवेल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवेल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे—

(एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, हाजीपुर।

(दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, गोवा।

(तीन) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी तिरुवनंतपुरम।

(चार) डॉ॰ अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़।

(पांच) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, लखनऊ।

(छह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, चेन्नई।

(सात) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद।

(आठ) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, जयपुर।

(नौ) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली।

(दस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी।

(ग्यारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।

(बारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, हैदराबाद।

(तेरह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।

(चौदह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, शिमला।

(पंद्रह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, मुम्बई।

(सोलह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, बंगलौर।

(सत्रह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, भोपाल।

(अठारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।

(उन्नीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, गुरदासपुर।

(बीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन (कोलकाता) सोसायटी, कोलकाता।

(इक्कीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाईड न्यूट्रिशन, शिलांग।

(20) ऊपर उल्लिखित संस्थानों के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क)(एक) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) डोन्यी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डोन्यी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ईटानगर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) कुमाराक्रुपा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमाराक्रुपा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पांडिचेरी का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(22) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहंग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चर स्टडीज, दाहंग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) (एक) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग म्यूजियम, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) एयरपोर्ट्स इकोनामिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 726(अ) जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ''हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013'' के उपबंधों का अनुपालन किया गया है तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 27 नवम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2985(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) डेटीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा को 10 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2014 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव प्रताप रूडी ने कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति द्वारा फरवरी, 2013 के दौरान भोपाल, पंचमढ़ी, मुंबई और जयपुर के किए गए अध्ययन दौरों का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री चन्द्रकांत खैरे ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2014-2015) का पहला प्रतिवेदन।

(2) समिति के बारहवें और तेरहवें प्रतिवेदनों (15वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2014-2015) का दूसरा प्रतिवेदन।

9. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

11. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (सेवानिवृत्त) ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) सामान्य रक्षा बजट से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

(2) थल सेना से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014–2015) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

(3) नौसेना और वायुसेना से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014–2015) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन।

(4) आयुध निर्माणियों और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014–2015) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का पांचवां प्रतिवेदन।

12. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ किरीट सोमैया ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014–2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2014–2015 की अनुदानों की मांगों के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित वर्ष 2014–2015 की अनुदानों की मांगों के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

13. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ शशी थरूर ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के वर्ष 2014–2015 की अनुदानों की मांगों के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) विदेश मंत्रालय के वर्ष 2014–2015 की अनुदानों की मांगों के बारे में चौथा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

14. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ एम॰ वीरप्पा मोइली ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2014–2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014–2015) के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) 'वर्तमान आर्थिक स्थिति और नीतिगत विकल्प' विषय पर 59वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

(3) 'प्राकृतिक गैस की कीमत में संशोधन का आर्थिक प्रभाव' विषय पर 74वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

15. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जे॰सी॰ दिवाकर रेड्डी ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

16. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ वीरेन्द्र कुमार ने 'कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014' के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

17. कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला तथा इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्ननिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2014-2015) के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

(4) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी अनुषंगियों में ठेका कामगारों सहित कामगारों की सेवा शर्तें' के बारे में समिति के 50वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(5) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों में कामगारों की सेवा शर्तें' के बारे में समिति के 51वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

(6) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियों द्वारा इस्पात का विपणन और परिवहन' के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

18. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती कविता कलवकुंतला ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) भेषज क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बारे में समिति के 110वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 115वां प्रतिवेदन।

(2) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन की गतिविधियों और कार्यकरण के बारे में समिति के 114वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 116वां प्रतिवेदन।

19. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री हरीश मीणा ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) जम्मू और कश्मीर में बाढ़ और भू-स्खलन के पश्चात बचाव, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के बारे में 182वां प्रतिवेदन।

(2) जम्मू और कश्मीर में शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में 183वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.09 बजे

20. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यकरण' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 251वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

(2) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र ढांचागत अभिसमय के अंतर्गत लीमा (पेरू) में 1 से 14 दिसम्बर, 2014 तक आयोजित पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी) में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.19 बजे

21. ध्यानाकर्षण

श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में 'इनलसेफेलाइटिस' के फैलने से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

*अपराह्न 1.17 बजे

22. सदस्यों द्वारा निवेदन

#(एक) श्री मुलायम सिंह यादव ने देश में किसानों का ऋण माफ किए जाने, विदेश से काला धन वापस लाए जाने और भारतीय राज्य क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान द्वारा कथित घुसपैठ के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

(दो) श्री के॰ सी॰ वेणुगोपाल ने देश में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के बारे में निवेदन किया।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

%(तीन) श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात की मांग करते हुए निवेदन किया कि देश में धर्म परिवर्तन के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाए।

श्री एम॰ वेंकैया नायडू ने उत्तर दिया।

(लोक सभा अपराह्न 1.25 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.28 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

*अपराह्न 1.17 बजे से अपराह्न 1.25 बजे तक सदस्यों ने अवलिंबीय लोक महत्व के मामले उठाए।

#पूर्वाह्न 11.16 बजे।

%अपराह्न 4.00 बजे।

अपराह्न 2.28 बजे

23. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री महेश गिरि ने दिल्ली में किराए की व्यावसायिक संपत्तियों के विवादास्पद मुद्दे के समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्रीमती ज्योति धुर्वे ने मध्य प्रदेश के बैतूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बोरदेही रेलवे स्टेशन पर पातालकोट एक्सप्रेस का ठहराव किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री सी॰ आर॰ चौधरी ने राजस्थान के नागौर संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल परियोजन के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री कीर्ति आजाद ने देश में, विशेषकर बिहार के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल टेलीफोन सेवा में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री राघव लखनपाल ने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर या मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री गणेश सिंह ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 और 7 की मरम्मत और रखरखाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री कामाख्या प्रसाद तासा ने असम के जोरहाट जिले में मरियानी रेलवे जंक्शन में एक बाईपास रेलवे लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(8) डॉ॰ संजय जायसवाल ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में छोड़ादानों में सीमा शुल्क विभाग की चौकी स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री ए॰ अनवर राजा मुल्लापेरियार बाँध मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय को लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री तापस पाल ने केन्द्र सरकार की नौकरी में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाए जाने तथा सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री अर्का केशरी देव ने ओडिशा के कालाहांडी जिले में भवानी-पटना कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के बाईपास के निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री चन्द्रकांत खैरे ने मराठी भाषी बहुल बेलगाम जिले को महाराष्ट्र में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री जैदेव गल्ला ने आंध्र प्रदेश में गुंटूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंगलागिरि और पेदाकाकनी में रेलवे स्टॉपेज को स्थायी स्टॉपेज बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री बलका सुमन ने तेलंगाना के करीमनगर जिले में रामागुंडम उर्वरक संयंत्र का पुनरुद्धार किए जाने तथा इसे फिर से चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में एक मामला उठाया।

अपराह्न 2.54 बजे

24. सरकारी विधेयक—आस्थगित

लोकपाल और लोकायुक्त तथा अन्य संबंधित विधि (संशोधन) विधेयक, 2014

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय : 3 घंटे
लिया गया समय : 57 मिनट
शेष समय : 2 घंटे 03 मिनट

डॉ॰ जितेन्द्र सिंह ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.04 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.10 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.20 *बजे स्थगित हुई और अपराह्न* 3.30 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

2. श्री बी॰ सेनगुट्टुवन

3. श्री रवीन्द्र कुमार जेना

4. डॉ॰ रविन्द्र बाबू (भाषण अपूर्ण)

संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना दी कि विधेयक स्थायी समिति को सौंपे जाने की मांग की गई है और यदि विधेयक स्थायी समिति को सौंपा जाता है, तो सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अत: विधेयक पर आगे बहस आस्थगित हुई।

अपराह्न 4.37 बजे

25. सरकारी विधेयक—पारित

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक, 2014

लिया गया समय: 1 घंटा 48 मिनट

श्री अरुण जेटली की ओर से श्री जयंत सिन्हा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री टी॰जी॰ वेंकटेश बाबू
2. श्री निशिकान्त दुबे
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्रीमती कविता कलवकुंतला
5. श्री आनंदराव अडसुल
6. श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली
7. श्री जैदेव गल्ला

श्री जयंत सिन्हा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 5 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जयंत सिन्हा ने प्रस्ताव किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

***26. आधे घंटे की चर्चा—नहीं ली गई**

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:—

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) ने वक्तव्य दिया कि आधे घंटे की चर्चा उठाने वाले सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं। तत्पश्चात्, उपाध्यक्ष ने घोषणा की कि आधे घंटे की चर्चा अगले सत्र में ली जाएगी।

$ सायं 7.36 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनूप मिश्र,
महासचिव।

---

*अपराह्न 5.30 बजे।

$सायं 6.26 बजे से सायं 7.36 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

दिनांक 19.12.2014 के समाचार भाग-1, संख्या 53 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति(यां)	के स्थान पर	पढ़ा जाए
24	20-14		
25	1-3	''लोक सभा, 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में 166 लोगों की हत्या के आरोपी षडयंत्रकर्ता जकीउर-रहमान-लखवी को जमानत दिए जाने के निर्णय की एक राय से निन्दा करती है। हम अभियोजन में हुए बार-बार हो रही देरी तथा पाकिस्तान सरकार के उदासीन रवैये, जिसके कारण आरोपी आंतकवादी को जमानत मिली है, के बारे में चिंतित हैं। हम भारतीय लोगों की गहरी चिंता को भी व्यक्त करते हैं कि पेशावर में 145 निर्दोष बच्चों और अन्य व्यक्तियों की त्रासदीपूर्ण हत्या के केवल एक दिन बाद उसी देश द्वारा एक आरोपी आंतकवादी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। यह प्रतीत होता है कि यह सबक अभी तक नहीं लिया गया है कि आंतकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लोक सभा पाकिस्तान सरकार से यह आह्वान करती है कि उसके द्वारा जमानत के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाली उसकी मंशा के संबंध में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जाए और सरकार से यह अनुरोध करती है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर मुक्त करने की अनुमति न दी जाए।'' *सभा सहमत हुई।*	''लोक सभा 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में 166 व्यक्तियों की हत्या के आरोपी षड़यत्रकर्ता जकीउर-रहमान-लखवी को जमानत दिए जाने के निर्णय की एक राय से निंदा करती है। हम अभियोजन में बार-बार हो रही देरी तथा पाकिस्तान सरकार के उदासीन रवैये, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी आंतकवादी को जमानत मिली है, को लेकर चिंतित है। हम भारतीय लोगों की गंभीर चिंता को भी व्यक्त करते हैं कि पेशावर में 145 अबोध बच्चों और अन्य व्यक्तियों की त्रासदीपूर्ण हत्या के एक दिन बाद ही उसी देश द्वारा एक आरोपी आतंकवादी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि यह सबक कि आतंकियों के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, सीखा नहीं गया है। लोक सभा पाकिस्तान सरकार से यह आह्वान करती है कि उसके द्वारा जमानत के निर्णय के विरुद्ध अपील करने वाली उसकी मंशा के संबंध में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जाए और सरकार से यह अनुरोध करती है कि ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर मुक्त करने की अनुमति न दी जाए। भारत के लोग 26 नवम्बर, 2008 के हमलों के हमलावरों, पाकिस्तान में बैठे उनके सरगनाओं और उनके साथियों को दंड दिए जाने को सर्वाधिक महत्व देते हैं। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वह अन्य देशों के साथ अपने संबंधों के साथ-साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मामले को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाने हेतु पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए। हम पाकिस्तान द्वारा उस देश मे आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करने तथा इस बात को सुनिश्चित करने कि आतंकवादियों को भारत और इस क्षेत्र के अन्य देशों के विरुद्ध उनके कुकृत्यों को जारी रखने के लिए आजाद रहने की अनुमति नहीं दी जाए, के महत्व को दोहराते हैं।'' *सभा सहमत हुई।*

GMGIPMRND—3908LS(S-3)—22-12-2014.

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014/2 पौष, 1936 (शक)

संख्या 55

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421—423 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.26 *बजे स्थगित हुई और मध्याह्न* 12.00 *बजे पुन: समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 424—440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4831—5060 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2014 का संख्यांक 36) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजना का कार्यान्वयन, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सेंट्रल एडाप्शन रिर्सोस अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) सेंट्रल एडाप्शन रिर्सोस अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एण्ड नर्सिंग साइंसेज, आइजल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(13) (एक) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हीयरिंग, मैसूर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जनसंख्या स्थिरता कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इम्फाल के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, तेजपुर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलोर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलोर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड फेमिली वेलफेयर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(21) निम्नलिखित संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को उसमें उल्लिखित संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

क्रम सं॰	संस्थान का नाम	लेखा वर्ष (वर्षों)
1	2	3
1.	मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली	2013-14
2.	नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली	2013-14
3.	डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	2013-14
4.	जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी	2013-14

1	2	3
5.	पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, चंडीगढ़	2013-14
6.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	2013-14
7.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	2013-14
8.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश	2013-14
9.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर	2013-14
10.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	2013-14
11.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर	2013-14
12.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल	2013-14
13.	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली	2012-13 तथा 2013-14
14.	फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	2013-14
15.	इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद	2013-14
16.	सीएनसीआई, कोलकाता	2013-14
17.	फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	2013-14
18.	इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली	2013-14

(22) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(1) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(23) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(24) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोहतक के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(25) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रोहतक के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ आबजर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) (एक) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री चित्रा तिरुनल इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) टेक्नोलॉजी इंफार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नोलॉजी इंफार्मेशन, फोरकास्टिंग एण्ड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) (एक) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगरकर रिसर्च इंस्टिट्यूट, पुणे के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) (एक) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया, अहमदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(34) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उपधारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी चिकित्सक (वृत्तिक आचरण, सदाचार और मूल्य संहिता) संशोधन विनियम, 2014 जो 18 जुलाई, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ॰ सं॰ 7-3/2003-सीसीएच(पीटी॰) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एण्ड नेचुरोपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) कंपनी अधियिम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(45) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 की धारा 29 के अंतर्गत जारी कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 जो 11 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 883(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) संशोधन विनियम, 2014 जो 3 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 23/47/2014-आर॰ एण्ड आर॰ (खंड III) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टिट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) (एक) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(52) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2008-2009 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ङ) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(च) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(छ) (एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ज) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(झ) (एक) फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(59) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुड़गांव के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) एनईपीए लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एनईपीए लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(61) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हासन मंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हासन मंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(62) (एक) कर्नाटक सर्व शिक्षा अभियान समिति, बंगलोर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक सर्व शिक्षा अभियान समिति, बंगलोर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) (एक) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण कवारत्ती के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप सर्व शिक्षा अभियान राज्य मिशन प्राधिकरण कवारत्ती के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) (एक) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का॰आ॰ 2257(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का॰आ॰ 2684(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 346(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का॰आ॰ 2385(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का॰आ॰ 1586(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का॰आ॰ 1983(अ) जो 1 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डबवाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।

(छह) का॰आ॰ 3713(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बीरमित्रपुर-बरकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का॰आ॰ 3715(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरगोरा-संबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का॰आ॰ 3716(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरगोरा-संबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का॰आ॰ 3687(अ) जो 17 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरगोरा-संबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का॰ आ॰ 1288(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का॰ आ॰ 453(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का॰आ॰ 1287(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (रजौली-नवादा-बिहारशरीफ-बख्तियारपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का॰आ॰ 1388(अ) जो 28 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 (बंजारिया से शिवहर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का॰आ॰ 454(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का॰आ॰ 251(अ) जो 27 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(सोलह) का॰आ॰ 156(अ) जो 21 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का॰आ॰ 3884(अ) जो 27 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 (पटना-गया-दोभी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का॰आ॰ 3215(अ) जो 22 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 (चकिया बंझुला से बंजारिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है।

(उन्नीस) का॰आ॰ 3528(अ) जो 29 नवम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (बरवा अड्डा से बराकर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के बारे में है।

(बीस) का॰आ॰ 3701(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग- रांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के बारे में है।

(इक्कीस) का॰आ॰ 3720(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचालन के बारे में है।

(बाईस) का॰आ॰ 87(अ) जो 13 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रारगांव–जमशेदपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के बारे में है।

(तेईस) का॰आ॰ 636(अ) जो 4 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया–हिसुआ–राजगीर–बिहारशरीफ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का॰आ॰ 3550(अ) जो 2 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरगोरा–संबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का॰आ॰ 3551(अ) जो 2 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरगोरा–संबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का॰आ॰ 3703(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (बहरगोरा–संबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 3706(अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खण्ड) तथा (भुवनेश्वर–कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का॰आ॰ 1585(अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 (छपरा–रेवा

घाट–मुजफ्फरपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का॰आ॰ 26(अ) जो 6 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा–अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का॰आ॰ 906 (अ) जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का॰आ॰ 1298 (अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (खड़गपुर से चिचिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का॰आ॰ 1285 (अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (खड़गपुर से चिचिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का॰आ॰ 1231 (अ) जो 8 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28क (पिपराकोठी–रक्सौल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का॰आ॰ 909 (अ) जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2(औरंगाबाद से बरवा–अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का॰आ॰ 1026 (अ) जो 3 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23

(चास–बोकारो–गोला–रामगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का॰आ॰ 1484 (अ) जो 9 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (बरही–हजारीबाग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का॰आ॰ 741 (अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का॰आ॰ 1581 (अ) जो 24 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (रायगंज–डोलखोला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का॰आ॰ 235 (अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (महुलिया से बहरागोरा खण्ड) तथा (बहरागोरा से चिचिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का॰आ॰ 236 (अ) जो 23 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (महुलिया से बहरागोरा खण्ड) तथा (बहरागोरा से चिचिरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का॰आ॰ 1130 (अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (मुजफ्फरपुर–बरौनी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का॰आ॰ 2584 (अ) जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उप–डिवीजनल अधिकारी (सिविल),

ठियोग, जिला शिमला को हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 (नया एनएच-5) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तैंतालीस) का॰आ॰ 2585 (अ) जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उप-डिवीजनल अधिकारी (सिविल), नालागढ़, जिला सोलन को हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21क (नया एनएच-105) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(चवालीस) का॰आ॰ 2586 (अ) जो 7 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उप-डिवीजनल अधिकारी, पंचकूला को हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21क (नया एनएच-105) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(पैंतालीस) का॰आ॰ 439 (अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जिला भूमि अर्जन अधिकारी, जिला-सरायकेला, झारखण्ड को झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 (पुरुलिया-बलरामपुर-चांदिल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(छियालीस) का॰आ॰ 440 (अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अपर जिला भूमि मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन, जिला-पुरुलिया, पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 (पुरुलिया-बलरामपुर-चांदिल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन हेतु भूमि के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(सैंतालीस) का॰आ॰ 780 (अ) जो 14 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क

(जबलपुर–मांडला–चिल्पी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का॰आ॰ 1110(अ) जो 22 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (कनकटोरा–झारसुगुडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का॰आ॰ 1150(अ) जो 25 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच–30) (एमपी बोर्डर चिल्पी–सिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का॰आ॰ 1163(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (बिओरा–एमपी/राजस्थान बोर्डर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का॰आ॰ 1160(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365 (तनमचिरला–मल्लमपल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बावन) का॰आ॰ 1159(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (बिलासपुर–उरदाबल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरपन) का॰आ॰ 1214(अ) जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर–पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौवन) का॰आ॰ 1228(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65

(जोधपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचपन) का॰आ॰ 1227(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (नागौर बाईपास) (नागौर-बीकानेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का॰आ॰ 1274(अ) जो 15 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्तावन) का॰आ॰ 1349 (अ) जो 22 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (सीकर-बीकानेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का॰आ॰ 1365(अ) जो 23 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (मनगांव-चकघाट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का॰आ॰ 1476(अ) जो 6 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बघाना-गोमती चोराहा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का॰आ॰ 1509(अ) जो 13 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12क (नया एनएच-30) (एमपी बोर्डर चिल्पी-सिमगा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का॰आ॰ 1529(अ) जो 16 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65

(जोधपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बासठ) का॰आ॰ 1226(अ) जो 7 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रेवा-हनुमाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का॰आ॰ 1141(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 656 (पेंचालकोना से येरपेडु खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(चौसठ) का॰आ॰ 1142(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 458(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंसठ) का॰आ॰ 1164(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राजमार्ग संख्या 65 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छियासठ) का॰आ॰ 1162(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(सड़सठ) का॰आ॰ 1165(अ) जो 29 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 335(अ) में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।

(अड़सठ) का॰आ॰ 1213(अ) जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर-पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनहत्तर) का॰आ॰ 1346(अ) जो 2 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 नवम्बर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3509(अ) में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।

(सत्तर) का॰आ॰ 1347(अ) जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ग (नया एनएच 927) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकहत्तर) का॰आ॰ 1348(अ) जो 6 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ग (नया एनएच 927) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बहत्तर) का॰आ॰ 1426 (अ) जो 2 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 206 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि अर्जन हेतु विशेष भूमि अर्जन अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(तिहत्तर) का॰आ॰ 1430(अ) जो 3 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राजमार्ग संख्या 98 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चौहत्तर) का॰आ॰ 1573 (अ) जो 20 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(पचहत्तर) का॰आ॰ 1568 (अ) जो 20 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ज्वाइंट कलेक्टर, गुंटूर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

(छिहत्तर) का॰आ॰ 2345(अ) जो 15 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में उसमें उल्लिखित राजमार्ग संख्याओं को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सतहत्तर) का॰आ॰ 2346(अ) जो 15 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्ग संख्या 31ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(अठहत्तर) का॰आ॰ 2440(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2594(अ) में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।

(उन्नासी) का॰आ॰ 2494(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्ग संख्या 86 (कानपुर-कबराई खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(अस्सी) का॰आ॰ 2506(अ) जो 25 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राजमार्ग संख्या 211 (शोलापुर-येदेशी-औरंगाबाद-धुले खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(इक्यासी) का॰आ॰ 2441(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में राजमार्ग संख्या 21 (किरतपुर-नेर चौक खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(बयासी) का॰आ॰ 2443(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राजमार्ग संख्या 8 (गोमती का चौराहा-उदयपुर खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(तिरासी) का॰आ॰ 2442(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2304(अ) को निरस्त किया गया है।

(चौरासी) का॰आ॰ 2645(अ) जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 मार्च, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 896(अ) में कतिपय और संशोधन किए गए हैं।

(पिचासी) का॰आ॰ 2736(अ) जो 21 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्ग संख्या 26 (झांसी से लखनाडोन खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छियासी) का॰आ॰ 2768(अ) जो 27 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राजमार्ग संख्या 9 (सोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(सतासी) का॰आ॰ 2646(अ) जो 15 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राजमार्ग संख्या 57 (पूर्णिया-फारबिसगंज-झंझारपुर-दरभंगा-मुजफ्फरपुर खण्ड) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(अठासी) का॰आ॰ 2737(अ) जो 21 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 232 (बेंडा घाट टोल प्लाजा) के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(नवासी) का॰आ॰ 2739(अ) जो 21 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य इंजीनियर (राष्ट्रीय राजमार्ग), कर्नाटक, लोक निर्माण विभाग को कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (अंकोला-गूटी खण्ड) पर हगारी नदी पर पुल के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क वसूल करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(नब्बे) का॰आ॰ 2808(अ) जो 3 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरियाणा राज्य में राजमार्ग संख्या 1 (दिल्ली हरियाणा सीमा से हरियाणा/पंजाब सीमा) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(इक्यानवे) का॰आ॰ 2703(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर–मनमदुरई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बानवे) का॰आ॰ 2437(अ) जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 (मदुरै–परमकुडी–रामनाथपुरम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरानवे) का॰आ॰ 2384(अ) जो 16 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रवंडी–कुंभकोणम–तंजावुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौरानवे) का॰आ॰ 2860(अ) जो 10 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (अथिपल्ली से कृष्णागिरि खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पिचानवे) का॰आ॰ 2462(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर–मनमदुरई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियानवे) का॰आ॰ 2702(अ) जो 20 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 226 (तंजावुर–मनमदुरई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतानवे) का॰आ॰ 3224(अ) जो 23 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (लुधियाना से तलवंडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठानवे) का॰आ॰ 3068(अ) जो 9 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 (लुधियाना से तलवंडी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(निन्यानवे) का॰आ॰ 3040(अ) जो 8 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डब्वाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(सौ) का॰आ॰ 2953(अ) जो 30 अक्तूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 (हिसार-डब्वाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ एक) का॰आ॰ 2786(अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (रोहतक-जींद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ दो) का॰आ॰ 1707(अ) जो 9 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (सालासर-फतेहपुर-अंबाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ तीन) का॰आ॰ 2265(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123 (ऊँचानंगला-धोलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ चार) का॰आ॰ 1652(अ) जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बीकानेर-फलोदी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ पांच) का॰आ॰ 1719(अ) जो 10 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/एमपी सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ छह) का॰आ॰ 2271(अ) जो 8 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ सात) का॰आ॰ 1678(अ) जो 2 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बीकानेर-फलोदी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ आठ) का॰आ॰ 2260(अ) जो 8 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ नौ) का॰आ॰ 1654(अ) जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (सालासर-फतेहपुर-अंबाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ दस) का॰आ॰ 1653(अ) जो 1 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3071(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ ग्यारह) का॰आ॰ 903(अ) जो 27 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ बारह) का॰आ॰ 505(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (राजगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ तेरह) का॰आ॰ 434(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गोमती चौराहा से उदयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ चौदह) का॰आ॰ 504(अ) जो 21 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (तारानगर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ पन्द्रह) का॰आ॰ 826(अ) जो 19 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (गुलाबपुरा–उनियारा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ सोलह) का॰आ॰ 331(अ) जो 5 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (असिन्द खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ सत्रह) का॰आ॰ 1307(अ) जो 16 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के लिए, उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(एक सौ अठारह) का॰आ॰ 735(अ) जो 11 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 79 (किशनगढ़–चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ उन्नीस) का॰आ॰ 975(अ) जो 29 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ बीस) का॰आ॰ 1126(अ) जो 24 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ इक्कीस) का॰आ॰ 1058(अ) जो 9 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (राजगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ बाईस) का॰आ॰ 852(अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 13 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 2452 (अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(एक सौ तेईस) का॰आ॰ 450(अ) जो 18 फरवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (हुरदा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

(एक सौ चौबीस) का॰आ॰ 2592(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ पच्चीस) का॰आ॰ 2495(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 (सितारगंज–टनकपुर खण्ड) के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(एक सौ छब्बीस) का॰आ॰ 2496(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ सत्ताईस) का॰आ॰ 2489(अ) जो 14 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ अट्ठाईस) का॰आ॰ 2497(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (बीकानेर-फलोदी खण्ड) के भागों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(एक सौ उनतीस) का॰आ॰ 2498(अ) जो 24 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ तीस) का॰आ॰ 2474(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 303 को नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353ड के रूप में घोषित किया गया।

(एक सौ इकतीस) का॰आ॰ 2468(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ बत्तीस) का॰आ॰ 2594(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ तैंतीस) का॰आ॰ 2595(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 306

को नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 776ग के रूप में घोषित किया गया है।

(एक सौ चौंतीस) का॰आ॰ 2596(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ पैंतीस) का॰आ॰ 2472(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ छत्तीस) का॰आ॰ 2466(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राजमार्गों को नए राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया।

(एक सौ सैंतीस) का॰आ॰ 2475(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ अड़तीस) का॰आ॰ 2469(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ उनतालीस) का॰आ॰ 2593(अ) जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ चालीस) का॰आ॰ 2471(अ) जो 23 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(एक सौ इकतालीस) का॰आ॰ 2787(अ) जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 2 जुलाई, 2014 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 1671(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(70) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क, (दरों और उद्ग्रहण का निर्धारण) दूसरा संशोधन नियम, 2014 जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 831(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2014 जो 18 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 40(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2014 जो 4 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 431(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2014 जो 16 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 504(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (13वां संशोधन) नियम, 2014 जो 24 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 534(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटर यान (14वां संशोधन) नियम, 2014 जो 30 जुलाई, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 543(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय मोटर यान (15वां संशोधन) नियम, 2014 जो 21 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 602(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय मोटर यान (16वां संशोधन) नियम, 2014 जो 8 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 709(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(72) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2012-13 का प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(73) उपर्युक्त (72) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(74) (एक) मोबिलिटी ऐड सेन्टर, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोबिलिटी ऐड सेन्टर, इंदौर के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(75) उपर्युक्त (74) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) (एक) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी सेवा संघ, परभनी के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(77) उपर्युक्त (76) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(78) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखपरीक्षक की टिप्पणियां।

(79) (एक) इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(80) उपर्युक्त (79) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(81) (एक) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(82) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कॉआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कॉआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(83) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (घ) के अंतर्गत पादप संघ रोध (भारत में आयात का नियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2014 जो 10 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 3114 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(84) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(85) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एग्रीनोवेट इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(86) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समिति) संशोधन विनियम, 2014 जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 832 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(87) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उपधारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (पैकेटबंद वस्तु) (दूसरा संशोधन) नियम, 2014 जो 4 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 870 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(88) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(89) (एक) सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, मोहाली के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, मोहाली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(90) (एक) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(91) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अरूणाचल प्रदेश, पपुम पारे के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अरूणाचल प्रदेश, पपुम पारे के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(93) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(95) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्किम, दक्षिण सिक्किम के वर्ष 2010-11 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिक्किम, दक्षिण सिक्किम के वर्ष 2010-11 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(96) उपर्युक्त (95) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(97) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति के वर्ष 2013–14 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, काँचीपुरम के वर्ष 2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, काँचीपुरम के वर्ष 2013–14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग, काँचीपुरम के वर्ष 2013–14 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) (एक) मणिपुर विश्वविद्यालय का कांचीपुर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मणिपुर विश्वविद्यालय कांचीपुर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(101) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2013-2014 के लेखापरीक्षा लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(102) डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(103) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(104) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(105) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(106) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गांधीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(107) (एक) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(108) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(109) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(110) (एक) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, गुलबर्ग के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(111) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंटीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(112) (एक) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आरकिटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आरकिटेक्चर, नई दिल्ली के वर्ष के 2013-2014 के कार्रकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(113) (एक) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मिजोरम यूनिवर्सिटी, आइजोल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(114) (एक) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(115) (एक) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(116) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(117) (एक) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(118) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नै के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), चेन्नै के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(119) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(120) (एक) नागालैंड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नागालैंण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नागालैंण्ड यूनिवर्सिटी, लुमामी के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(121) (एक) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम यूनिवर्सिटी, सिलचर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(122) (एक) डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) डॉ॰ हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(123) (एक) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(124) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कैसरगौड़ के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कैसरगौड़ के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, कैसरगौड़ के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(125) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, बिहार के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, बिहार के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(126) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिसा, भुवनेश्वर के वर्ष 2013–2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(127) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2013–2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, रांची के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(128) (एक) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(129) (एक) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम यूनिवर्सिटी, गंगटोक के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(130) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(131) (एक) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2013-14 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(132) (एक) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी के वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, पुदुचेरी के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(133) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(134) प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीकृत समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(135) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाइनेंसियल मैनेजमेंट, फरीदाबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(136) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि विनियम, 2014 जो 18 सितम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडीओ/पीएम/16/एसपीएल/1136 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(137) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 के अंतर्गत सिडिंकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 जो 20 जून, 2014 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिूसचना संख्या 261/0089/पीडी:आईआरडी(ओ)/आर. 68 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(138) उपर्युक्त (137) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(139) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी और जब्ती के लिए प्रक्रिया) नियम, 2014 जो 17 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 812(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(140) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3 (1) (1ख) के अंतर्गत मध्यम अवधि व्यय ढांचे, दिसम्बर, 2014 के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(141) (एक) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(142) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1)के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(143) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(144) नेशनल मीट एण्ड पॉल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(145) संविधान के अनुच्छेद 338 के खण्ड (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) प्रोन्नति में आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा तैयार अध्ययन रिपोर्ट-जून, 2011 ।

(दो) प्रोन्नति में आरक्षण के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के प्रतिवेदन-जून, 2011 के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(146) उपर्युक्त (145) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश

डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई पहली से चौथी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'जनजातीय उपयोजना का कार्यकरण' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जून, 2013 के दौरान पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई और श्रीनगर के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ॰ रमेश पोखरियाल ''निशंक'' ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) आश्वासनों (स्वीकृत) को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(3) आश्वासनों (अस्वीकृत) को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

(4) आयुष मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

8. कृषि संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री हुक्म देव नारायण यादव ने कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के 'जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्राप्स की खेती संभावनाएं और प्रभाव' के बारे में 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई 59वां प्रतिवेदन के संबंध में सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. जल संसाधनों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अभिजीत मुखर्जी ने जल संसाधनों संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पनुरुद्धार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2014-2015)' के बारे में जल संसाधनों संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) का पहला प्रतिवेदन।

(2) 'गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की समीक्षा' के बारे में 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में जल संसाधनों संबंधी स्थायी समिति (2014-2015) का दूसरा प्रतिवेदन।

10. रसायन और उर्वरकों संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री आनंदराव अडसुल ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2013-14' के बारे में 34वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के 40वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विवरण।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (भेषज विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2013-14' के बारे में 35वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के 41वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विवरण।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2013-14' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा

की-गई-कार्रवाई के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के 42वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विवरण।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के 'कीटनाशकों का उत्पादन तथा उपलब्धता' विषय पर 36वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2013-14) के 43वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई विवरण।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ॰ मनोज राजोरिया ने भारत में पैथ (पीएटीएच) द्वारा मानव पैपिलोमा विषाणु (एचपीवी) टीके के प्रयोग द्वारा किए गए अध्ययन में बरती गई तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में समिति के 72वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 81वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.10 बजे

12. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री सर्वानन्द सोनोवाल* ने "राष्ट्रमंडल क्रीड़ा दल में धाविका दूतीचन्द को शामिल न किये जाने" के बारे में एक वक्तव्य दिया।

13. प्रस्ताव

श्री राजीव प्रताप रूडी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा 22 दिसम्बर, 2014 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से इस उपान्तरण के अध्यधीन सहमत है कि सभा द्वारा पहले ही निपटायी गई पैरा संख्या 2 की मद से संबंधित उसकी सिफारिश का लोप किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2014

---

*उन्होंने अपने लिखित वक्तव्य के कुछ अंश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) भी सभा पटल पर रखे।

अपराह्न 12.12 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा झारखंड के गिरिडीह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा आउटसोर्स किए गए कार्यों में पारदर्शिता और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री चाँद नाथ द्वारा सहकारी बैंकों को आयकर से छूट दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री रामचरण बोहरा द्वारा जयपुर हवाईपत्तन राजस्थान से बैंकाक, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई और कोलालाम्पुर के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(4) डॉ॰ किरिट पी॰ सोलंकी द्वारा गुजरात में सरखेज और गांधीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 147 का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री ओम बिरला द्वारा राजस्थान में लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाए जाने और उसका कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा से देश में घुसपैठ रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में सबेयान विमानपत्तन से यात्री उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा केरल में पोस्ट-ग्रेज्युएट इंस्टीट्यूट ऑफ ओनोकोलोजिकल साईंस एंड रिसर्च स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(9) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल में नाराजोले राजबारी ऐतिहासिक स्थान को हैरिटेज बिल्डिंग घोषित किए जाने और इसके संरक्षण हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती सकुंतला लागुरी द्वारा खड़गपुर और सम्भलपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को चार लेन वाला बनाए जाने और क्योंझर शहर में सड़क उपरिपुल तथा बाईपास बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) मोहम्मद फैजल द्वारा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री राधेश्याम बिश्वास द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 54 (ई) के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री भगवंत मान द्वारा विशेषरूप से पंजाब में जिन कैदियों ने अपनी सजा पूरी काट ली है उन सभी को जेलों से रिहा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) एडवोकेट जोएस जॉर्ज द्वारा हाई रेंज माउंटेन लैंडस्केप प्रोजेक्ट, जिसमें केरल के इदुक्की, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिले शामिल हैं, की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.14 बजे

16. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सोलहवीं लोक सभा के तीसरे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 12.23 बजे

17. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 12.24 बजे

(*लोक सभा अपराह्न* 12.24 *बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।*)

अनूप मिश्र,
महासचिव।

GMGIPMRND—3928LS(S-3)—23-12-2014.